



योजना

दिसम्बर 2019

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

शहरीकरण

फोकस

भारत में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां – तथ्य और गलत धारणाएं
अनिरुद्ध कृष्ण

विशेष आलेख

शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण
दुर्गा शंकर मिश्रा

गतिशीलता के लिए उत्तरदायी शहरी आयोजना
अमिता भिडे

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: उपभोक्ता सशक्तीकरण
में मील का पथर
शीतल कपूर

शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र
अरूप मित्रा



प्रधानमंत्री ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया तथा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 नवंबर, 2019 को गुरदासपुर, पंजाब के करतारपुर साहिब कॉरिडोर में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया और तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित डिजिटल उपकरणों को देखा और यात्री टर्मिनल भवन का दौरा किया। उन्होंने रवानगी से ठीक पहले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे से बातचीत की।

एकीकृत चेक पोस्ट, करतारपुर कॉरिडोर

एकीकृत चेक पोस्ट से भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा करने में सुविधा होगी। भारत ने जीरो प्वाइंट, इंटरनेशनल बाउंड्री, डेरा बाबा नानक पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संचालन के तौर-तरीकों पर 24 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2018 को पूरे देश में और दुनिया भर में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिवस के ऐतिहासिक अवसर को भव्य और शानदार तरीके से मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण और विकास को भी मंजूरी दी ताकि भारत के तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा करने में सुविधा हो सके और यात्रा पूरे साल सुचारु एवं सुगम तरीके से पूरा किया जा सके।

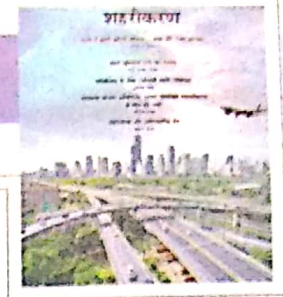
तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए किए गए प्रावधान

- अमृतसर से डेरा बाबा नानक को जोड़ने वाले गुरदासपुर राजमार्ग पर 4.2 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क 120 करोड़ रुपये की लागत से बनायी गई है।
- 15 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। यह भवन पूरी तरह वातानुकूलित है जहां रोजाना लगभग 5,000 तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 50 से अधिक आब्रजन काउंटर हैं।
- इसके मुख्य भवन के अन्दर की ओर कियोस्क, शौचालय, बच्चों की देखभाल की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, प्रार्थना कक्ष और स्नैक्स काउंटर जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- सीसीटीवी निगरानी और जनसंबोधन प्रणाली के साथ सुरक्षा के लिए दमदार बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है।
- सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री और भारतीय मूल के व्यक्ति इस कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं।
- यात्रा वीजा मुक्त होगी। तीर्थयात्रियों को केवल एक वैध पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता है।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने देश के पासपोर्ट के साथ ओसीआई कार्ड ले जाने की आवश्यकता होगी।

तीर्थयात्रियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल- prakashpurb550.mha.gov.in



स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



प्रधान संपादक : राजेंद्र चौधरी
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24369422

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : वी के मीणा
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें

एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए helpdesk1.dpd@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,

कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003



इस अंक में

विशेष आलेख

शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण
दुर्गा शंकर मिश्रा..... 7



फोकस

भारत में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां-
तथ्य और गलत धारणाएं
अनिरुद्ध कृष्ण..... 14



शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र
अरूप मित्रा..... 21

भारत के मानचित्र के साथ नवगठित
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा
लद्दाख के मानचित्र..... 27

गतिशीलता के लिए उत्तरदायी शहरी आयोजना
अमिता भिडे..... 31

प्राकृतिक वन क्षेत्र का विकास: तेलंगाना में
यदाद्री का अध्ययन
जी चंद्रशेखर रेड्डी..... 35

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:
उपभोक्ता सशक्तीकरण में मील का पत्थर
शीतल कपूर..... 39

मिशन इंद्रधनुष 2.0 से समग्र टीकाकरण
का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी..... 43

'ईज ऑफ लिविंग' से ज़िंदगी आसान बनाने
की कवायद
अभिषेक कुमार सिंह..... 45



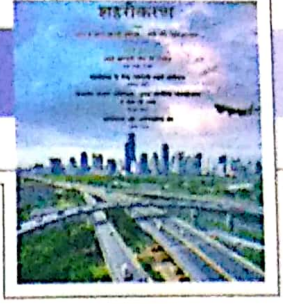
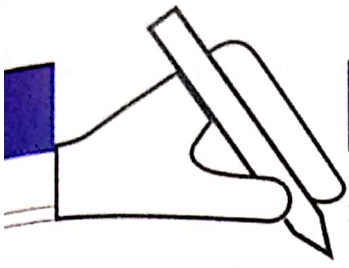
दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण
हेना नक्वी..... 50



नियमित स्तंभ

विकास पथ..... 43
क्या आप जानते हैं?..... 54
पुस्तक चर्चा..... आवरण पृष्ठ-3

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 42



हमसे है शहर, शहर से हैं हम

शहर अपने लोगों के साथ विकसित होते हैं। वे आकांक्षाओं, सपनों और अवसरों से बने होते हैं। वे लाखों को वांछित जीवन शैली प्रदान करते हैं, उन्हें विकास की सीढ़ी या सोपान पर चढ़ने के लिए आधार प्रदान करते हैं। लोग रोज़गार, लाभ, बेहतर जीवन, स्तरीय शिक्षा, बड़े बाजारों और ऐसी संभावनाओं की तलाश में शहरों में आते हैं जो या तो उनके मूल परिवेश में नहीं होती या भविष्य में भी उसे प्रदान करने की उसमें संभावना क्षीण होती है। लेकिन शायद सभी को विकसित होते शहर में वह नहीं मिलता जिसका उन्होंने सपना देखा था। फिर भी वे बेहतर भविष्य की उम्मीद में या अपने बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए वहीं बस जाते हैं।

लोगों की इस निरंतर गतिशीलता के साथ शहर भी गतिशील बन जाते हैं। ग्रामीण से अर्ध-शहरी, अर्ध-शहरी से शहरी और शहरी से मेट्रो शहरों तक लोगों के गमन का एक सतत चक्र बन गया है। ये गांव और उपनगर शहरों के लिए नदी की सहायक नदियों की भांति हैं, जहां पास और दूर-दूर से लोगों का प्रवाह यहां अंततः बसने आता है और इस शहरीकरण का हिस्सा बन जाता है। इसके साथ-साथ व्यक्ति और समुदाय के लिए भी अनेक समस्याएं चली आती हैं। सीमित संसाधनों और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बोझ के कारण निवेश समय की जरूरत है। यह अधिक उद्योगों का मार्ग प्रशस्त करता है, और अन्ततः और भी अधिक लोग शहरों में आते हैं।

इससे शहरों का विस्तार होता है जिनकी अपनी सीमाएं हैं। जो शहर तटीय क्षेत्रों के जितना करीब है, उसके लिए यह विकल्प उतना ही सीमित है। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में शहरों के विस्तार की नयी जगहें बनाने के अपने फायदे और नुकसान हैं। इन सीमित विकल्पों के साथ, शहरों के सम्मुख बढ़ती आबादी की लगातार बढ़ती मांगों को सतत रूप से पूरा करने की एक सामूहिक चुनौती है और साथ ही नए भारत की अभिलाषाओं को साकार करने के लिए विकास केंद्र बने रहने की जिम्मेदारी भी है।

पिछले कुछ वर्षों में, अधिकांश महानगर अपने संसाधनों की कगार पर पहुंच गए हैं, भूमि की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और बेतरतीब ऊंची इमारतों का विकास हो रहा है। एक शहर तभी विकसित हो सकता है जब उसके गांव कायम रहें शहर तभी बना रह सकता है जब गांव विकसित हों। इसलिए उप-शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि शहरों में होने वाली अनावश्यक आमद को घटाया जा सके।

शहरों के पास अपने आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने की भी जिम्मेदारी है। इस पत्रिका के 26 जनवरी, 1965 के अंक में लिखे गए संपादकीय में कुछ बिंदुओं को उठाया था जो आज भी प्रासंगिक हैं। “शहरीकरण के रूप को बिगड़ने से बचाने के लिए लोगों को शहरों से दूर रखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि शहरों की सुविधाएं वहां ले जाने की आवश्यकता है जहां लोग पहले से ही रहते हैं।” शहरी और ग्रामीण भारत को साथ-साथ विकसित करने के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में की गई पहलें इस अंतर को पाटने की दिशा में हैं, भौतिक रूप से बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के माध्यम से और साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी के उपयोग और रोज़गार के माध्यम से समान अवसर प्रदान कर सामाजिक अंतर को समाप्त करने के माध्यम से भी। प्रौद्योगिकी के जरिये भी जैसे उपग्रह चित्रों के माध्यम से शहरों की बेहतर योजना बनाने और मौजूदा सड़क नेटवर्क से अवरोध को घटाने में काफी मदद मिल रही है। इसके पीछे मंतव्य है कि शहरों को तनाव मुक्त किया जाए और उन्हें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिलें तथा लोगों को जीवनयापन में सुगमता हो। जो लोग समर्थ हैं, उनके लिए बंद चारदीवारी वाली लक्जरी सोसाइटियां, अस्पताल और मॉल मौजूद हैं; लेकिन शहर के हाशियों के निवासियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उसी प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता है जिसके साथ गुणवत्तापूर्ण, सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध हों जो सकारात्मक रूप से लोगों के प्रवास या शहरों की ओर पलायन को रोक सके।

‘योजना’ का यह अंक विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है जिन्होंने शहरी नियोजन और विकास के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। इस अंक के आलेखों में शहरी भारत के परिवर्तन में प्रमुख आयामों की चर्चा की गई है और इस जटिल चुनौती के लिए व्यावहारिक समाधान व संभावित खामियों को सामने लाया गया है। जैसा कहा जाता है कि हम अपनी इमारतों और शहरों को आकार देते हैं, उसके बाद वे हमें आकार देते हैं। □

शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण

दुर्गा शंकर मिश्रा

समूचे देश के शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज की चुनौतियों का कारगर समाधान खोजने और उससे जुड़े आर्थिक विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 'अमृत' शुरू किया गया है। यह आलेख पाठकों को इस पहल से होने वाले शहरी परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू करवाता है।

शहरी भारत: प्रमुख चुनौतियां और अवसर

भारत की शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की 2018 की विश्व शहरीकरण संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 34 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है - यानि 2011 के बाद से लगभग तीन प्रतिशत अंकों की वृद्धि। 2031 तक यह और 6 प्रतिशत और 2051 तक आधे से अधिक देश की जनसंख्या शहरों में रह रही होगी। इस तरह की तीव्र वृद्धि से बुनियादी ढांचागत सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आती हैं। वर्तमान में, शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 65 प्रतिशत योगदान देते हैं, जिसके 2030 तक 70 प्रतिशत तक जाने की संभावना है (मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट, 2010)। इसके मद्देनजर, बुनियादी ढांचा शहरों को जन सेवाएं पर्याप्त रूप से प्रदान करने में सक्षम बनाएगा जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और वे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हो सकेंगे।

भारत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं।

उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 70 प्रतिशत शहरी घरों की पानी की आपूर्ति तक पहुंच थी, पर केवल 49 प्रतिशत के पास ही परिसर में पानी की आपूर्ति मौजूद थी। इसके अलावा, पर्याप्त शोधन क्षमता की कमी और आंशिक सीवरेज कनेक्टिविटी के कारण 65 प्रतिशत से अधिक अपशिष्ट जल को खुले नालों में छोड़ा जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षति हुई और जल निकाय प्रदूषित हुए (सीपीसीबी, 2015)। विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रम (डब्ल्यूएसपी) 2011 के अनुमान के अनुसार भारत में अपर्याप्त स्वच्छता के कारण वर्ष 2006 में 2.4 खरब रुपये की सालाना क्षति हुई जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 6.4 प्रतिशत के बराबर था। सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6.1 और विशेष रूप से 6.3) को हासिल करने के लिए देश में सुरक्षित पेयजल मुहैया करवाना और सेप्टेज सहित अपशिष्ट जल के वैज्ञानिक शोधन की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। अमृत को देश भर के 500 शहरों में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य मूलभूत सेवाएं प्रदान कराना जैसे सभी

घरों में जल की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत बनाना और गैर-मोटर चालित परिवहन और सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्कों और हर शहर में कम से कम एक हरित स्थल उपलब्ध कराना है।

उपरोक्त के मद्देनजर, भारत सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत को न केवल देश भर के शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज/सेप्टेज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बल्कि उससे जुड़े आर्थिक विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी शुरू किया।



अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रमुख मिशनों में से एक अमृत का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून, 2015 को देश के 500 शहरों में किया गया जिसका उद्देश्य बुनियादी सेवाएं जैसे सभी घरों को जलापूर्ति प्रदान करना, सीवरेज और सेप्टेज तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाना और गैर-मोटर चालित परिवहन और सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्कों और हर शहर में कम से कम एक हरित स्थल उपलब्ध कराना है जिससे सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, विशेष रूप से गरीबों और वंचित वर्ग के जीवन में। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कुल परिव्यय 1,00,000 करोड़ रुपया है जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है जो 2015-2020 तक 5 वर्षों की अवधि में दी जाएगी।

बुनियादी ढांचा तैयार करने के अलावा मिशन की एक सुधार कार्यसूची भी है, जिसके अंतर्गत 11 मदों का सेट है, जिसमें 54 लक्ष्य हैं जिन्हें चार वर्ष की अवधि में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हासिल किया जाना है। इन सुधारों में मोटे तौर पर नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के प्रस्ताव शामिल हैं; सभी मंजूरीयों के लिए सिंगल विंडो की स्थापना; नगरपालिका कैंडर की स्थापना; विलिंग और कर/उपयोगकर्ता शुल्क का कम से कम 90 प्रतिशत प्राप्त करना; बच्चों के लिए हर साल कम से कम एक पार्क तैयार करना; पार्क और खेल के मैदानों के लिए रखरखाव प्रणाली स्थापित करना; शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग बनाना और नगरपालिका बॉन्ड जारी करना; मॉडल निर्माण के उपनियमों को लागू करना; और ऊर्जा और जल की लेखा परीक्षा करवाना।

योजना का कवरेज क्षेत्र

1. 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख और उससे अधिक की आबादी वाले 476 शहर/कस्बे;
2. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां जो ऊपर (i) में शामिल नहीं हैं;
3. हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (हृदय) योजना के तहत आने वाले विरासत शहर; तथा
4. प्रमुख नदियों के निकटवर्ती और पहाड़ी

राज्यों/द्वीपों और पर्यटन स्थलों के कुछ शहर।

कुल मिलाकर, 500 शहरों को इस योजना के तहत शामिल किया गया था।

धनराशि का आवंटन

- मिशन के पास 1,00,000 लाख करोड़ रुपये का आवंटन है जिसमें 50,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी शामिल है। शेष राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा की जानी है। कुल आवंटन में से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 77,640 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। केंद्र की हिस्सेदारी का दस प्रतिशत प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (ए एंड ओई) के लिए और दूसरा 10 प्रतिशत सुधार प्रोत्साहन के लिए है।
- केंद्रशासित प्रदेशों की परियोजनाएं केंद्र द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित हैं। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में, परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत केंद्र द्वारा साझा किया जाता है। अन्य राज्यों में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में परियोजना की लागत का एक-तिहाई और अन्य शहरों में परियोजना लागत का आधा हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा साझा किया जाता है।
- केंद्रीय सहायता (सीए) 20:40:40 के अनुपात की तीन किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के अनुमोदन पर तुरंत जारी की जाती है। आगामी किस्तें स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (आईआरएमए) की रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सहायता और उसी राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के हिस्से के 75 प्रतिशत उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाती हैं।

अमृत : भारत के शहरीकरण की जरूरतों के साथ संबद्ध

सहकारी संघवाद: सहकारी संघवाद को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों को अपने अमृत शहरों के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन, अनुमोदन और



मंजूरी का अधिकार दिया गया है - इस तरह ये तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी

नवीकरण मिशन से भिन्न है जिसमें सभी परियोजनाओं को शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी दी जाती थी।

संस्थागत सुधारों के लिए रूपरेखा:



अमृत संस्थागत सुधारों पर मुख्य रूप से जोर देता है, जिनका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासन

और संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना है। सुधारों का लक्ष्य बेहतर सेवाएं प्रदान करना और अधिक जवाबदेही व पारदर्शिता है। राज्यों और अमृत शहरों में सुधारों (सुधारों की प्रकारों और प्रमुख लक्ष्यों सहित) की एक रूपरेखा निर्धारित की गयी है।

'उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्रिया' और प्राथमिकता के सिद्धांत: नागरिकों के लिए



जलापूर्ति के सम्पूर्ण कवरेज को सुनिश्चित करने और स्वच्छता कवरेज में सुधार के उद्देश्य से मिशन के

तहत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रम दर क्रम बेंचमार्किंग के सिद्धांत को अपनाया गया है, जो बेंचमार्क हासिल करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। जल और स्वच्छता की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को प्राथमिकता देना था जिसमें जल आपूर्ति पहली प्राथमिकता है।

दंड की जगह प्रोत्साहन: पूर्ववर्ती

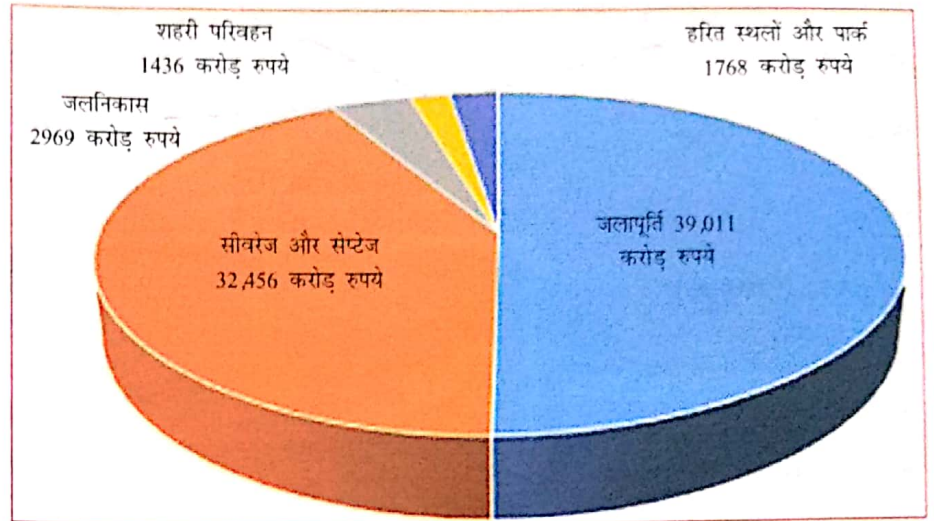


जेएनएनयूआरएम के दौरान परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) का 10 प्रतिशत

सुधारों के पूरा न होने पर रोक लिया जाता था। इसके चलते सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने यह 10 प्रतिशत राशि गवां दी क्योंकि कोई भी 100 प्रतिशत सुधारों को प्राप्त नहीं कर सका; इसलिए, कई परियोजनाओं में धनराशि की कमी हो गयी और वे अधूरी रह गई। राज्यों को प्रोत्साहित करने और उनकी पहलों को रचनात्मक रूप से पुरस्कृत करने के लिए, सुधार क्रियान्वयन को अमृत के तहत प्रोत्साहित किया जाता है - सुधार प्रोत्साहन के लिए बजटीय आवंटन का 10 प्रतिशत रखा गया है और यह परियोजनाओं के लिए आवंटन से अधिक और अलग है। क्रियान्वयन के पिछले चार वित्तीय वर्षों में बेंचमार्क के

अनुरूप प्राप्त सुधारों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 400 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, 340 करोड़, और 418 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि क्रमशः 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान वितरित की गयी थी। यह राशि किसी से संबद्ध नहीं है और इसका उपयोग राज्य/शहरी स्थानीय निकायों हिस्से के साथ या बिना, अमृत के तहत आने वाली किसी भी मद पर किया जा सकता है।

मिशन की निगरानी: क्रियान्वयन में प्रगति और खामियों को समझने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम की निगरानी की जा रही है। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चस्तरीय स्टीयरिंग समिति मिशन परियोजनाओं की निगरानी करती है और इसकी संपूर्ण रूप से मंजूरी देती है। केंद्रीय स्तर पर, सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में सर्वोच्च समिति, राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी देती है और प्रगति की निगरानी करती है। इसके अलावा, सभी परियोजनाओं



चित्र 1: अमृत के तहत क्षेत्रीय आवंटन

की जियो टैगिंग के साथ मिशन एमआईएस डैशबोर्ड के जरिये रियल टाइम आधार पर परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, जिला स्तरीय क्षेत्रीय समीक्षा और निगरानी समिति परियोजनाओं की विस्तृत जांच करती है। आईआरएमए प्रत्येक राज्य की समीक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है और तीसरे पक्ष के रूप में वास्तविक स्तर पर मिशन की प्रगति की निगरानी करता है।

अब तक की प्रगति

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले तीन वर्षों में ही सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं को संपूर्ण मिशन अवधि के लिए 77,640 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसमें से 39,011 करोड़ रुपये (50 प्रतिशत) जल की आपूर्ति के लिए आवंटित किया गया है, सीवरेंज और





संप्टेज परियोजनाओं के लिए 32,456 करोड़ रुपये (42 प्रतिशत), स्टॉर्म वाटर निकासी परियोजनाओं के लिए 2,969 करोड़ (4 प्रतिशत) रुपये, गैर-मोटरिकृत शहरी परिवहन के लिए 1,436 करोड़ रुपये (2 प्रतिशत), और 1,768 करोड़ रुपये (2 प्रतिशत) हरित स्थलों और पार्कों के लिए आवंटित किया गया है।

77,640 करोड़ रुपये के स्वीकृत योजना परिस्य में से 70,969 करोड़ रुपयों से 5,230 परियोजनाओं का अनुबंध किया गया है जिसमें से 6,469 करोड़ रुपयों की 2,111 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष का काम प्रगति पर है। इसके अलावा 10,945 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं निविदा के तहत हैं, जिसमें राज्यों/शहरों द्वारा लिए गए अतिरिक्त कार्य शामिल हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार, 500 मिशन शहरों के कुल 4.68 करोड़ शहरी घरों में से, 2.98 करोड़ घरों (64 प्रतिशत) में नल के पानी की आपूर्ति की गयी। अमृत के तहत 39,011 करोड़ रुपयों के निवेश से 60 लाख परिवारों को अगस्त 2019 तक

नए पानी के नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। चालू परियोजनाओं और संमिलन के माध्यम से अन्य 79 लाख नए पानी के नल कनेक्शन दिए जाने की संभावना है। इसी तरह अमृत के तहत 32,456 करोड़ रुपये का निवेश जारी है जो सीवरेंज के कवरेंज को, जो 2011 में 31 प्रतिशत था, मिशन अवधि के अंत तक बढ़ा कर 62 प्रतिशत तक ले जायेगा। मिशन के तहत अब तक

शहरों में घरेलू स्तर पर 40 लाख सीवर कनेक्शन जोड़े गए हैं और इसके अलावा अतिरिक्त 105 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, अमृत ने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शहरों में हरित स्थल और पार्क, फुटपाथ, पैदल मार्ग, स्काईवॉक आदि के निर्माण में सहायता की है।



शहरी सुधार

कुछ महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:
ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस)

अप्रैल 2016 से दिल्ली और मुंबई में निर्माण परमिटों में सुगम बिजनेस की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (ओबीपीएस) क्रियान्वित हो चुका है जिसमें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और अंदरूनी/बाहरी एजेंसियों से सभी क्लीयरेंस/नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का सहज एकीकरण शामिल है।

नतीजतन, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) के अनुसार निर्माण परमिटों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में भारत के स्थान ने पिछले 3 वर्षों में 158 स्थानों की अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की है। भारत का स्थान डीबीआर 2017 में 185 के मुकाबले डीबीआर 2020 में 27 तक पहुंच गया।

देश भर के सभी शहरों/कस्बों में 31 मार्च, 2020 तक ओबीपीएस लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक, यह 440 अमृत शहरों सहित 1,832 शहरों में लागू किया गया है। 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा में ओबीपीएस को सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया गया है।

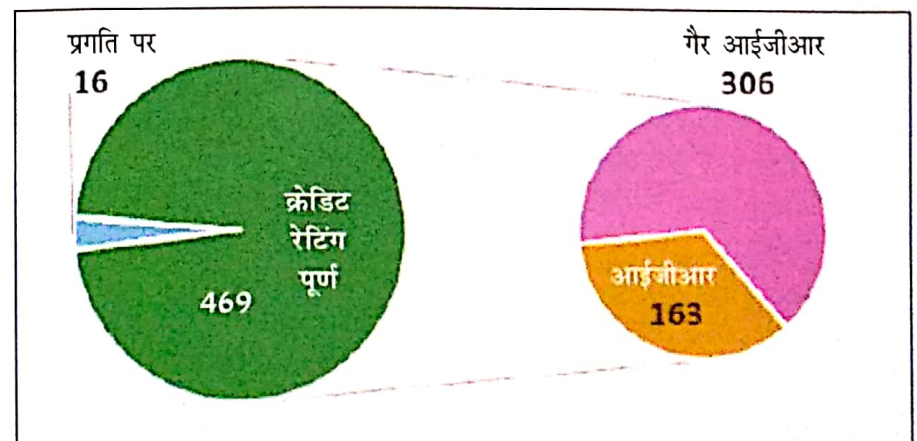
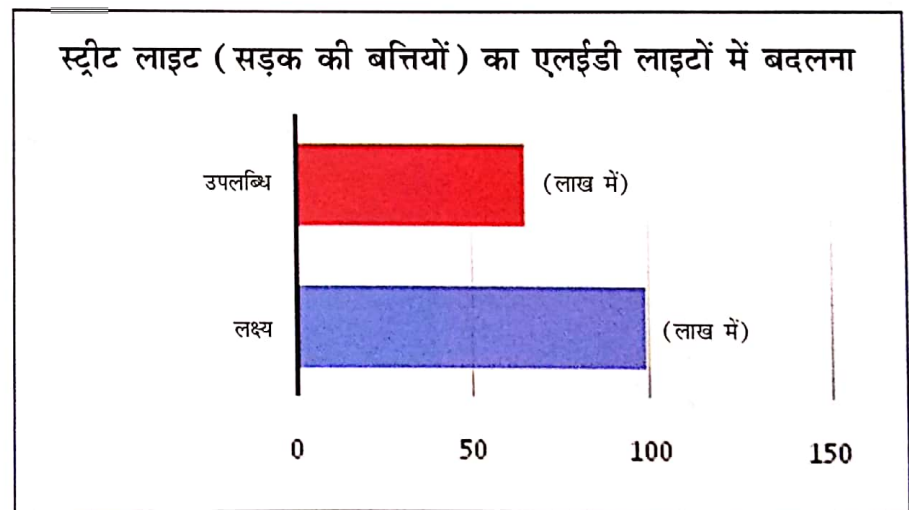
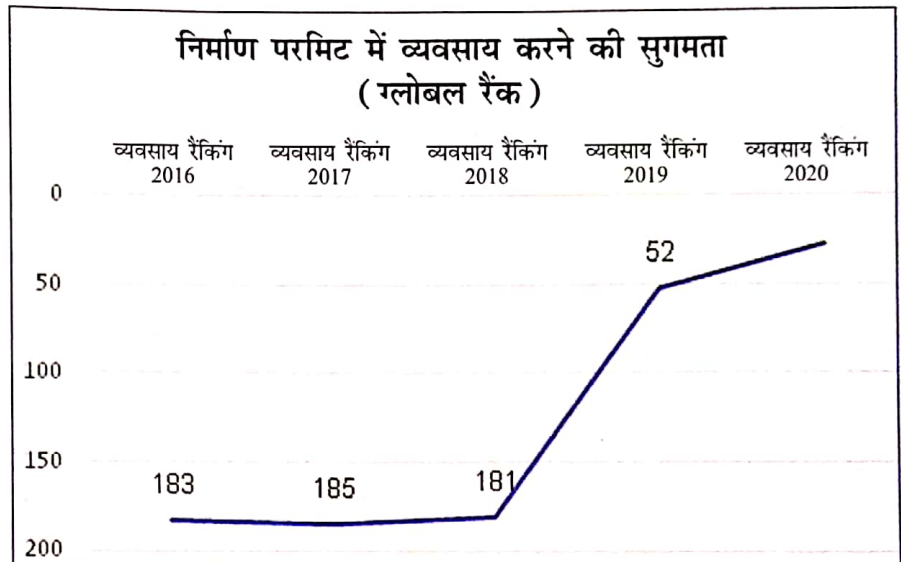
पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना : 65 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है। इससे प्रति वर्ष 139 करोड़ किलोवाट आवर्स की ऊर्जा बचत और कार्बनडाईऑक्साइड के उत्सर्जन में 11 लाख टन प्रति वर्ष की कमी हुई है।

क्रेडिट रेटिंग: कुल 485 अमृत शहरों में से 469 शहरों को क्रेडिट रेटिंग दी गई है, जहां क्रेडिट रेटिंग का काम करवाया गया था। एक सौ चौंसठ शहरों को निवेश योग्य ग्रेड (आईजीआर) का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 36 शहरों की रेटिंग ए और उससे अधिक है। कम रेटिंग वाले शहर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उपायों का पालन कर रहे

हैं ताकि वे क्रेडिट योग्य बनें और अपनी परियोजनाओं के लिए धनराशि जुटाएं।

नगरपालिका बांड: नगरपालिका बांडों के माध्यम से 2017-19 के दौरान 8 मिशन शहरों (अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, हैदराबाद, इंदौर, पुणे, सूरत और विशाखापत्तनम) द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 3,390 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। प्रोत्साहन के रूप में, मंत्रालय प्रति शहर 100 करोड़ रुपये तक बांड जुटाने,

जिसकी उच्चतम सीमा 200 करोड़ रुपये है, 13 करोड़ रुपये देता है। यह बॉन्ड की अवधि में 2 प्रतिशत के ब्याज सबवेंशन में तब्दील हो जाता है। 8 शहरों में बॉन्ड जुटाने के लिए 181 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बॉन्डों को जुटाने से शहरी स्थानीय निकायों में बेहतर प्रशासन, लेखा प्रणाली, वित्त, पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवाओं के प्रदान में सुधार हुआ है। हम अगले 4 वर्षों में कम से कम 50 शहरों को बॉन्ड जुटाने का





वर्षा जल
संचयन



अपशिष्ट जल का शोधन
के बाद इस्तेमाल



जल निकायों का
कायाकल्प



वृक्षारोपण

लक्ष्य देते हैं। इससे जरिये नागरिकों की सेवा करने के लिए उनकी आत्म-निर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

नगरपालिका के अधिकारियों की कार्य क्षमता को मजबूत करने के लिए, 52,673 अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

जल शक्ति अभियान - शहरी

जल के अभाव के राष्ट्रीय मुद्दे का हल खोजने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2019 से जल संरक्षण, पुनर्स्थापना, पुनर्भरण और पुनः उपयोग पर अभियान चलाकर जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया है। देश भर में जल-संकट से जूझते 754 शहरों में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की व्यापक गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण उपायों को जन आंदोलन बनाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/शहरी स्थानीय निकायों के साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सक्रिय रूप से भाग लिया है।

यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया गया : 1 जुलाई, 2019 और 15

सितंबर, 2019 के बीच चरण 1 और 30 सितंबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 के बीच चरण 2, उन राज्यों के लिए जहां से मानसून लौट रहा है। जल शक्ति अभियान (शहरी) के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

क. वर्षा जल संचयन: शहरी स्थानीय निकायों ने भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने और जल के भंडारण के लिए वर्षा जल संचयन सेल की स्थापना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और स्थापना के लिए कदम उठाये हैं।

ख. शोधन किये अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग: शहरी स्थानीय निकायों ने सार्वजनिक भवनों में दोहरी पाइपिंग संरचना का निर्माण किया है और बागवानी, कार धोने, फायर हाइड्रेंट, आदि के लिए शोधित जल का पुनः उपयोग किया है।

ग. जल निकायों का कायाकल्प: शहरी स्थानीय निकायों ने निर्जीव कुओं और जल निकायों को फिर से साफ करने और उनका जीर्णोद्धार के लिए कई अनेक कदम उठाये हैं।

घ. वृक्षारोपण: शहरी स्थानीय निकायों

ने शहरों में वृक्षारोपण अभियान चलाने के लिए स्थानीय समुदाय के सदस्यों को जुटाने का संकल्प लिया है।

आगामी योजनाएं

अमृत ने शहरी क्षेत्रों में जल और स्वच्छता कवरेज को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। परिकल्पना की गयी है कि मिशन की अवधि के दौरान 500 शहरों में बसी 60 प्रतिशत से अधिक शहरी आबादी को जलापूर्ति की सम्पूर्ण कवरेज के दायरे में लाया जायेगा और 60 प्रतिशत से अधिक को सीवरेज और सेप्टेज सेवाओं के कवरेज में लाया जायेगा। हालांकि, वर्तमान में 4,378 वैधानिक शहरों में से 3,500 से अधिक छोटे शहर/कस्बे जलापूर्ति और मल कीच (फेकल स्लज) और सेप्टेज प्रबंधन के बुनियादी ढांचे के निर्माण की किसी भी केंद्रीय योजना के तहत शामिल नहीं हैं। एसडीजी के लक्ष्य 6 जिसके तहत सभी के लिए जल और स्वच्छता के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, को ध्यान में रखते हुए और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बहुमूल्य जल के संरक्षण और विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने हेतु जल जीवन मिशन की घोषणा करने और 115 आकांक्षी जिलों की विशेष जरूरतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान निकालने के लिए, इस मिशन की उपलब्धियों को छोटे शहरों तक भी ले जाना अत्यावश्यक है। □

संदर्भ

1. एसडीजी 6.1 सुरक्षित पेयजल सुलभ कराने पर बल देता है और 6.3 का उद्देश्य "2030 तक, प्रदूषण कम करके, कचरा फेंकना बंद करके और हानिकारक रसायनों तथा सामग्रियों को कम से कम छोड़ कर पानी की गुणवत्ता सुधारना, अनुपचारित गंदे पानी का अनुपात आधा करना और दुनियाभर में पानी की रिसाइकिलिंग और सुरक्षित ढंग से दोबारा इस्तेमाल में अधिक वृद्धि करना है।
2. अमरावती में आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्रोत्साहन दिया गया है क्योंकि यह वहां शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का निर्वहन कर रहा है।



52344 नए वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना की जा चुकी है



1372 जल निकायों को देश भर में पुनर्जीवित किया गया है



इस जन आन्दोलन में 3.3 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं



6.7 लाख से अधिक पौधों को रोपा जा चुका है



40099 संस्थानों ने शोधित अपशिष्ट जल का प्रयोग आरम्भ कर दिया है

जल शक्ति अभियान के तहत प्रगति

भारत में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां-तथ्य और गलत धारणाएं

अनिरुद्ध कृष्ण

आधुनिक शहरों में नगर नियोजन में सौंदर्य बोध की दृष्टि से झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की गिनती हीनतर महत्व के स्थान के रूप में होती है। लेकिन वास्तव में झुग्गी-झोंपड़ियां महानगरों में आत्मनिर्भर सूक्ष्म-शहरों की तरह हैं जिनमें रहने वाले लोगों की बदौलत ही उद्योगों का चक्का चलता है और घर-गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ती है। झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों को उनके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दर्जे के लिहाज से आगे कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए सारी झुग्गी-बस्तियों पर एकसमान नीति लागू करने से संसाधनों का सही उपयोग संभव नहीं हो पाता। इस लेख में कई तथ्य और गलत धारणाओं के माध्यम से झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के बारे में एक समग्र चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों जैसे जटिल और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र को लेकर बहुआयामी नीति की आवश्यकता उजागर हो सके।

यह लेख भारत के तीन शहरों-बेंगलुरु, जयपुर और पटना की 279 झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले 10,000 से अधिक परिवारों के इंटरव्यू पर आधारित डेटाबेस के विविधतापूर्ण सैम्पल पर आधारित है। इसके लिए 2010 और 2016 के दौरान छह चरणों में मूल सर्वेक्षण किये गये जिनमें से चार बेंगलुरु में 2010, 2012, 2013 और 2015 में किये गये। जयपुर और पटना में 2016 में अगले दो चरणों के सर्वेक्षण हुए। हमने कई विधियों से सूचनाएं एकत्र कीं जिनमें झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के 15 साल के उपग्रह चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन, मौखिक इतिहास का संकलन, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय प्रोपर्टी ब्रोकरों के साथ साक्षात्कार और प्रत्येक शहर में बेतरतीब चयन के आधार पर हजारों परिवारों का सर्वेक्षण शामिल है। इन सर्वेक्षणों से कई तथ्य और कुछ गलतफहमियां उजागर हुईं। मैं यहां तीन महत्वपूर्ण तथ्यों और अक्सर होने वाली तीन गलतफहमियों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा।

तथ्य : सरकारी सूचियों में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की पूरी तरह पहचान नहीं की जाती और इन बस्तियों की जनसंख्या कम आंकी जाती है।

पिछले अनुसंधानों का अनुसरण करते हुए मैंने 2010 में पहला सर्वेक्षण किया था जिसके लिए कर्नाटक स्लम डिवेलपमेंट बोर्ड (कर्नाटक झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती विकास बोर्ड-के.एस.डी.बी.) से इस तरह की बस्तियों की एक सूची हासिल की थी। इस सरकारी सूची में से मैंने बिना किसी क्रम

के 14 बस्तियों का चयन किया। 1,481 परिवारों के रैंडम सैम्पल में से इंटरव्यू करने के बाद पता चला कि सरकारी सूची में जो झुग्गी बस्तियां शामिल की गयी हैं उनमें बेहद गरीब लोग नहीं बल्कि निम्न मध्यम वर्ग के बसे-बसाये परिवार रहते हैं। उनमें ऐसी बहुमंजिला पक्की इमारतों की भरमार है



66 प्रतिशत लोग तीन या उससे ज्यादा पीढ़ी से एक ही झुग्गी में रह रहे थे

डॉ. अनिरुद्ध कृष्ण अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में लोक नीति और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। ईमेल: ak30@duke.edu

जिनमें आम तौर पर बिजली कनेक्शन और स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादातर परिवारों में टेलीविजन सेट, प्रेशर कुकर और बिजली के पंखे भी हैं और गरीबी का स्तर शहरों के औसत से कम है (कृष्णा, 2013)। लेकिन शहर में ऐसी वस्तियां भी हैं जिनकी हालत झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों से भी बदतर हैं जिनमें जीवनयापन की स्थितियां बहुत अलग हैं और इनका उल्लेख सरकारी सूची में नहीं हुआ है।

झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया। सरकारी एजेंसियों ने अभी हाल ही में ऐसी वस्तियों में रहने वालों की जनगणना शुरू की है। 2001 की जनगणना में पहली बार झुग्गी वस्तियों को शामिल किया गया मगर इसमें बहुत कम संख्या में शहरों को शामिल किया गया। 2011 की जनगणना में पहली बार सभी शहरों में इस तरह की वस्तियों पर ध्यान दिया गया।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों की झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों की परिभाषा और उनकी गणना की प्रविधि अलग-अलग है, लेकिन आम तौर पर इन वस्तियों की जनसंख्या को कम करके आंका जाता है। झुग्गी वस्तियों की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित करके राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने 2008 में देश में 4.4 करोड़ झुग्गी वासियों की गणना की। लेकिन दूसरी परिभाषा (और यह भी आंशिक ही

उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से हमें कई ऐसी झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों का पता चला जो शहर की सरकारी सूची से नदारद थीं और जिनमें रहन-सहन की स्थितियां सरकारी तौर पर दर्ज झुग्गियों से भी कहीं बदतर थीं। सरकारी सूची में शामिल होने से छूट गयी एक तरह की वस्तियां 'नीले बहुभुज' के आकार की हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें झुग्गी बनाने के लिए चार खंभे गाड़ कर उनके चारों ओर नीली प्लास्टिक की चादर लपेट दी जाती है और ये उपग्रह से लिए गये चित्रों में नीले रंग के चतुर्भुज की तरह की नजर आती हैं।

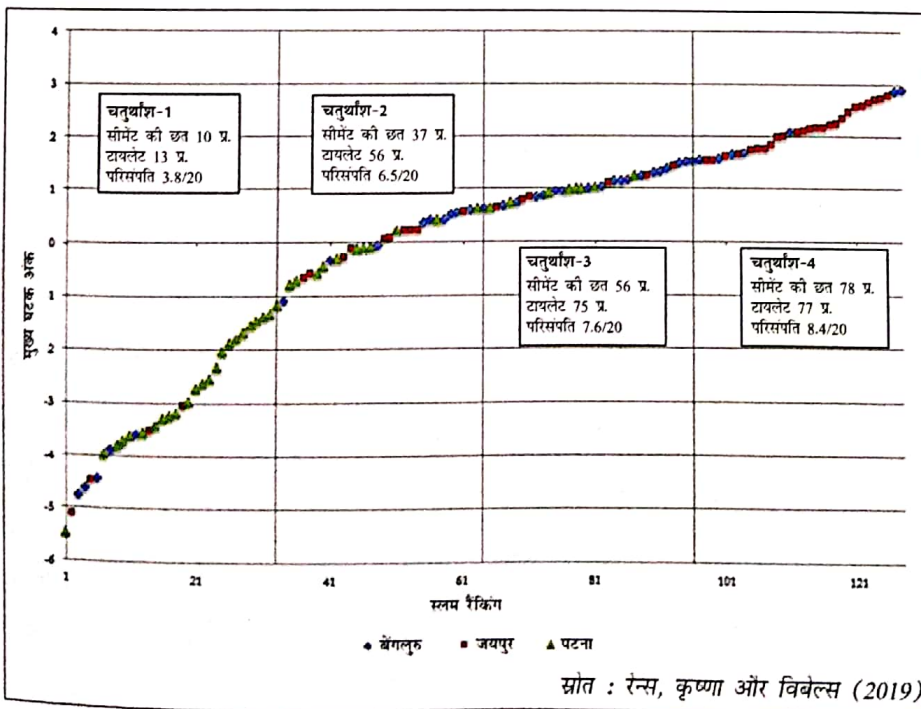
थी) अपनाते हुए जनगणना विभाग ने 2011 में झुग्गीवासियों की संख्या 6.5 करोड़ आंकी। झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण यू.एन.-हैबिटेट ने 2014 में भारत में झुग्गीवासियों की जनसंख्या 10.4 करोड़ होने का अनुमान लगाया। यह संख्या विभिन्न शहरों में स्वतंत्र अनुसंधान करने वालों द्वारा आकलित आबादी के काफी करीब है।

उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से हमें कई ऐसी झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों का पता चला जो शहर की सरकारी सूची से नदारद थीं और जिनमें रहन-सहन की स्थितियां सरकारी तौर पर दर्ज झुग्गियों से भी कहीं बदतर थीं। सरकारी सूची में शामिल होने से छूट गयी एक तरह की वस्तियां 'नीले बहुभुज' के आकार की हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें झुग्गी बनाने के लिए चार खंभे गाड़ कर उनके चारों ओर नीली प्लास्टिक की चादर लपेट दी जाती है और ये उपग्रह से लिए गये चित्रों में नीले रंग के चतुर्भुज की तरह की नजर आती हैं। (चित्र-2)। इस तरह की झुग्गियों की छत नीले तिरपाल की (या काले अथवा भूरे या कभी-कभी, जैसा पटना में है घास-फूस की) बनी होती है। इस तरह की अनगढ़ बसावट सबसे हीनतम शहरी झुग्गी वस्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक देखी गयी है। सात गुणा सात फुट की तंबूनुमा झुग्गी में 3 से 5 सदस्यों का परिवार रहता है। रहन-सहन की दयनीय स्थितियों वाली अन्य झुग्गियां भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलतीं।

इस तरह की बसावटों और गरीबों की अन्य वस्तियों को छोड़ देने से सरकारी रिकॉर्ड से झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों की स्थिति के बारे में ऐसा चित्र उभरकर सामने आता है जो वास्तविकता से एकदम अलग होता है।² कई राज्य तो अपने यहां झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों के होने तक से इनकार करते हैं, जबकि यह बात वास्तविकता से कोसों दूर है।

तथ्य : हर शहर की झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों में रहन-सहन की कई तरह की स्थितियां होती हैं जिनका एक जैसा सिलसिला होता है। जबकि वास्तव में विभिन्न अवसरों पर लोगों की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। इसलिए इस तरह की सभी वस्तियों के लिए कोई एकसमान और मानकीकृत नीतियां उपयोगी नहीं होतीं।

यूएन-हैबिटेट (संयुक्त राष्ट्र मानव बसावट कार्यक्रम) में झुग्गी-झोंपड़ी वस्तियों की पहचान करने के लिए पांच मानदंड निर्धारित किये गये हैं। इनमें से हर एक का संबंध जीवनयापन की उन स्थितियों से है जिसकी झुग्गी बस्ती में आम तौर पर कमी



चित्र 1 : झुग्गी-झोंपड़ियों की रैंकिंग और संबंधित सिलसिले का स्कोर



चित्र 2 : विभिन्न प्रकार की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के अंतर्हीन सिलसिले में स्थितियाँ

रहती है, जैसे मजबूत स्थायी आवास, रहने के लिए पर्याप्त जगह, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच और निवास की सुनिश्चित अवधि का आश्वासन। हमने इन मानदंडों को परिवार और पड़ोस स्तर की सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए लागू किया और प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों को जोड़कर प्रत्येक झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती के लिए समेकित अंक निर्धारित किये। चित्र-1 में इस विश्लेषण के नतीजों को दर्शाया गया है। इससे सभी प्रकार की झुग्गी-झोंपड़ियाँ चार हिस्सों में विभाजित हो जाती हैं।

हर शहर में कई झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियाँ होती हैं। हालांकि विभिन्न स्तरों की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के मामले में बेंगलुरु और जयपुर शीर्ष पर हैं, मगर बेहद मलिन स्थितियों वाली ऐसी बस्तियाँ हर शहर में पायी जाती हैं। ये ऐसी बस्तियाँ हैं जो आम तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होतीं।

चित्र 2 में बेंगलुरु की सबसे निचले, मध्यम और शीर्ष स्तर की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों को अलग-अलग प्रदर्शित किया गया

है। ऐसी सभी बस्तियों को झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती कहा जाता है। हालांकि इन सब को झुग्गी बस्ती कहा जाता है, मगर इनमें अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।

विभिन्न प्रकार की झुग्गी-बस्तियों में जीवनयापन की स्थितियों में भारी अंतर पाया जाता है, लेकिन सबसे निचली स्तर की एक चौथाई बस्तियों में रहने वाले अपने खर्च का औसतन 59 प्रतिशत भोजन पर व्यय करते हैं जो कि सबसे ऊपर के स्तर की झुगियों वाले चौथाई भाग में घट कर 47 प्रतिशत हो जाता है। इसी तरह उनके पेशे, आमदनी और शिक्षा के स्तर में भी अंतर होता है।

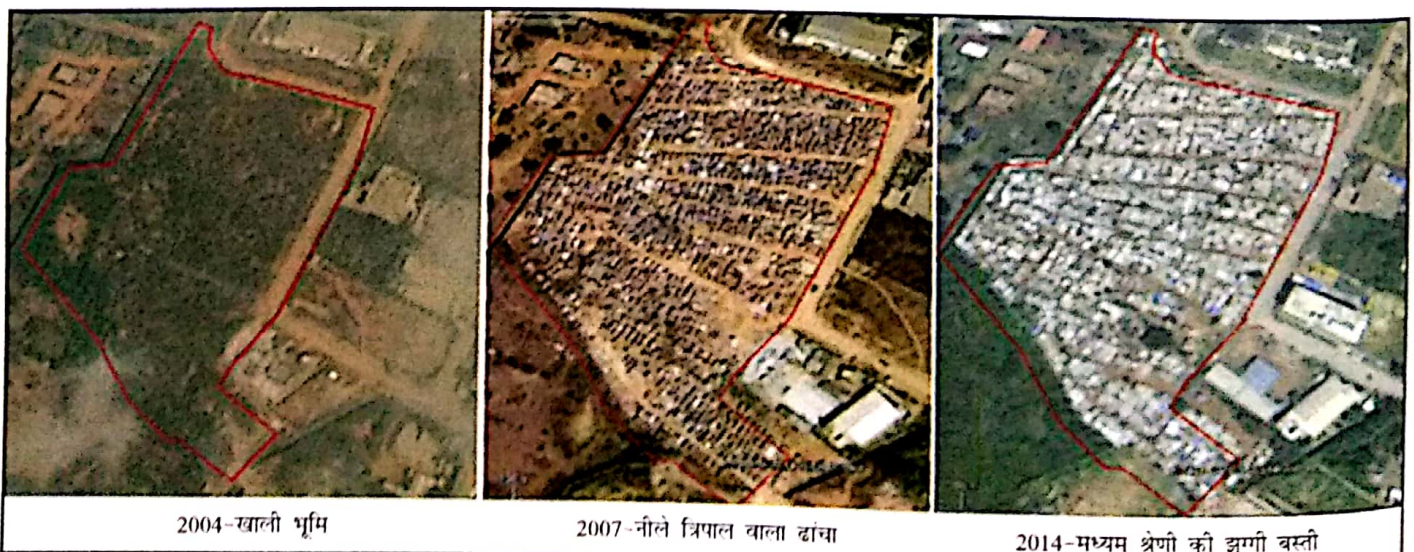
विभिन्न प्रकार की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वालों की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं और उन्हें अलग-अलग तरह की सार्वजनिक मदद की आवश्यकता होती है। सबसे निचले स्तर की एक-चौथाई बस्तियों में सबसे बड़ी आवश्यकता पीने के पानी की होती है (इस बारे में 27 प्रतिशत झुग्गीवासियों ने शिकायत की), आवास (27 प्रतिशत) और शौचालय की जरूरत 25 प्रतिशत ने बताई। सबसे ऊपरी

स्तर की चौथाई झुग्गी बस्तियों के लोगों की चिंता का विषय था कूड़े-करकट का प्रबंधन (25 प्रतिशत)। इसके बाद रोजगार के लिए प्रशिक्षण चिंता का विषय रहा (14 प्रतिशत)।

साझा झुग्गी बस्ती नीति पर अमल करने का मतलब यह नहीं है कि संसाधनों का अच्छा उपयोग हो रहा है। विभिन्न प्रकार की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियाँ कौन हैं इसकी जानकारी होने से सरकारी धन का अधिक सार्थक और कारगर उपयोग होता है।

तथ्य : पारम्परिक सर्वेक्षण विधियाँ तीव्र गति से हो रहे बदलावों के साथ कदम मिलाकर चलने में असमर्थ हैं। उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के नक्शे तैयार करने और उन्हें अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत करने में मदद मिलती है।

चित्र 3 पर विचार कीजिए। इसमें पता चलता है कि बेंगलुरु की एक झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती में पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेजी से बदलाव हुए हैं। ऐसी प्रत्येक बस्ती के 2000 से 2015 तक की अवधि में उपग्रह चित्रों की तुलना करने से तेजी से बदलाव

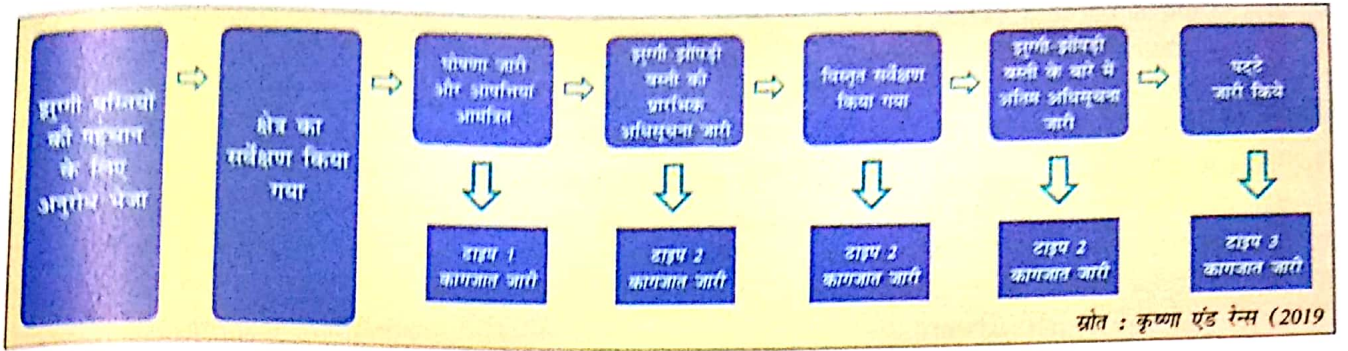


2004-खाली भूमि

2007-नीले त्रिपाल वाला ढाँचा

2014-मध्यम श्रेणी की झुग्गी बस्ती

चित्र 3: समय के साथ आये बदलाव का आकलन - आश्रयनगर, बेंगलुरु



चित्र 4 : सरकारी अधिसूचना प्रक्रिया (बेंगलुरु)

के अन्य उदाहरणों का भी पता चला। इन बदलावों में कुछ नयी शुग्गी बस्तियों का निर्माण और पुरानी भंग करना या हटाया जाना, शुग्गी बस्तियों के बाहरी भाग में नये घरों के बनने से उनकी सीमाएं बदल जाना, अंदरूनी गलियों का पुनर्निर्धारण और नये लैंडमार्कों का जुड़ना शामिल हैं। शहर में सैकड़ों शुग्गी बस्तियों में एकसाथ बड़ी तेजी से हो रहे बदलावों के सामने शहरी सुधार बोर्डों और नगर निकायों की बुनियादी स्तर की सर्वेक्षण क्षमता चरमरा जाती है। यही वजह है कि सरकारी रिकॉर्ड अधूरा और पुराना पड़ जाता है।

उपग्रह से प्राप्त चित्रों का विश्लेषण करके स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। उपग्रह चित्र छोटी-छोटी बिंदियों से मिलकर बने होते हैं और बड़े आकार वाली बिंदियों से बनी तस्वीरें कई तरह से उपयोगी होती हैं जिनमें शुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की प्रारंभिक पहचान करना भी शामिल है। ऐसे चित्र गूगल अर्थ पर निःशुल्क उपलब्ध हैं जबकि सूक्ष्म बिंदियों वाले चित्र खरीदे जा सकते हैं। नगरपालिकाएं अपने कर-आधार के सही-सही मानचित्रण के लिए जितनी राशि खर्च करती हैं या जितनी राशि उन्हें खर्च करना चाहिए, उसके मुकाबले गूगल अर्थ से खरीदे जाने वाली तस्वीरों के दाम बहुत ही कम बैठते हैं।

कम्प्यूटर वैज्ञानिकों, शहरी भूगोलवेत्ताओं और समाज वैज्ञानिकों जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से बनी हमारी अनुसंधान टीम ने इस कार्य में उपग्रह चित्रों के विश्लेषण की उपयोगिता साबित कर दी है।³ उपग्रह चित्र के विश्लेषण (जो कम्प्यूटर वैज्ञानिक और भूगोलवेत्ता की देखरेख में किया जाता है) और क्षेत्र में जाकर पुष्टि (जो समाज वैज्ञानिक की निगरानी में होता है) के कार्य

को बार-बार दोहराने के बाद हमने एक ऐसी प्रविधि और सूत्र विकसित कर लिया है जिसके जरिए शुग्गी बस्तियों की पहचान, उनकी हदबंदी और उनके वर्गीकरण का कार्य अर्ध-स्वचालित तरीके से किया जा सकता है। हमें यह विधि कर्मचारियों द्वारा इलाके में जाकर सर्वेक्षण करने के मुकाबले काफी किफायती लगी। इतना ही नहीं, यह अधिक सही भी है और इसमें मानवीय त्रुटियों की (भूल से या जान-बूझकर की जाने वाली) आशंका भी कम है। अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और दूसरे देशों में उपग्रह चित्रों के विश्लेषण की तकनीक का उपयोग कारगर तरीके से किया है।

बस्तियों के रिकॉर्ड को नियमित रूप से और विश्वसनीय तरीके से अद्यतन करने के लिए उपग्रह चित्र विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। अगर सरकार शुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों का विश्वसनीय रिकॉर्ड तैयार करने के बारे में संजीदा है तो उसे उपग्रह चित्र विश्लेषण का अन्य प्रविधियों के साथ उपयोग करके अन्वेषण क्षमताओं का विकास और उपयोग करने में निवेश करना चाहिए।

गलत धारणा : बुनियादी सेवाएं और संपत्ति के बेचे जाने योग्य पट्टे प्राप्त करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की जरूरत पड़ती है।

कानून में व्यवस्था है कि शुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले नगरपालिका सेवाओं और जमीन के पट्टे तभी हासिल कर सकते हैं जब उनकी शुग्गी बस्ती के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी अधिसूचना जारी हो जाए। बेंगलुरु में शुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के बारे में अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया वहां के स्लम एक्ट (शुग्गी-झोंपड़ी बस्ती कानून) में की गयी है। (चित्र 4 में इस

प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है)।

कानून के अनुसार यह प्रक्रिया काफी सरल लगती है लेकिन व्यवहार में अधिसूचना से स्थिति अस्पष्ट हो सकती है।

इस संबंध में शहरों की स्थिति भिन्न है, मगर बेंगलुरु में तीन अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के पास शुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की तीन अलग-अलग सूचियां हैं।⁴ हमने अपने डेटाबेस से 75 शुग्गी बस्तियों के रैंडम सैम्पल लिए और तीनों सरकारी सूचियों में इनको ढूंढा। हमने वहां के निवासियों से अपने इलाके को लेकर जारी अधिसूचना की स्थिति के बारे में उनकी धारणा के बारे में सवाल किया।

जिन शुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों का मिलान नहीं हो सका उनकी संख्या मिलान होने वाली बस्तियों की तुलना में बहुत अधिक थी। हमने जिन 75 शुग्गी बस्तियों के बारे में विचार किया उनमें से केवल दो ही ऐसी थीं जो तीनों सरकारी सूचियों से मेल खाती थीं। बाकी 73 किसी सूची में अधिसूचित तो किसी में गैर अधिसूचित पायी गयीं।

अधिकार क्षेत्र अस्पष्टता और इस कार्य के लिए कई एजेंसियों के होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। नतीजतन यह बात विश्वासपूर्वक नहीं कही जा सकती कि कौन सी बस्ती अधिसूचित है और कौन सी नहीं है। अधिसूचना की स्थिति को लेकर सरकारी रिकॉर्ड में जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुकाबले शुग्गी बस्तियों के निवासियों की धारणा ज्यादा माने रखती है।⁵

कानूनी प्रावधानों और रोजमर्रा के व्यवहार में यह विसंगति यहीं तक सीमित नहीं है। कर्नाटक स्लम विकास बोर्ड, वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (नगर निगम) और पूर्ववर्ती ग्राम पंचायतों की ओर से बेंगलुरु

की झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को संपत्ति के विभिन्न प्रकार के 18 दस्तावेज जारी किये गये हैं। इन्हें अधिसूचना जारी होने के विभिन्न चरणों में जारी किया गया (जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है)।

इनमें से प्रत्येक दस्तावेज को आम तौर पर संपत्ति का पट्टा माना जाता है, लेकिन इस तरह के दस्तावेज को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में रखा जाता है और मालिकाना हक की दृष्टि से जो संपत्तियां उत्तरोत्तर अधिक महत्वपूर्ण होती जाती हैं। टाइप-1 संपत्तियों के दस्तावेज (जिनमें बायोमीट्रिक कार्ड, परिचय पत्र, गुरुटिना चिट्ठी और थिलुवालिका पत्र शामिल हैं) अधिसूचना से पहले जारी किये जाते हैं। ये रहने का अधिकार और उत्तराधिकार का अधिकार तो प्रदान करते हैं, संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान नहीं करते। टाइप-2 दस्तावेज (झुग्गी-झोंपड़ी बस्ती की अधिसूचना के बाद जारी) कब्जे का अधिकार देने के साथ-साथ कुछ शर्तें पूरा करने पर 10 या 30 साल बाद बिक्रीयोग्य पट्टे का अधिकार भी प्रदान करते हैं। इसके उदाहरणों में हक्कू पत्र, स्वामित्व प्रमाणपत्र, लीज डीड और हॉचिके पत्र शामिल हैं। टाइप-3 दस्तावेज में (बिक्री योग्य पट्टे) स्वामित्व का स्पष्ट अधिकार प्रदान करते हैं, खास तौर पर तब जब संपत्तिकर के भुगतान का प्रमाण संलग्न किया गया हो। झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में एक चौथा प्रकार (टाइप-0) भी पाया जाता है जिसमें कोई कागजात नहीं होते। यह प्रकार सबसे निचले स्तर पर होता है। ऐसी बस्तियां बिना किसी दस्तावेज के होती हैं। हमारे बंगलुरु नमूने की झुग्गी बस्तियों में 35 प्रतिशत के पास टाइप-3 के, 40 प्रतिशत के पास टाइप-1 या टाइप-2 के दस्तावेज थे और 26 प्रतिशत के पास संपत्ति संबंधी कोई भी कागजात (टाइप-0) नहीं पाया गया।

कानून के अनुसार टाइप-2 या टाइप-3 के कागजात हासिल करने के लिए अधिसूचना पूर्वशर्त है। व्यवहार में कानून पर असमान रूप से अमल होता है। ऐसी भी झुग्गी बस्तियां हैं जो अधिसूचित नहीं हुई हैं लेकिन जिनमें रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास टाइप-2 या टाइप-3 के कागजात हैं। इसके उलट ऐसी भी झुग्गी बस्तियां हैं

**गतिशीलता की कमी
झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों
की स्थितियों को अधिक सटीक
तरह से प्रदर्शित करती है।
झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को
अपने मौजूदा घरों में औसतन 21
साल से रहता पाया गया। अधिकतर
(66 प्रतिशत) तीन पीढ़ियों से भी
अधिक समय से उसी जगह रह रहे
थे। तीनों शहरों और अनेक झुग्गी
बस्तियों के केवल 27 प्रतिशत
निवासी पहली पीढ़ी के प्रवासी थे
और इनमें से केवल आधे ग्रामीण
क्षेत्रों से आये थे।**

जिनको अधिसूचित नहीं किया गया है (कम से कम एक सरकारी सूची के अनुसार) लेकिन उसमें रहने वालों के पास टाइप-1 के कागजात हैं।

इसी तरह सिद्धांत में किसी शहर को नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, कूड़ा उठाने, सीवरेज, आंतरिक सड़कों और सड़कों पर रात के समय स्ट्रीट लाइटों जैसी नागरिक सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जो स्थान सरकारी दस्तावेजों में मौजूद ही नहीं हैं उनमें हुए सार्वजनिक खर्च को उचित नहीं ठहराया जा सकता। व्यवहार में कई अनधिसूचित झुग्गी बस्तियों में सेवाओं और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की गयी है, जबकि कई अधिसूचित झुग्गी बस्तियां सुविधाओं के दायरे से बाहर हैं। इस तरह प्रशासनिक विवेक का इस्तेमाल न करने से भ्रष्ट तौर-तरीकों का खतरा और भी बढ़ जाता है।

गलत धारणा : सम्पत्ति का पट्टा न होने से झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों के निवासी अपनी संपत्ति बेच या बंधक नहीं रख पाते।

सिद्धांत रूप में टाइप-3 के दस्तावेज वाली संपत्तियां बिक्री के योग्य होती हैं। अन्य तरह के दस्तावेज वाली संपत्तियों के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होता। लेकिन



लगभग सभी स्लम निवासी अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाते हैं

व्यवहार में सभी तरह के दस्तावेज वाली संपत्तियां आसानी से खरीदी-बेची जा सकती हैं। इसके लिए बंगलुरु में अपनाया जाने वाला सामान्य तरीका है जनरल पावर ऑफ एटॉर्नी यानी मुख्तारनामा जो खरीदार और बेचने वाले के बीच होता है और जिसमें अन्य दस्तावेज संलग्न किये जाते हैं। इसके माध्यम से बेचने वाला भविष्य में सभी अधिकार खरीदार को सौंप देता है और बेचने वाले को भविष्य में इसी तरह के लेन-देन में मदद देने का आश्वासन देता है। इस दस्तावेज पर परिवार के सभी सदस्यों के दस्तखत होते हैं और उनके फोटो तथा पहचान पत्र भी नत्थी किये जाते हैं। इसपर गवाहों के भी हस्ताक्षर होते हैं और इन्हें तैयार करने में वकीलों की भी भूमिका रहती है। एक ऐसा सक्रिय और अनौपचारिक बाजार भी उपलब्ध है जो सरकारी दस्तावेज की तरह दिखने वाले कागजात तैयार कर क्रेता और विक्रेता को संपत्ति के कागजात की सीमाओं संबंधी बाधाओं से बचाकर अनौपचारिक संपत्तियों की लेनदेन में मदद करता है। सभी तरह की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की संपत्तियों की बिक्री की जा सकती है लेकिन नीले बहुभुज वाली बस्तियों और कानूनी विवाद में फंसी संपत्तियों की बिक्री अपेक्षाकृत कम ही हो पाती है।

किसी भी वर्ष में झुग्गी-बस्तियों की औसतन दो प्रतिशत संपत्तियां इसी तरह से खरीदी और बेच दी जाती हैं। इस तरह के लेनदेन के लिए कोई कर नहीं चुकाया जाता जिससे नगरपालिका के संभावित राजस्व का नुकसान होता है।

गलत धारणा : झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियां अस्थायी रूप से निवास के स्थान हैं जो ग्रामीण प्रवासियों को शहरी मध्यम वर्ग में ले जाने वाली कनवेयर बेल्ट का काम करते हैं।

गतिशीलता की कमी झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों की स्थितियों को अधिक सटीक तरह से प्रदर्शित करती है। झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों को अपने मौजूदा घरों में औसतन 21 साल से रहता पाया गया। अधिकतर (66 प्रतिशत) तीन पीढ़ियों से भी अधिक समय से उसी जगह रह रहे थे। तीनों शहरों और अनेक झुग्गी बस्तियों के केवल 27 प्रतिशत निवासी पहली पीढ़ी के प्रवासी थे और इनमें से केवल आधे ग्रामीण क्षेत्रों से आये थे।

व्यावसायिक दर्जे के लिहाज से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच प्रगति नाम मात्र की रही। हमने शहरी भारत के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले छह-श्रेणी के व्यावसायिक वर्गीकरण के आधार पर पिता और पुत्र के व्यवसायों की तुलना की। आम तौर पर पाया गया कि लोग अपने पिता के ही व्यावसायिक वर्ग में नियोजित पाये गये (चाहे वे प्रथम श्रेणी के पद हों या दिहाड़ी मजदूर, कारखानों के कामगार या कूड़ा बीनने वाले)। नयी पीढ़ी के कुछ लोगों ने (29 प्रतिशत) उन्नति की है। लेकिन सबसे आम रुझान प्रथम श्रेणी के पिता से द्वितीय श्रेणी के बेटे के रूप में नजर आया जो सकारात्मक है मगर उसमें सीमित गतिशीलता देखी गयी। इसके उलट 14 प्रतिशत मामलों में गिरावट का रुझान देखा गया जिसमें द्वितीय श्रेणी के पिता का बेटा प्रथम श्रेणी के पद में आसानी देखा गया।

कुल मिलाकर ठहराव की स्थिति झुग्गियों की खास पहचान बन गयी है चाहे इसकी जांच परिवार के स्तर पर की जाए या आस-पड़ोस के स्तर पर। 15 साल के अरसे के उपग्रह चित्रों की जांच से पता चलता है कि बहुत कम इलाके भौतिक विशेषताओं के लिहाज से झुग्गी बस्तियों से गैर झुग्गी बस्तियों में बदले। जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है कुछ इलाकों में समय के साथ-साथ सकारात्मक भौतिक परिवर्तन हुए, खास तौर पर छत बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के लिहाज से। बहुत कम स्थानों में (एक प्रतिशत) दिखाई देने वाली एक से अधिक वजहों से सकारात्मक बदलाव हुए। बहुत से अन्य इलाकों में इनमें गिरावट देखी गयी।

लगभग सभी झुग्गी-झोंपड़ी निवासी, भले ही वे बेहतरीन झुग्गी बस्ती में ही क्यों न रहते हों, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पा जाते हैं। 5 प्रतिशत से कम उत्तरदाताओं के पास ऐसे रोजगार थे जिनमें एक निश्चित कार्यकाल के लिए सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के लाभ भी थे। उन्हें आगे बढ़ाने की संभावनाओं में सुधार के लिए ऐसे जोखिमों और कमजोरियों को उत्तरोत्तर कम करने की आवश्यकता थी जो अनौपचारिक स्थितियों में रहने और कार्य करने से उत्पन्न होती हैं। □

संदर्भ

1. कृष्णा, अनिरुद्ध (2013) "स्टक इन प्लेस: इन्वेस्टिगेटिंग मोशल मोबिलिटी इन 14 बंगलुरु स्लम्स", जर्नल ऑफ़ डिवेलपमेंटल स्टडीज़, 49 (7): 1010-28
2. विबेल्स, एरिक, अनिरुद्ध और एम.एम.श्रीराम (2018) "सेटेलाइट्स, स्लम्स एंड मोशल नेटवर्क्स: एविडेंस ऑन द ऑरिजिनस एंड कॉन्सीक्वेंसेज ऑफ़ प्रॉपर्टी राइट्स फ्राम 157 स्लम्स इन बंगलुरु" वर्किंग पेपर, राजनीति विज्ञान विभाग, ड्यूक विश्वविद्यालय
3. रेन्स, एमिली, अनिरुद्ध कृष्णा, और एरिक विबेल्स। (2019). "कॉम्प्युटिंग सेटेलाइट एंड सर्वे डेटा टू स्टडी इंडियन स्लम्स : एविडेंस ऑन द रैंज ऑफ़ कंडीशन्स एंड इम्प्लिकेशन्स फॉर अर्बन पॉलिसी." एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन, 31 (1) : 267-92
4. कृष्णा, अनिरुद्ध और एमिली रेन्स। (2019) "बिद्वीन जीरो एंड वन : ए कंट्रीन्यूअम ऑफ़ प्रॉपर्टी राइट्स इन स्लम्स ऑफ़ बंगलुरु." वर्किंग पेपर, स्टैनफर्ड स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसी, ड्यूक यूनिवर्सिटी।

अंतिम टिप्पणियां

1. एक सरकारी रिपोर्ट में सरकारी रिकॉर्ड में इसी तरह की दूसरी कमियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। देखिए भारत सरकार। (2010)। रिपोर्ट ऑफ़ द कमीटी ऑन स्लम स्टेटिस्टिक्स/ सेंसस। नई दिल्ली: भारत सरकार, आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन। http://mhupa.gov.in/W_new/Slum_Report_NBO.pdf;
2. <http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/WHDD-2014-Background-Paper.pdf>. पर उपलब्ध।
3. उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना में बताया गया है कि 94 प्रतिशत झुग्गी-झोंपड़ीवासी पक्के या अधपक्के घरों में रहते हैं। लेकिन हमारे नमूने के लोगों में से 72 प्रतिशत ही ईट, लकड़ी, या सीमेंट के पक्के मकानों में रहते हैं। बाकी दड़बों या मिट्टी अथवा टिन की झोंपड़ियों में रहते हैं। जनगणना में यह भी अनुमान लगाया गया है कि 53 प्रतिशत परिवार अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, लेकिन एक नमूने में यह संख्या इसकी आधा बतायी गयी है।
4. इस अनुसंधान दल का नेतृत्व राजू वत्सवानी (कम्प्यूटर साइंस, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी), निखिल काजा (अर्बन जियोग्राफर, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी, चैपल हिल) और एरिक विबेल्स और मैने (सामाजिक विज्ञानी, ड्यूक विश्वविद्यालय) किया। इस अनुसंधान के विभिन्न हिस्सों के लिए अनुदान के वास्ते हम ड्यूक विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल ग्रेथ सेंटर और ओमिदयार फाउंडेशन तथा उपग्रह चित्रों के लिए डिजिटल ग्लोब के प्रति आभारी हैं।
5. क्रमशः केएसडीबी (स्लम बोर्ड), बीबीएमपी (नगर निगम), और आशा किरण माहिती (राज्य सरकार का नगर प्रशासन विभाग)
6. इसी तर्क को विबेल्स, कृष्णा और श्रीराम ने आगे बढ़ाया है (2018)।

शहरीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र

अरूप मित्रा

लेख में चर्चा की गई है कि कैसे प्रवासन जैसे शहरी मुद्दे अनौपचारिक क्षेत्र और शहरी व ग्रामीण भारत में जीवन स्तर के समस्त पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रवासन, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, रोज़गार और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़ी आबादी की मौजूदगी सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

अच्छा जीवन, जिसका एक महत्वपूर्ण आयाम बेहतर रोज़गार के अवसरों तक पहुंच है, विशेष रूप से वैश्वीकरण के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माकूल है। आज की विकास प्रक्रिया में अनौपचारिकता है, उदाहरण के लिए, उत्पादन प्रक्रिया में उप-अनुबंधन और विभिन्न अन्य संरचनाएं हैं जिसके कारण श्रमिक की मांग क्षमता घट जाती है। कुल मिलाकर, अनौपचारिकता प्रक्रिया से जनकल्याण में प्रचुर कमी और प्रशासन में गिरावट की आशंका है। परन्तु, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त आजीविका अवसरों के कारण शहरी अनौपचारिक क्षेत्र जो कम उत्पादकता के लिए जाना जाता है, प्रवास का आकर्षण केंद्र है। शहरीकरण के सम्मुख यह गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करता है। हालांकि भारत में गांव से शहर प्रवासन दर अधिक नहीं है लेकिन गांव-से-बड़े शहर की जनसंख्या में ये प्रवाह हमेशा से भयप्रद रहा है। इस प्रकार, शहर के विकास, अनौपचारिक क्षेत्र के रोज़गार, निम्न जीवन स्तरों जिसमें मलिन बस्ती में वास शामिल है में अनेक समान मसले हैं।

स्पष्ट रूप से, जबकि नए शहरी भारत ने हर तरफ से निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कुशल नीतियां लागू की हैं, जिनसे सिद्धहस्त लोगों को प्रचुर अवसर प्राप्त होते हैं लेकिन साथ ही कुछ शहरी बुराइयां भी कायम रहती हैं जिन्हें कई दशकों से देखा गया है।

प्रवास और अवसर

उच्च ग्रामीण साक्षरता और शैक्षिक स्तर में सुधार गांव से शहर प्रवासन दर को बढ़ाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित सामाजिक वर्गों की मौजूदगी ने भी प्रवासन दर को प्रेरित किया है जिससे इस दृष्टिकोण का समर्थन होता है कि वे अपनी नाजुक स्थिति से बचने के लिए पलायन करते हैं। हालांकि, दिलचस्प तथ्य तो यह है कि प्रवासन ग्रामीण और शहरी गरीबी को घटाता है। दूसरे शब्दों में, शहरी क्षेत्र में जाने से ग्रामीण गरीबों को बेहतर आजीविका अवसर मिल पाते हैं और इस प्रकार गरीबी में कमी आती है। स्पष्ट नजरिये से देखा जाये तो शहरी अनौपचारिक क्षेत्र कम उत्पादकता

वाली गतिविधियां होने के बावजूद ग्रामीण रोज़गार क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रतीत होता है (मित्रा, 2019)। शहरीकरण और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार से जुड़ने की दर में बढ़ोतरी अवश्य ही प्रवासन से जुड़ी हुई है, जो यह सुझाता है कि श्रम बाजार से संबद्ध लोगों के प्रवास की संभावना अधिक होती है, और प्रवास के बाद उनके श्रम क्षेत्र से बाहर जाने के बजाय रोज़गार में बने रहने की अपेक्षा होती है। चूंकि कम आय वाले घरों से बड़ी संख्या में लोगों का बेरोज़गारी झेलना संभव नहीं है, इसलिए जीवन स्तर में सुधार, चाहे वह कितना कम क्यों न भी हो, उल्लेखनीय हो सकता है। वास्तव में, ऐसे



ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त आजीविका के अवसर प्रवास को आकर्षित करते हैं

लेखक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ़ इकोनॉमिक ग्रोथ (अवकाश पर) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। ईमेल: arup@iegindia.org

चलन उन राज्यों में देखे जाते हैं जो दूसरों की तुलना में अधिक शहरीकृत हैं।

प्रवासन, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के रोज़गार और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़ी आबादी की मौजूदगी सभी एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हैं और यह सुझाते हैं कि इस तरह के समूहों के प्रवास और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ने की संभावना अधिक होती है। हालांकि, ऐसा होने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी की दर में गिरावट आती है। शहरीकरण अनिवार्य रूप से गैर-घरेलू विनिर्माण और सेवाओं से जुड़े ग्रामीण और शहरी कार्यबल के साथ जुड़ा हुआ है, जो घटी हुई ग्रामीण और शहरी गरीबी के पैटर्न का कारण हो सकता है लेकिन इसे शहरीकरण के साथ संबद्ध समझा जाता है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र में गरीबों की मौजूदगी अधिक देखी गयी है; इसलिए गरीबी में कमी लाने के दृष्टिकोण से प्रवास के साथ या प्रवास के बिना किसी भी प्रकार का विविधीकरण वांछनीय है। यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र के आकार और शहरीकरण की सीमा के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है, लेकिन आजीविका के स्रोत प्रदान करने में शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। वास्तव में, शहरीकरण में तेजी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन में तेजी आती है क्योंकि शहरीकरण के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने वाले प्रभावों से नई गतिविधियों और अवसरों की शुरुआत होती है।

शहरीकरण, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार से जुड़ने की दर में बढ़ोतरी अवश्य ही प्रवासन से जुड़ी हुई है, जो यह दर्शाता है कि श्रम बाजार से संबद्ध लोगों के प्रवासन की संभावना अधिक होती है, और प्रवास के बाद उनके श्रम क्षेत्र से बाहर जाने के बजाय रोज़गार में बने रहने की अपेक्षा होती है।

कुछ पूर्ववर्ती लेखन के अनुसार अनौपचारिक व्यापार और सेवाएं अवशिष्ट प्रकार की होती हैं (उडाल, 1976), हालांकि अनौपचारिक विनिर्माण बड़े स्तर के औद्योगिकरण से जुड़ा हो सकता है। परन्तु, कुछ अपवादों के अलावा अनुभवजन्य आंकड़े हमें बताते हैं कि विनिर्माण, व्यापार और सेवाएं सभी अंतर स्थानिक रूप से सुदृढ़ता से जुड़े हैं। इसके अलावा, अपेक्षाकृत उन्नत राज्यों में उनकी अधिक मौजूदगी इस ओर इंगित करता है कि विकास की गतिशीलता तीनों गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण छोटे विनिर्माण और व्यापार को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों गतिविधियां एक दूसरे की पूरक हैं। हालांकि, सेवाएं या व्यापार

विनिर्माण से जुड़ा नहीं हो सकता है पर उच्च आय से नई सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है जो अनौपचारिक परिक्षेप द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है (रक्षित, 2007)।

स्वयं खाता उद्यम (ओएड) अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा है। तथापि, प्रतिष्ठान अधिक रोज़गार पैदा करने वाले लगते हैं क्योंकि प्रतिष्ठानों में प्रति उद्यम श्रमिक बल बहुत अधिक होता है। इसके अलावा, प्रतिष्ठानों में व्यापार और सेवाओं की तुलना में विनिर्माण अपेक्षाकृत अधिक रोज़गार पैदा करने वाला होता है। राज्यों में देखा जाये तो विनिर्माण और व्यापार प्रतिष्ठानों के बीच प्रति उद्यम श्रमिक बल के सन्दर्भ में पारस्परिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण है (0.89), जबकि शहरी क्षेत्रों में व्यापार और सेवा प्रतिष्ठान रोज़गार के आकार (0.65) के संदर्भ में एक अनिवार्य जुड़ाव दिखाते हैं। हम निष्कर्ष लगा सकते हैं कि उत्पादन गतिशीलता जिनसे व्यापारिक आवश्यकताएं उपजती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, जबकि आय की गतिशीलता जिससे वस्तुओं का व्यापार और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है शहरी क्षेत्रों में देखी जाती है।

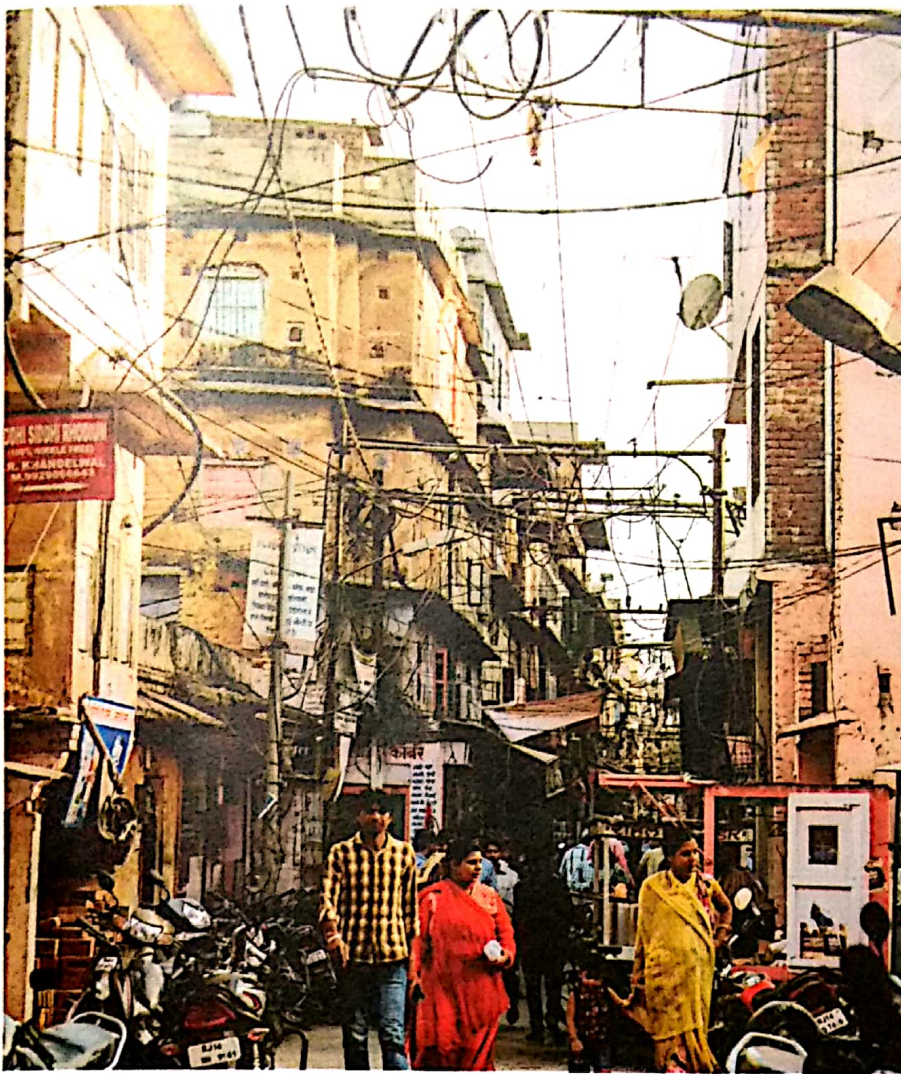
हालांकि, प्रति श्रमिक जोड़े गए सकल मूल्य के रूप में, ग्रामीण-शहरी अंतर महत्वपूर्ण हैं शहरी इकाइयां औसतन श्रम उत्पादकता के उच्च स्तर से जानी जाती हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर प्रतिष्ठान स्वयं खाता उद्यम (ओएड) की तुलना में अधिक उत्पादनशील हैं। और प्रतिष्ठानों के भीतर, व्यापार और सेवा क्षेत्र अधिक उत्पादनशील हैं। दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में हालांकि प्रतिष्ठान फिर से स्वयं खाता उद्यमों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, व्यापार क्षेत्र का उत्पादन सबसे अधिक है और उसके बाद सेवा क्षेत्र है। ये पैटर्न पारंपरिक लेखन से बहुत अलग हैं जिसके अनुसार व्यापार और सेवाओं के घटकों की उत्पादकता सबसे कम मानी गयी है।

शहरी भारत के लिए अन्य नई चुनौती की परिकल्पना जनगणना शहरों के उद्भव के संदर्भ में की जा सकती है।

शहरी क्षेत्रों के भाग हैं वैधानिक कस्बे, जनगणना शहर और बाहरी इलाके। वैधानिक और जनगणना कस्बों के बीच प्रमुख अंतर



बुनियादी सुविधाओं के मामले में नए छोटे शहरों की तुलना में नगर बहुत बेहतर है



जनगणना के अधिकांश शहर पांच राज्यों में केंद्रित हैं

इस प्रकार हैं: सभी स्थान जिनमें नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति हैं वैधानिक कस्बों का गठन करते हैं। दूसरी ओर, जनगणना शहरों को निम्न मानदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है: (अ) 5000 की न्यूनतम आबादी; (ब) कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर-कृषि कार्यों में लगे हुए हों; और (स) कम से कम 4000 प्रति वर्ग कि.मी. की आबादी का घनत्व। शहरी स्थानीय निकाय के बिना भी एक क्षेत्र जनगणना शहर बन सकता है अगर परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो। 2011 की जनगणना के परिणाम बड़ी संख्या में जनगणना वाले शहरों को दर्शाते हैं जो पिछले दस वर्षों (2001-2011) में उभरे हैं। इस अवधि के दौरान 2,500 से अधिक नए शहरों का विकास हुआ, जबकि भारत में लगभग साठ साल की अवधि में (आजादी के बाद से) केवल 1,362 जनगणना शहरों बन पाये थे जो लगभग दस वर्षों में उभरी संख्या से

आधी है। ऐसे तेज विकास का कारण क्या हो सकता है?

हम इन नए शहरों के स्थानीय पहलुओं के बारे में जान कर विश्लेषण शुरू कर

क्या जनगणना शहर बुनियादी ढांचे और आधारभूत सुविधाओं से भली भांति लैस हैं ताकि अच्छा जीवनयापन सुनिश्चित हो सके? इन शहरों में संसाधनों का निस्सारण पूरी तरह से अनियोजित तरीके से हुआ हो सकता है। इन नगरों में आवासीय और ढांचागत सुविधाएं बड़े शहरी केंद्रों के संतृप्त होने के परिणामस्वरूप फैलने वाली नई गतिविधियों के साथ तालमेल रखने के लिए अपर्याप्त हैं।

सकते हैं। क्या वे ज्यादातर बहुत बड़े शहरों के पड़ोस में स्थित हैं? यदि ऐसा है, तो हम उनके उद्भव और विकास को समझ सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कि जब एक बड़ी शहरी बसावट पूरी तरह भर जाती है तो व्यावसायिक संगठन ऐसे शहरों को दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप चुनते हैं। अगर बड़े शहरों में जगह की कमी के कारण आस-पास के छोटे शहरों में नई गतिविधियां शुरू होती हैं, तो स्वाभाविक है कि आबादी का प्रवास भी इन शहरों में होगा। कुल मिलाकर, इन शहरों को आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण विकसित होने वाले उपग्रह शहरों के रूप में माना जा सकता है।

नए जनगणना कस्बों का एक क्षेत्रीय फैलाव इस तथ्य को इंगित करता है कि उनमें से अधिकांश केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (वर्णमाला क्रम में रखे गए) में केंद्रित हैं। इनमें से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल अपेक्षाकृत औद्योगिकृत हैं, जबकि केरल की विकास गतिशीलता इसलिए अनूठी है कि इसमें वृक्षारोपण क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभाता है। इसलिए, यह केवल उत्तर प्रदेश है जिसमें मध्यम गति विकास के बावजूद कई नए शहरों का उद्भव हुआ है। हालांकि यह आंशिक रूप से इसके बड़े आकार के कारण हो सकता है - एक ऐसा राज्य जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जिले हैं।

कुल मिलाकर, सभी आकार के वैधानिक शहरों की संख्या जनगणना कस्बों की संख्या के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है (हालांकि यह पारस्परिक सम्बन्ध केवल औसत श्रेणी का है), जिसका मतलब है कि शहरीकरण सम्पूर्ण रूप में मौजूदा शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण इलाकों में विस्तार कर रहा है। जैसा कि भगत (2011) बताते हैं, 2001-2011 के दशक में शहरीकरण आशा से अधिक तेजी से बढ़ा। यह कहा गया है कि "आजादी के बाद पहली बार, शहरी आबादी में पूर्ण वृद्धि ग्रामीण आबादी की तुलना में अधिक थी। गैर-सांविधिक जनगणना शहरों की संख्या 1,362 थी और 2001 में इनमें 21.0 मिलियन लोग रहते थे। ये संख्या क्रमशः 2011 में बढ़कर 3,892 और 58.6 मिलियन हो गई। 37.6 मिलियन

लोगों की यह वृद्धि 2001-2011 के दशक में शहरी आबादी के कुल विकास का 41 प्रतिशत है" (भगत 2011)।

लेकिन क्या ये जनगणना शहर बुनियादी ढांचे और आधारभूत सुविधाओं से भली भाँति लैस हैं ताकि अच्छा जीवनयापन सुनिश्चित हो सके? इन शहरों में संसाधनों का निस्सारण पूरी तरह से अनियोजित तरीके से हुआ हो सकता है। इन नगरों में आवासीय और ढांचागत सुविधाएँ बड़े शहरी केंद्रों के संतृप्त होने के परिणामस्वरूप फैलने वाली नई गतिविधियों के साथ तालमेल रखने के लिए अपर्याप्त हैं। नए शहरों में प्रवासी श्रमिकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त आवासीय स्थान नहीं है जो वहाँ गतिविधियों के बढ़ने के साथ आयेंगे। चूंकि प्रवासन आमतौर पर नौकरी की रिक्रियों की वास्तविक संख्या से अधिक होता है, इसका अर्थ यह होगा कि शेष श्रमिक बल कम उत्पादकता वाले नौकरियों में जैसे-तैसे खप जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मलिन बस्तियों की समस्या जल्द ही गंभीर रूप धारण करेगी? हालांकि बहुत बड़े शहरों में भी इसी तरह की समस्याएँ हैं, पर साथ ही कई सहायक तंत्र भी हैं। इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्र में वास्तविक कमाई छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में अधिक रही है। छोटे शहरों की क्षमता उनकी आबादी को सुविधाएँ प्रदान करने के लिए बहुत सीमित है चाहे इसके

यदि इस तरह के नए शहर विशुद्ध रूप से कृषि विकास की गतिशीलता और उसके बाद व्यापार या अन्य गैर-कृषि गतिविधियों की मांग के जवाब में बढ़ते हैं, तो परिणाम वांछनीय हैं। लेकिन शहरीकरण विस्तार-प्रभाव, जो भूमि उपयोग पैटर्न में एक बड़े बदलाव की शुरुआत करता है, न केवल खाद्य सुरक्षा के मामले में खतरा पैदा कर सकता है, बल्कि उन लोगों की स्थायी आजीविका के लिए भी जो अपनी कृषि भूमि खो देते हैं।

लिए बड़े शहर के पैमाने को हटा भी दिया जाये जिसका लाभ उनको हासिल हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के सृजन से संबंधित समस्याएँ हैं।

इन शहरों को देखने का एक अन्य नजरिया बड़े शहरी केंद्रों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बदलते भूमि उपयोग पैटर्न को समझना है। यदि शहर की सीमा के विस्तार के साथ कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अधिकाधिक किया जा रहा है तो ऐसे नए

शहर बहुत बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्र में उग आते हैं। यदि इस तरह के नए शहर विशुद्ध रूप से कृषि विकास की गतिशीलता और उसके बाद व्यापार या अन्य गैर-कृषि गतिविधियों की मांग के जवाब में बढ़ते हैं, तो परिणाम वांछनीय हैं। लेकिन शहरीकरण विस्तार-प्रभाव, जो भूमि उपयोग पैटर्न में एक बड़े बदलाव की शुरुआत करता है, न केवल खाद्य सुरक्षा के मामले में खतरा पैदा कर सकता है, बल्कि उन लोगों की स्थायी आजीविका के लिए भी खतरा बन जाता है जो अपनी कृषि भूमि खो देते हैं। रोज़गार की मांग को ध्यान में रखते हुए इन शहरों में श्रम की मांग और आपूर्ति के बीच गंभीर बेमेल हो सकता है। कृषि भूमि की वृद्धि और क्षति के बीच कुछ हद तक समझौताकारी तालमेल यहाँ अपरिहार्य हैं। हालांकि, कमियों और तूँ चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है।

अगला सवाल यह है कि क्या ये नए शहर जो बहुत बड़े शहरों के स्पिल ओवर का परिणाम हैं, दूसरी श्रेणी के शहरों के उचित विकल्प हैं जिनसे विकास के सूत्रधार की भूमिका निभाने की अपेक्षा है जब मेगालोपोलिस या बहुत बड़े शहर पूर्ण रूप से संतृप्त हो जायेंगे। आमतौर पर शहरी अर्थशास्त्र लेखन से हमने सीखा है कि एक बार सबसे बड़े शहरों में आर्थिक अवसरों को समाप्त होने पर दूसरी श्रेणी के शहर निवेश, विकास और रोज़गार सृजन के मामलों में उनकी जगह लेते हैं। ये शहर नए छोटे शहरों की तुलना में बुनियादी ढांचे के मामले में निश्चित रूप से बहुत बेहतर हैं। लेकिन इन्हें मुख्य भूमिका निभाने के लिए, राज्य और उन लोगों के बीच एक उचित समन्वय की आवश्यकता है जो शहरी स्थान के विकास गतिशीलता की गहन समझ रखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शहरी निवेश या योजना के लिए एक स्पष्ट पहल को विभिन्न शहरों और कस्बों की विकास क्षमता के साथ आर्थिक-भौगोलिक स्वरूप के आधार पर विकसित होना शेष है। □

संदर्भ

1. पश्चिम बंगाल में 20.74 प्रतिशत, केरल, 14.3 प्रतिशत, तमिलनाडु 10.47 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 7.94 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 6.24 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 5.33 प्रतिशत नए जनगणना वाले शहर हैं।



शहरी इकाइयों में उच्च स्तर की श्रम उत्पादकता होती है

भारत के मानचित्र के साथ नवगठित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के मानचित्र

संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी तौर से निराकरित करने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 जारी करने के उपरांत भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य, 31 अक्टूबर 2019 को, नए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित हो गया है।

नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल तथा लेह-दो जिले हैं और भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का बाकी हिस्सा नए जम्मू और कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र में है।

1947 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में निम्न 14 जिले थे - कटुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित, गिलगित वज़ारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटोरी।

2019 तक भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने इन 14 जिलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 जिले बना दिए थे। इनमें से कारगिल जिले को लेह और लद्दाख जिले के क्षेत्र में से अलग करके बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को हटाना) दूसरे आदेश, 2019 द्वारा नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह जिले को, कारगिल जिला बनने के बाद, 1947 के लेह और लद्दाख जिले के बाकी क्षेत्र में 1947 के गिलगित, गिलगित वज़ारत, चिल्हास और ट्राइबल टेरिटोरी जिलों के क्षेत्रों को समावेशित करते हुए परिभाषित किया है।

इस आधार पर 31 अक्टूबर 2019 को सृजित नए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और भारत के मानचित्र में इन दोनों नए संघ क्षेत्रों को दर्शाते हुए सर्वेअर जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा तैयार किये गए मानचित्र संलग्न हैं—

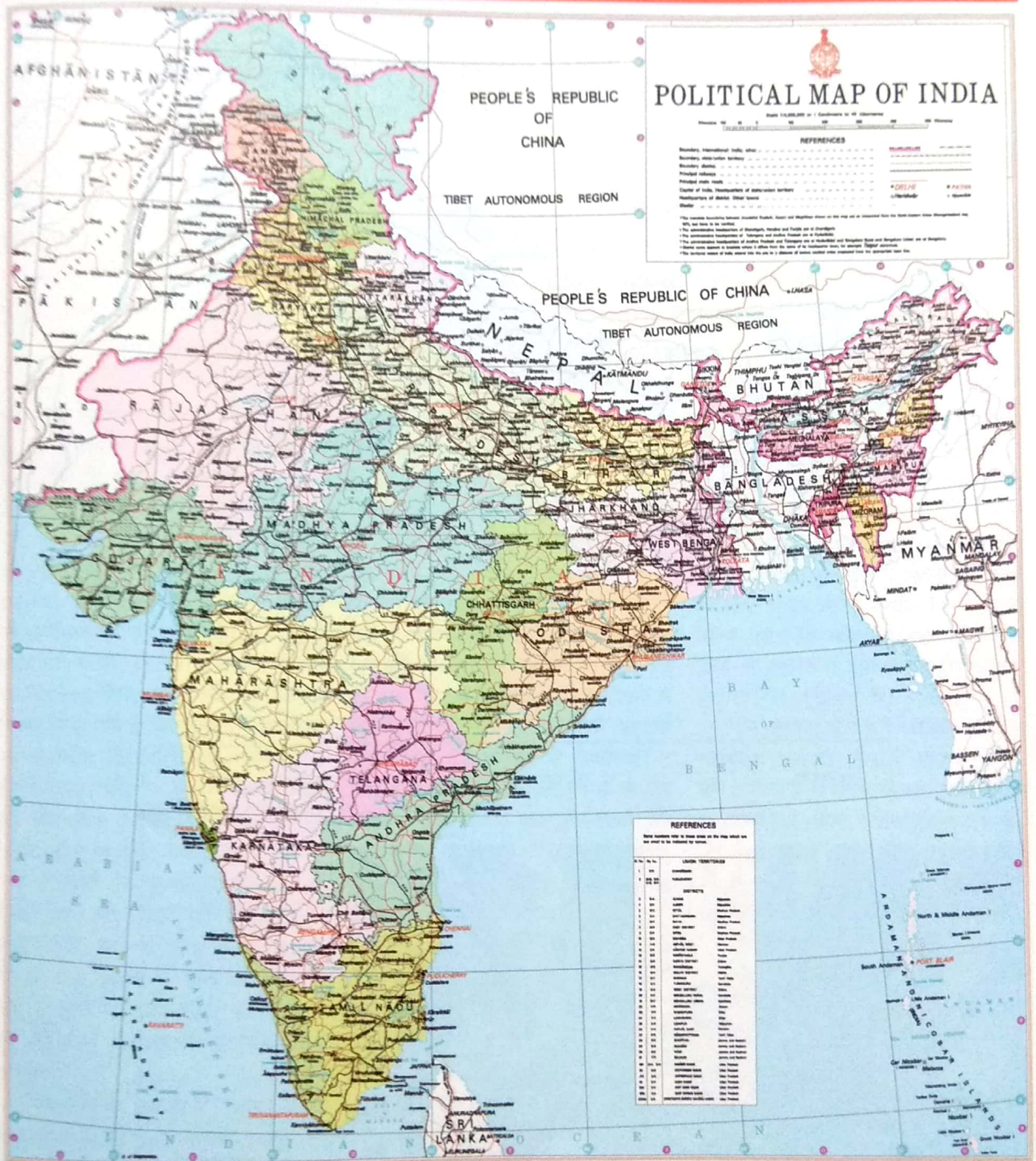
MAP OF UT OF JAMMU & KASHMIR AND UT OF LADAKH



स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



File No. 267 (NGDC/ED) D/S (NGDC - 1:4,00,000)-
1st Edition 1976; 2nd 1982; 3rd 1986; 4th 1987; 5th 2002; 6th 2012; 7th 2017; 8th 2018.
Previous Editions are 1:4,00,000 scale: 1st 1962; 2nd 1972; 3rd 1976.

Refer to this map as:- 1:4,00,000
POLITICAL MAP OF INDIA EIGHTH EDITION

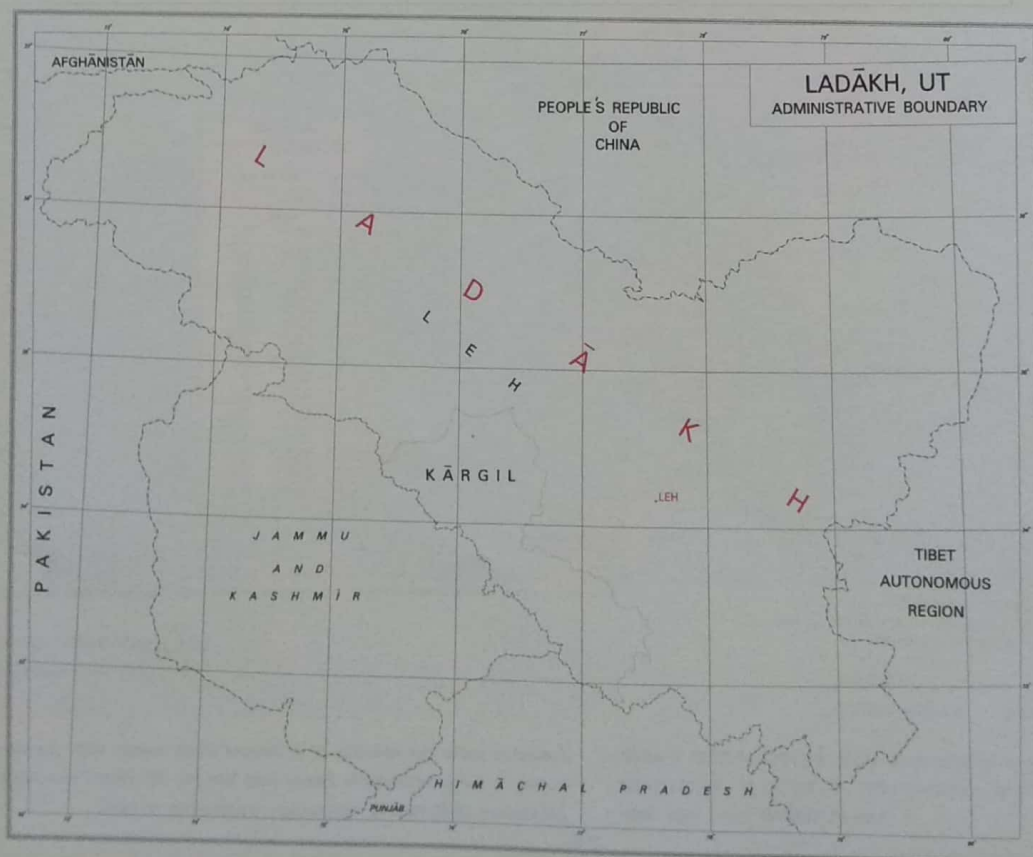
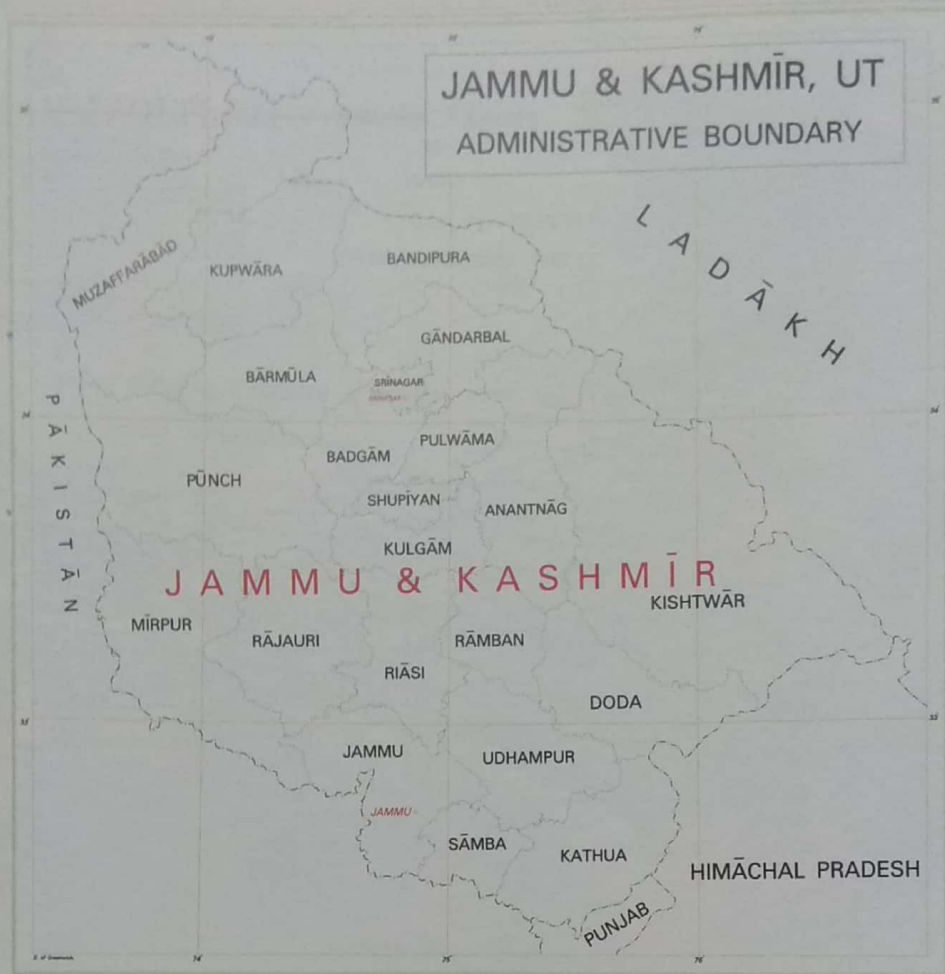
भारत के महासूचना सेठ जनरल गिरिश कुमार, सिविल सेवा मैजस्ट के निदेशन में प्रकाशित
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हाथिबार्का एस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं. 37, देहरादून-248001.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार।

Published under the direction of Lt General Girish Kumar, VSM Surveyor General of India,
Survey of India, Hathibarkala Estate, Post Box No. 37, Dehra Dun- 248001.
Department of Science & Technology, Government of India.

2019.

GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2019.
Price: One Hundred Thirty five Rupees.

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय



स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

गतिशीलता के लिए उत्तरदायी शहरी आयोजना

अमिता भिडे

प्रवासन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण शहर की अर्थव्यवस्था और जीवंतता के लिए महत्वपूर्ण लाभ का आधार बन सकता है। पिछले दशक में भारत में गतिशीलता के विभिन्न रूपों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गतिशीलता के ये रूप प्रवासन की ऐसी स्थिर परिकल्पना से परे हैं जो ग्रामीण-ग्रामीण, ग्रामीण-शहरी और शहरी-शहरी प्रवासन जैसे पारिभाषिक पहलुओं (जन्म स्थान से निवास बदलना) में परिलक्षित होती है।

गतिशीलता उत्तरोत्तर चक्रीय, अर्ध अथवा अस्थायी होती जा रही है, और इसका एक बड़ा भाग क्षेत्रीय है, फिर भी प्रवासन की अनेक धाराएं लंबी दूरी की और अंतरराज्यीय हैं। गतिशीलता की यह गतिशील स्थिति बड़े और छोटे शहरों में सरकारी नीतियों से अलग है, जो इन प्रवासियों की उपस्थिति और योगदान से बदल रही हैं। इस आलेख में आवास नीतियों का विश्लेषण किया गया है और इस बात पर विचार किया गया है कि ये नीतियां प्रवासियों की उपस्थिति और जरूरतों के अनुरूप नहीं हैं। सरकारी नीति में यह अंतर प्रवासियों को औपचारिक प्रणाली के बाहर समाधान तलाश करने के लिए मजबूर करता है। इस तरह के पैटर्न एक दुष्चक्र उत्पन्न करते हैं जिसमें शहर और प्रवासी दोनों फंस जाते हैं। प्रवासियों के मुद्दों को पहचानने और जवाब देने के लिए आवश्यक क्षमताओं, संसाधनों और शक्तियों के साथ शहरों की सरकारों को लैस करने की तत्काल आवश्यकता है।

परिचय

जनगणना के आंकड़ों में अनुमान व्यक्त किया गया है कि प्रवासियों की संख्या 33 लाख है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ़ इंडिया 2017 सहित कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रवासन को कम आंकने का पैमाना चिंताजनक है क्योंकि इसमें नीति की उपेक्षा की आशंका रहती है (चंद्रशेखर और डोरे 2014)। इसी से संबंधित अन्य चिंता उन स्थानों या स्थलों

के बारे में है जो प्रवासियों की उपस्थिति और गतिविधियों के माध्यम से बदल जाते हैं। इसी चिंता पर इस लेख में ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अवधारणा कि शहरों के निवासी निष्क्रिय होते हैं और नागरिकता का संबंध दीर्घकालिक निवास के साथ है, प्रवासन के आकस्मिक पैटर्न के अनुरूप नहीं है क्योंकि वह अधिकतर चक्रीय, अर्द्ध अस्थायी और अस्थायी है। केंद्र या राज्य स्तर पर शुरू की गई अधिकांश शहरी नीतियों में गतिशीलता के इन उभरते रूपों की अनदेखी प्रतीत होती है। वास्तव में, प्रवासियों के लिए शुरू की गई विशेष नीतियों में भी एक गतिहीन पूर्वाग्रह पाया जाता है। उनकी ओर

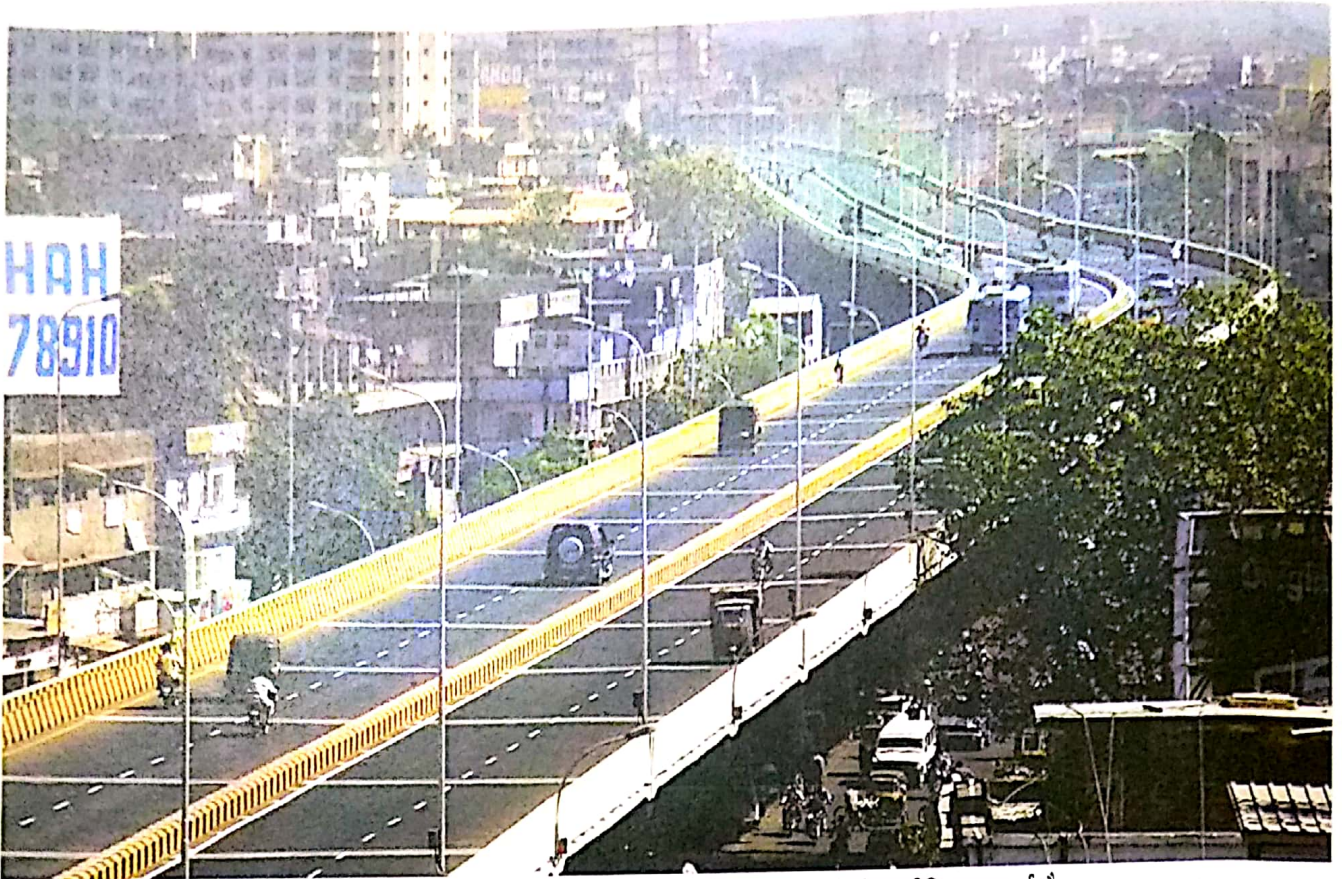
से, अधिकांश प्रवासियों को उन समाधानों को खोजने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके लिए सुलभ हैं और उन्हें औपचारिक प्रणाली के बाहर सुरक्षित करते हैं। आश्रय, बुनियादी सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ऐसे समाधान न केवल प्रवासियों के लिए कठिन जीवन स्थिति पैदा करते हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से अधिकांश समाधान शहरी सरकार के लिए नई चुनौतियां पैदा करते हैं।

इस आलेख में शहरी परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में गतिशीलता के प्रति उत्तरदायी स्थानीय सरकार के नीतिगत वातावरण का महत्व उजागर किया गया है।



आवास नीतियों का प्रवासियों की उपस्थिति और जरूरतों के साथ समकालीन होना आवश्यक है

लेखिका स्कूल ऑफ़ हेबिटेड स्टडीज, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज, मुंबई में प्रोफेसर और डीन हैं। ईमेल: amita@tiss.edu



शहरी परिवर्तन के लिए गतिशीलता-उत्तरदायी, स्थानीय सरकार संचालित नीति महत्वपूर्ण है

भारत में गतिशीलता के बदलते पैमाने और स्वरूप

पिछले दशक में भारत में गतिशीलता के पैमाने और स्वरूप तथा उनका अध्ययन करने की पद्धतियों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई। प्रवासन को समझने की पारंपरिक पद्धति जनगणना परिभाषा पर निर्भर है और वह उसके कारणों को समझने का प्रयास करती है। जनगणना किसी प्रवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जिसका निवास पिछली जनगणना में गणना किए गए निवास स्थान से स्थानांतरित हो गया है या जो उसके जन्मस्थान से स्थानांतरित हो गया है। इस परिभाषा के अनुसार, देश में लगभग 45 करोड़ 36 लाख प्रवासी हैं। इनमें से 64 प्रतिशत प्रवासी दस वर्ष पूर्व अपने वर्तमान गंतव्य पर पहुंचे हैं। परंतु, यह भारत में गतिशीलता के परिदृश्य का केवल एक आयाम है। हाल ही में, कई विद्वानों और यहां तक कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बताया गया है कि जनगणना के आंकड़ों और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आंकड़ों में प्रवासन को कम करके आंका गया और ये दोनों आधिकारिक आंकड़ा स्रोत अल्पावधि और

चक्रीय प्रवासन की उपेक्षा करते हैं। इनमें देशगंकर और अक्तर (2009) सहित कुछ अध्ययन शामिल हैं जिन्होंने क्षेत्रगत विश्लेषण के आधार पर 10 करोड़ प्रवासी होने का अनुमान व्यक्त किया है। अन्य अध्ययनों में चंद्रशेखर और शर्मा (2014) का अनुमान है कि 2009-10 में शहरी प्रवासियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी और तुम्बे (2016) के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में कम से कम एक बाहरी प्रवासी था। श्रमिकों में प्रवासियों की हिस्सेदारी के बारे में देशगंकर और अन्य द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार करीब 10 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार अंतर-जिला प्रवासियों की संख्या 8 करोड़ होने का अनुमान है। परंतु, यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में गतिशीलता में काफी वृद्धि हो रही है और इस गतिशीलता के रूप विविध हैं और एक स्थायी कदम के अनुरूप नहीं हैं। दो रूप जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, वे हैं, क) आवागमन और ख) चक्रीय प्रवास। जिस तरह से शहरों का आकार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए गतिशीलता के ये दोनों रूप महत्वपूर्ण हैं।

गतिशीलता स्थलों का रूपांतरण कैसे करती है?

नाइक और रैंडोल्फ (2018) के अनुसार इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रवासन के माध्यम से स्थानों का रूपांतरण होता है। उन्होंने इस संदर्भ में माइग्रेशन जंक्शनों की अवधारणा प्रस्तुत की है। बड़े पैमाने पर प्रवासन के स्थानों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। अधिक स्थायी गतिशीलता का अनुमान लगाने वाले पारंपरिक आंकड़े बुनियादी ढांचे और आवास पर बोझ के संदर्भ में इस तरह के निहितार्थ का अनुमान लगाते हैं। हालांकि, प्रवास के अधिक क्षणिक रूप हमें विशिष्ट प्रकार और बुनियादी ढांचे या आवास के साथ-साथ उन शर्तों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं जिन पर वे आधारित हैं। प्रवासियों के अस्थायी रूप वे लोग हैं जो शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, जबकि वे वहां रहते हैं, लेकिन उनका प्रयास उन स्थानों पर निर्देशित होता है, जहां से वे आते हैं, यानी स्रोत क्षेत्र। यह वह जगह है जहां वे प्रेषण, निवेश, संपत्ति निर्माण और राज्य के राजस्व के संदर्भ में योगदान करते हैं। दूसरी ओर, वे आर्थिक प्रवाह और आउटपुट

में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, शहर से कम संसाधन निष्कासित करते हैं और नए विचारों तथा चीजों को नए ढंग से करने के तरीके विकसित करते हैं।

इस तरह के प्रवास के लिए काम और आर्थिक कारण सबसे बड़े संचालक हो सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधन भी इसके लिए पूरक कारण हो सकते हैं। ये शहर की बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं पर विशिष्ट मांग पैदा करते हैं। इसके अलावा, इस तरह की मांग स्थानीय तौर पर गहन हो सकती है। उदाहरण के लिए, अस्पताल दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता वाले कई रोगियों को आकर्षित करते हैं इसलिए ऐसे प्रवासियों (रोगियों और देखभाल करने वालों) के लिए आश्रयस्थल के रूप में उभर सकते हैं। इसी तरह के आश्रय स्थल कॉलेजों और ऐसे क्षेत्रों के आसपास भी देखे जाते हैं जहां प्रवासियों पर निर्भर आर्थिक गतिविधियां जैसे निर्माण, पुनर्चक्रण आदि संचालित की जाती हैं। सेवाओं संबंधी मांग के अंतर्गत परिवहन ढांचे की आवश्यकताओं और इसे बड़े पैमाने पर और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक बनाने से लेकर आवासीय क्षेत्रों में पहुंच योग्य बुनियादी सेवाएं सृजित करने तक शामिल हैं, ताकि ऐसे आश्रय स्थलों तक पहुंच योग्य पोषण और निकटस्थ आश्रय विकल्प सृजित किए जा सकें। प्रवासियों के लिए परिचित भाषाओं में स्कूल

सरकारी नीति में कुछ अंतर प्रवासियों को औपचारिक प्रणाली के बाहर समाधान तलाश करने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह के पैटर्न एक दुष्चक्र उत्पन्न करते हैं जिसमें शहर और प्रवासी दोनों फंस जाते हैं। प्रवासियों के मुद्दों को पहचानने और जवाब देने के लिए आवश्यक क्षमताओं, संसाधनों और शक्तियों के साथ शहरों की सरकारों को लैस करने की तत्काल आवश्यकता है।

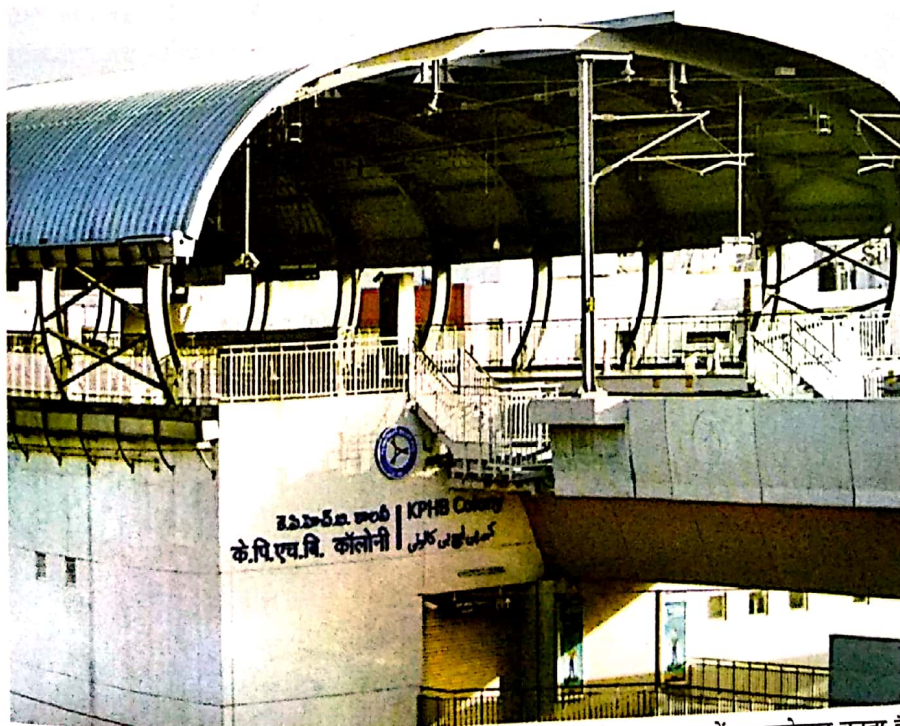
स्तर की शिक्षा और स्थानीय प्रशासन एवं सेवाएं, आवश्यक हैं, जिनमें इन भाषाओं का इस्तेमाल अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित हो।

इन जरूरतों की उपेक्षा लोगों को स्वयं के अस्थाई समाधान करने के लिए मजबूर करती है। इससे सड़क, जंक्शन ऐसे अड्डे में बदल जाते हैं, जहां चाय की दुकानों और खाने के स्टालों, फुटपाथ और सड़कों का इस्तेमाल लोगों के एकत्र होने के स्थलों के रूप में होने लगता है। इसी तरह, अस्पताल के पास की सड़क को अनौपचारिक बस्ती में परिवर्तित किया जा सकता है। बाहरी छात्रों के कॉलेजों में पढ़ने वाले बाहर से आए

विद्यार्थियों की वजह से आसपास के क्षेत्रों में किराये के घरों और फास्ट फूड स्टालों का विकास देखने को मिलता है। पुनर्चक्रण स्थलों के आसपास अत्यंत अस्थायी किस्म की झोंपड़ियां बना दी जाती हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव में, सड़कें खुले में शौच जाने या मूत्रालयों में तब्दील हो जाती हैं। सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा डाला जाता है, और मलिन बस्तियों का प्रसार अथवा वेधरों की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर, प्रवासन के लिए सक्रिय दृष्टिकोण से शहर की अर्थव्यवस्था और शहर की जीवंतता के लिए महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण हैदराबाद मेट्रो का है, जो अपने लिखित संदेशों में चार भाषाओं का उपयोग करता है।

शहरी नीति में प्रवासियों के अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता: अल्पकालिक आवास

अल्पकालिक आवास शायद भारतीय शहरों में प्रवासियों की सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अब तक पूरी न की गई जरूरतों में से एक है। इसे अक्सर किराये के आवास की आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। लेकिन अस्थाई आवास की जरूरतें किराये के आवास से परे कई महीनों तक पड़ती हैं। शहरों में अल्पकालिक आगंतुकों में वे सभी समूह शामिल हैं जो शहर को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। होटल के ठहरने की अवधि से अधिक और किराए के आवास में ठहरने की अवधि से कम समय के लिए आवास की आवश्यकता की सर्वाधिक अनदेखी हुई है। हाउसिंग मार्केट ने इस जरूरत को समझना शुरू कर दिया है और इसकी पूर्ति सर्विस्ड अपार्टमेंट्स के माध्यम से की जा रही है। परंतु, जब बात कम आय की होती है, तो उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतीत में शहरों में धर्मशालाएं होती थीं। समकालीन भारतीय शहरों में ऐसे विकल्पों का अभाव है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। इसका एक उदाहरण है मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर के मरीज और उनके देखभाल करने वाले कैसे इलाज के लिए कुछ महीनों के लिए अस्पताल के बाहर सड़कों पर शरण लेने को मजबूर होते हैं।



हैदराबाद मेट्रो गतिशीलता-उत्तरदायी उपाय के रूप में लिखित संदेशों में चार भाषाओं का इस्तेमाल करता है

टाटा मैमोरियल अस्पताल, मुंबई के बाहर का एक दृश्य, जहां कैंसर पीड़ितों के संबंधी खुले में रात गुजारते हैं।

अल्पकालिक आवास की समस्या के समाधान में अन्य महत्वपूर्ण बाधा आवास की वर्तमान परिकल्पना में निहित है। समकालीन आवास नीतियां दो व्यापक सिद्धांतों पर टिकी हुई हैं - पहला स्वामित्व-आधारित आवास है और दूसरा संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग है। पहला सिद्धांत नागरिकता बनाता है। यह एक स्थान पर निरंतर प्रतिबद्धता और निवेश को सुरक्षित करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। दूसरा भूमि को मुद्रीकृत करने और गतिशील तरीके से राज्य के राजस्व में योगदान करने में मदद करता है। हालांकि, इन दोनों नीति साधनों का एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि वे अल्पकालिक आवास की संभावनाओं को सीमित करते हैं और शहरों में आश्रय के लिए जगह की जरूरतों को कम करते हैं। जब तक सरकारों द्वारा एक ठोस प्रयास नहीं किया जाता, तब तक निवेश-उन्मुख आवास ब्लॉकों की प्रवृत्ति पूरे शहर में खाली स्थानों पर कब्जा करने की रहेगी। आर्थिक प्रोत्साहन से सम्बद्ध इस मानसिकता का प्रतिरोध करने के लिए एक शक्तिशाली बल है। लेकिन, जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, शहरों में ऐसे उदाहरण बढ़ते जाएंगे, जिनमें से एक ऊपर दिया गया है।

इस तरह के प्रवास के लिए काम और आर्थिक कारण सबसे बड़े संचालक हो सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधन भी इसके लिए पूरक कारण हो सकते हैं। प्रवासन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण शहर की अर्थव्यवस्था और शहर जीवंतता के लिए महत्वपूर्ण लाभ का कारण बन सकता है क्योंकि वे आर्थिक प्रवाह और आउटपुट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, शहर से कम संसाधन निष्कासित करते हैं और नए विचारों तथा चीजों को नए ढंग से करने के तरीके विकसित करते हैं।

ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए सामुदायिक स्तर पर उपायों के कुछ उदाहरण मिलते हैं। परंतु, इनकी संख्या बहुत कम और जरूरत के अनुपात में सीमित है। इसके अलावा, प्रचलित भूमि और आवास बाजार की गतिशीलता भी इस तरह की पहल करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है। इस क्षेत्र में सरकारी कार्रवाई की निश्चित आवश्यकता है। यह प्रश्न स्पष्ट है कि सरकार में किस स्तर पर ऐसी जरूरतों को पहचानने और प्रभावी

ढंग से उनका समाधान करने की क्षमता है। इसलिए आवास और अन्य मुद्दों के प्रति ऊपर से नीचे और समनुरूप दृष्टिकोण रखने वाली राज्य सरकारों के विपरीत केवल ऐसी स्थानीय सरकारें इन वास्तविकताओं का समाधान कर सकती हैं, जिन्हें जमीनी वास्तविकताओं का चहुंमुखी ज्ञान है। अतः वर्तमान नीति आधारित राज्य सरकारों की नीतियों से दूर जाना और क्षमता के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है, ताकि वे इस तरह के मुद्दों को पहचानने, डेटा एकत्र करने, और प्रवासन जैसी गतिशील धारणा के समाधान के लिए शक्तियां और संसाधन जुटा सकें। □

संदर्भ

1. देशिंगकर, पी और अक्तर, एस (2009): माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, मानव विकास अनुसंधान आलेख 2009/13-यूएनडीपी.
2. भारत सरकार (2017): भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 खंड 1.
3. चंद्रशेखर एस और शर्मा, ए (2014): अर्बनाइजेशन एंड स्पेशियल पैटर्न ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया, वर्किंग पेपर 2014-16, आईजीआईडीआर
4. चंद्रशेखर एस एंड डोरे पी. (2014): इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया : सेटिंग द कंटेक्स्ट इन अर्बन इंडिया वाल्यूम 31, इश्यू 1, जनवरी-जून 2014.
5. नाइक, एम एंड रनडोल्फ जी. (2018): माइग्रेशन जंकशन्स इन इंडिया एंड इंडोनेशिया, जस्ट जॉन्स नेटवर्क एंड सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च।
6. तुम्बे, सी. (2016): अर्बनाइजेशन, डेमोग्राफिक ट्रांसजिशन एंड ग्रोथ ऑफ सिटीज इन इंडिया 1870-2020, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर सी-35205-आईएनसी-1, 2016.



टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में फुटपाथ पर बीमार लोग

प्राकृतिक वन क्षेत्र का विकास: तेलंगाना में यदाद्री का अध्ययन

जी चंद्रशेखर रेड्डी

भारत में पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखने और वनों के अस्तित्व को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए वन प्रबंध में प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। वनाच्छादित क्षेत्र के विस्तार और जलवायु संवर्धन के लिए वन लगाने के नये-नये तरीकों का पता लगाया जाता है। भारत में विविधतापूर्ण जलवायु और मिट्टी के अनेक प्रकारों की वजह से अब तक प्राकृतिक वनों के उद्धार के लिए कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कराया जा सका है।

पौ धे लगाने की बजाय समूचा वन विकसित करने के तेलंगाना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'तेलंगानाकु हरित हारम' से वृक्षारोपण और रोपे गये पौधों के संरक्षण के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों में उत्साह जगा है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि जिन जगहों पर वन भूमि का उपयोग अन्य कार्यों में करने के लिए वनों को काटा जा चुका है उनमें काटे गये पेड़ों के एवज में पौधे रोपने की बजाय समूचा जंगल विकसित किया जाना चाहिए। इसमें जाने-माने जापानी वनस्पति वैज्ञानिक, पादप पारिस्थितिकीविद् और बंजर भूमि पर प्राकृतिक वनस्पतियां उगाने के विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी के सिद्धांतों को आधार बनाया गया है। उन्होंने सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए निचले इलाकों के मियावाकी पुनर्स्थापना तकनीक का आविष्कार किया। मियावाकी का सिद्धांत मूलतः यह है कि जमीन के छोटे से टुकड़े पर स्थानीय पेड़-पौधों की ऐसी प्रजातियों का सघन रोपण किया जाए जो इस तरह के इलाकों का प्राकृतिक आपदाओं से बचाव कर सकें।

उजड़े हुए वन क्षेत्र में प्राकृतिक वन के विकास की एक किफायती विधि को यदाद्री प्राकृतिक वन स्थापन (वाइ.एन.एफ) मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल

के विकास में मियावाकी विधि के सिद्धांतों के साथ स्थानीय तौर-तरीकों व सामग्री का उपयोग किया जाता है।

प्राकृतिक वनों के विकास के मियावाकी सिद्धांत

- पेड़-पौधों के बीच कोई निश्चित दूरी नहीं रखनी चाहिए
- वनीकरण करने से पहले जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयास करने चाहिए
- बंजर जमीन में पेड़-पौधों, वनस्पतियों, झाड़ियों और वृक्षों का सघन रोपण किया जाना चाहिए। एक हैक्टेयर में 10,000

पौधे लगाये जा सकते हैं।

- स्थानीय प्रजाति की वनस्पतियों के बीज रोपकर वनों को और घना बनाया जा सकता है।
- पौधों को रोपने के बाद कम से कम अगला बरसाती मौसम आने तक उनकी सिंचाई की जानी चाहिए।
- खरपतवार की रोकथाम और मिट्टी में वाष्पन से नमी की कमी को दूर करने के लिए पलवार बिछानी चाहिए।
- जमीन को उपजाऊ बनाने के प्रयास में क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटा नहीं



मिट्टी की खुदाई



मिट्टी की खुदाई 30 से.मी.

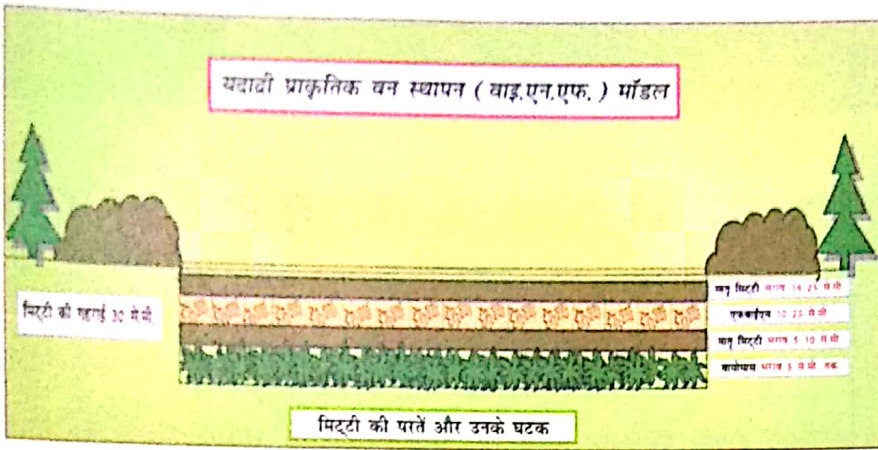


यूरिया का छिड़काव



सूखी पत्तियां

डॉ. जी चंद्रशेखर रेड्डी भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) अधिकारी हैं और फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन तथा तेलंगाना राज्य वन विभाग के हैदराबाद मंडल में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं। ई-मेल: chandrasreddy@gmail.com



जाना चाहिए।

- नालियों में पानी बहाकर सिंचाई करने की बजाय पाइपों के जरिए स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की जानी चाहिए।
- पौधारोपण के बाद अगले बरसाती मौसम के आने तक समय-समय पर निराई करनी चाहिए।
- बरगद जैसे पेड़ों जिनका वितान बहुत बड़ा होता है, नहीं लगाना चाहिए।
- वनीकरण के लिए सभी आकार-प्रकार के पेड़-पौधों की पौध या पौधे उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि लगाया गया वन तीन स्तरीय प्राकृतिक वनों की तरह दिखे।
- मिट्टी के गुणों का विश्लेषण पहले ही करवा लेना चाहिए ताकि जमीन की उर्वराशक्ति बढ़ाने के लिए बेहतरीन तौर-तरीकों का चुनाव किया जा सके। और
- खरपतवार को छोड़कर, प्राकृतिक रूप से उगे किसी प्रकार के पेड़-पौधों को क्षेत्र से उखाड़ना नहीं चाहिए।

इस मॉडल में मानव निर्मित वन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने लिए मियावाकी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अपनायी जाने वाली प्रविधि को पिछले साल हुए वनरोपण के व्यवस्थित रूप से प्रलेखित रिकॉर्ड और नतीजों के आधार पर बताया जा रहा है। शीर्ष सरकारी अधिकारियों और विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भी इसका निरीक्षण किया था। इसलिए हरियाली बढ़ाने, जलवायु में सुधार लाने और परती भूमि के विकास में सफल रहा। वाइ.एन.एफ. मॉडल एक क्रांतिकारी अवधारणा सिद्ध हो सकता है। वाइ.एन.एफ. मॉडल की स्थापना लागत 2 लाख रुपये प्रति एकड़ या 5 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर आंकी गयी है।

प्रविधि

यदाद्री प्राकृतिक वन स्थापन (वाइ.एन.एफ.) मॉडल के पीछे बुनियादी सिद्धांत छोटे से क्षेत्र में उच्च घनत्व वृक्षारोपण की अवधारणा काम करती है। इसमें पौधों के बीच कोई निश्चित दूरी नहीं रखी जाती और प्रति एकड़ रोपे जाने वाले पौधों की संख्या 10,000 तक हो सकती है। इस मॉडल की सफलता विभिन्न घटनाओं के अनुक्रम जैसे, स्थान का चयन और विकास, मिट्टी की उर्वराशक्ति का विकास, रोपे जाने वाली प्रजातियों के पौधों की चयन, गड्ढे का आकार, रोपण का तरीका, जैव उर्वरकों (आर्गेनिक बायो-फर्टिलाइजर) का उपयोग, पौधारोपण के बाद प्रबंधन तथा सिंचाई कार्यक्रम पर निर्भर करती है।

• स्थान का सीमांकन और सफाई

इलाके की हदबंदी और उसमें उगे वृक्षों को छोड़कर उसे वहां उगी सभी अवांछित वनस्पतियों से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। सीमांकन के बाद बायोमास का मात्रात्मक आकलन और वनीकरण वाले क्षेत्र के लिए पौधों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है।

• मृदा परीक्षा और जमीन को उपजाऊ बनाना

दीर्घाविधि सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण और जमीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाना तथा मृदा सुधार बहुत जरूरी है, खास तौर पर शुरू के वर्षों के दौरान उच्च घनत्व वाले पौधारोपण में सहायता के लिए तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। स्थल को उपजाऊ बनाने का कार्य निम्नलिखित कदम उठाकर किया जाता है:

- 1) कुल एक एकड़ क्षेत्र की 30 सें.मी. की गहराई तक खुदाई की जाती है और इस तरह से जो मिट्टी निकलती

है उसे बाड़ के साथ-साथ चारों ओर रख दिया जाता है।

- 2) खुदे हुए क्षेत्र में दस सेंटीमीटर की गहराई में आड़े और तिरछे जुताई की जानी चाहिए।
- 3) जुते हुए क्षेत्र को करीब चार टन सूखी/या हरी घास की पांच सेंटीमीटर मोटी परत से ढक दिया जाना चाहिए।
- 4) खुदाई से निकली मिट्टी को दस सें.मी. मोटी परत के रूप में पूरे क्षेत्र में बिछा दिया जाना चाहिए। इसके बाद तीन दिन तक इसकी लगातार सिंचाई होनी चाहिए ताकि घास और पत्तियों के सड़ कर खाद में बदलने में मदद मिले।
- 5) इसके बाद केंचुओं वाली करीब पांच टन वर्मीकम्पोस्ट और चार टन गोबर की खाद का इस क्षेत्र में छिड़काव कर दिया जाना चाहिए।
- 6) अब किनारे रखी खुदाई की मिट्टी से समूचे क्षेत्र को ढक दिया जाना चाहिए।
- 7) बची हुई मिट्टी से भूखंड के चारों ओर मेड़ बना देनी चाहिए ताकि उसके अंदर पानी को जमा किया जा सके।
- 8) समूचे क्षेत्र में मिट्टी की परत बिछाकर उसमें तीन दिन तक लगातार पानी भरना चाहिए।
- 9) तीन सप्ताह बाद इस एक एकड़ के क्षेत्र की पूरी तरह जुताई की जानी चाहिए।
- 10) पौधे लगाने के लिए 30 घन सें.मी. के गड्ढे बनाए जाने चाहिए और छोटे पौधों को मिट्टी समेत निकाल कर गड्ढों में रोप दिया जाना चाहिए।

मिट्टी को उपजाऊ बनाने की अन्य विधियां पहली विधि : सामुदायिक भूमि

क) गर्मियों में (मार्च से मई तक) गाय-भैंसों/बकरियों/भेड़ों को तीन महीने तक रात के वक्त इस जमीन पर रखा जाता है ताकि उनके मल-मूत्र से मिट्टी उपजाऊ बने। स्थानीय पशुपालकों को अपने मवेशी इस स्थान पर रखने और जमीन को उपजाऊ बनाने के एवज में वित्तीय सहायता दी जाती है।

ख) जून के महीने में पहली बरसात के दौरान भूखंडों की जुताई की जाती है और उसमें हरी खाद वाली फसलों के बीज बो दिये जाते हैं। दो महीने बाद भूखंड की फिर से जुताई की जाती है।

- ग) भूखंड में 30 घन सेंमी के गड्ढों में पौधे रोप दिये जाते हैं।
घ) पलवार लगाने के लिए पराली की बजाय नीम/ग्लिरिसीडिया (ग्लिरिसीडिएसेपियम) की मुलायम टहनियों को काट कर बिछा दिया जाता है।

दूसरी विधि : आरक्षित वन क्षेत्रों/संरक्षित क्षेत्रों के लिए

- क) उजड़े हुए वन क्षेत्र/सुधारे जाने वाले वन क्षेत्र की पहचान करना और सॉयल प्लग बनाना।
ख) कृषि/फसल अपशिष्ट को घरेलू मवेशियों के गोबर के साथ मिलाकर सड़ाने से मिट्टी की उर्वराशक्ति बढ़ेगी।
ग) पहली बरसात के दौरान इस क्षेत्र में हरी खाद की फसल बोकर दो महीने में पलटा चला देना चाहिए।
घ) वृक्षों के पौधों को 30 घन सेंमी. के गड्ढों में लगाया जाना चाहिए।
ङ) पलवार के लिए पराली की बजाय नीम/ग्लिरिसीडिया (ग्लिरिसीडिएसेपियम) की कोमल पत्तीदार टहनियों का उपयोग किया जा सकता है।

तीसरी विधि : शहरी इलाकों में वनों का विकास

- क) उजड़े हुए इलाकों/वन लगाने योग्य क्षेत्रों की पहचान कर जमीन की जुताई।
ख) संस्थाओं से बड़ी मात्रा में इकट्ठा की गयी पेड़ों की पत्तियों, साप्ताहिक हाट/बाजारों और मंडियों से अवशिष्ट सब्जियों और लॉन से काटी गयी घास का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने में किया जाना चाहिए। इसके लिए अपशिष्ट को सड़ाने

में केंचुओं का उपयोग किया जा सकता है। इस तरह अपशिष्ट पदार्थों को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

- ग) एक बार फिर से जमीन की जुताई के बाद 30 घन सेंमी. के गड्ढों में पौधारोपण किया जाना चाहिए।
घ) नीम/ग्लिरिसीडिया (ग्लिरिसीडिएसेपियम) की कोमल पत्तीदार टहनियों की पलवार का उपयोग करके मिट्टी में नमी का संरक्षण किया जाना चाहिए।

• स्थानीय देसी प्रजातियों का चयन

जिन पौधों को लगाया जाना है उनकी गुणवत्ता और प्रजातियों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। रोपे गये पौधों में से जीवित रहने वालों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विस्तृत अध्ययन के बाद स्थानीय देसी प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए। सीधे तने और मध्यम वितान यानी छत्र वाली प्रजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक एकड़ जमीन में रोपने के लिए पौधों की आवश्यकता और रोपण का तरीका नीचे बताया गया है:

- अ) सभी आकार के पेड़ों की पौध का रोपण किया जाना चाहिए ताकि लगाया गया वन प्राकृतिक जंगल की तरह ही तीन स्तरीय लगे।
आ) एक एकड़ में विभिन्न आकार वाली 20 अलग-अलग वृक्ष प्रजातियों के 4,000 पौधे लगाये जाने चाहिए।
इ) विशाल वितान या आच्छादन वाले बरगद जैसे वृक्षों के पौधे नहीं लगाये जाने चाहिए।
ई) वृक्षारोपण वाले इलाके में पतझड़ वाले और सदाबहार पेड़ों के पौधों को निश्चित

दूरी पर रोपा जाना चाहिए।

- उ) पौधारोपण का कार्य पूरा हो जाने पर सूखी घास की पलवार डाल दी जानी चाहिए।
• **सिंचाई कार्यक्रम**
वृक्षारोपण के बाद पौधों की सिंचाई टैंकों और पाइप वाले स्प्रिंकलरों के जरिए की जानी चाहिए और नालियों से पानी बहाकर सिंचाई नहीं की जानी चाहिए।

• रोपण के पश्चात प्रबंधन

इसके अंतर्गत बरसात के अगले मौसम तक समय-समय पर खरपतवार की निराई और पौधों को चरने वाले जानवरों से बचाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए बाड़ बनाई जा सकती है या पहरेदारी की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन इसके लिए खाई नहीं खोदी जानी चाहिए क्योंकि इससे मिट्टी के पोषक तत्व रिस कर खाई में पहुंच जाते हैं।

निष्कर्ष

- प्रति इकाई क्षेत्र में बागान के मुकाबले मानव निर्मित वन में अधिक जैव-विविधता होती है;
- ऐसे वन केवल एक साल में तितली, गिलहरी, चिड़ियों और सरीसृपों जैसे वन्य जीवों के रहने के ठिकाने बन सकते हैं;
- बहुस्तरीय सदाबहार पेड़ों वाले जंगल प्राकृतिक वन जैसे लगते हैं;
- इनके प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मात्रा में कार्बन फिक्सिंग होती है; और
- ऐसे वन अपना रखरखाव खुद करने में सक्षम होते हैं।

क्रियान्वयन के संभावित क्षेत्र

- 0.1 से कम सघनता वाली श्रेणी के प्राकृतिक वन क्षेत्र;
- पेड़-पौधों और वनस्पतियों और उनकी मोटी जड़ों की सघनता मिट्टी और पानी के संरक्षण का वानस्पतिक उपाय भी है;
- जंगल जल संचय का किफायती और स्थायी समाधान हैं जबकि चैक डैम और परकोलेशन टैंक जैसे सीमेंट-कंक्रीट ढांचों की समय-समय पर रखरखाव की जरूरत होती है;
- हर साल प्रत्येक गांव में एक लाख पेड़-पौधों वाले 10 हैक्टेयर प्राकृतिक वन लगाये जा सकते हैं। हर गांव में पांच साल में 50 हैक्टेयर इलाके में 5 लाख पेड़-पौधों वाले वन क्षेत्र पर प्राकृतिक संपदा का विकास करने का यह बड़ा अच्छा अवसर है। □



एक महीना पुराना जंगल

एक वर्ष पुराना जंगल

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: उपभोक्ता सशक्तीकरण में मील का पत्थर

शीतल कपूर

हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने की आवश्यकता को उजागर करता है। इस लेख में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर प्रकाश डाला गया है, जो विशेष रूप से नए युग के बाजार से जुड़े मुद्दों से निपटने के बारे में है और इससे विवादों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित होता है।

पि

छले दो दशकों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों ई-कॉमर्स, स्मार्ट फोन और क्लाउड प्रौद्योगिकियों के तेजी से चलन के साथ भारतीय उपभोक्ता बाजार बड़े बदलाव से गुजरा है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए), 1986 पुराना पड़ गया है और उपभोक्ता बाजार में तेजी से आ रहे बदलावों विशेष रूप से ऑनलाइन शॉपिंग, टेलीशॉपिंग, उत्पाद की वापसी, असुरक्षित अनुबंध और भ्रामक विज्ञापन जैसे मुद्दे इसके तहत नहीं आते हैं, इसलिए, इसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

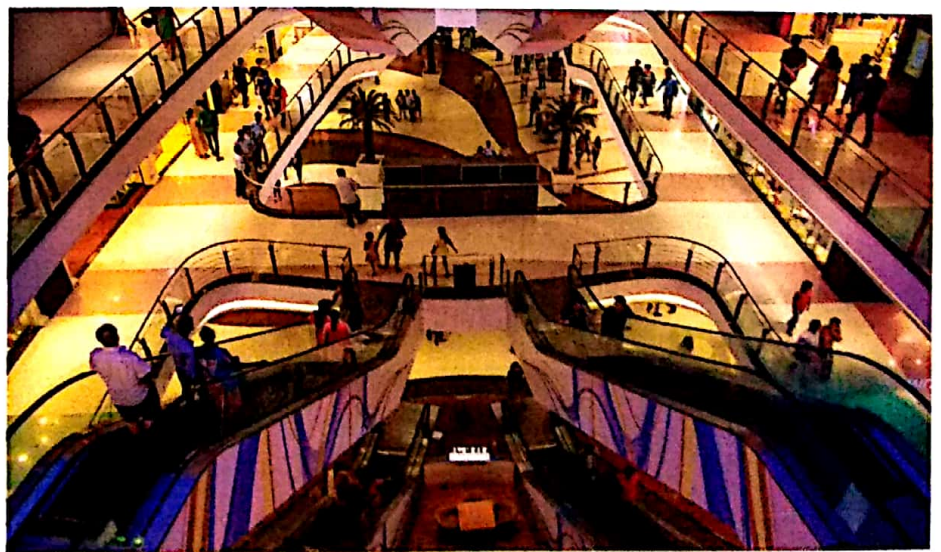
न्याय में देरी न्याय से वंचित करना

उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या और उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने में अत्यधिक देरी को देखते हुए, उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के लिए एक नया कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 35) संसद द्वारा पारित किया गया था और 9 अगस्त, 2019 को इसे राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी। इसमें उपभोक्ताओं की सुरक्षा और त्वरित विकल्पों का प्रावधान किया गया है ताकि पीड़ित उपभोक्ताओं को तुरंत न्याय मिल सके।

नया अधिनियम बन जाने से, पहले से लागू उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 निरस्त हो गया और उसका स्थान इस नये कानून ने ले लिया। इसमें उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की व्यवस्था की गई है। इसमें उपभोक्ताओं के सामने आने वाली विसंगतियों और समस्याओं को दूर करने का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में मध्यस्थता, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, पीड़ितों द्वारा सामूहिक रूप से मुकदमा दायर करने जैसे उपाय करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के नियमों का प्रारूप अभी तैयार नहीं किया गया है इसलिए ऐसे में इस पर विचार किया

जाना चाहिए कि नए कानून से क्या हासिल होगा और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में किस प्रकार बेहतर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में खामियां

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू होने के 33 वर्ष बाद अब इसके उद्देश्यों और संगठनात्मक ढांचे पर फिर से विचार करने और उसकी खामियों को दूर करने का समय है। 1986 में, जब इसे बनाया गया था, भारत में उपभोक्ता पक्ष समर्थन के मुद्दे को काफी महत्व दिया जाने लगा था। इस कानून के जरिए विशेष रूप से उपभोक्ताओं को त्रिस्तरीय- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विवाद समाधान के लिए अर्द्ध न्यायिक तंत्र



जैसी व्यवस्था कर उपभोक्ता के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए एक विधायी प्रावधान किया गया था। उपभोक्ता न्यायालयों का गठन दो उद्देश्यों-उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण और उन्हें मुआवजा देने के लिए दीवानी अदालतों से अलग अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों की स्थापना के लिए किया गया था लेकिन कई वर्षों से विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की कुछ खामियां इस प्रकार हैं-

- क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पुराना पड़ गया है और उपभोक्ता बाजार में तेजी से आ रहे बदलाव इसके दायरे में नहीं आते। इस अधिनियम के अनुच्छेद 13 (3 क) में कहा गया है कि हर शिकायत को यथासंभव शीघ्रतिशीघ्र सुना जाएगा और विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस की तारीख से तीन महीने और वस्तुओं के परीक्षण की आवश्यकता होने पर पांच महीने के भीतर इसे निपटाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में मामले लंबित रहने और लगातार स्थगन के कारण न्याय मिलने में देरी होती है।
- ख) बड़ी संख्या में लंबित मामलों के कारण उपभोक्ता आयोगों पर काम का अत्यधिक बोझ है और क्रेता-विक्रेता अनुबंध विक्रेता के पक्ष में झुका हुआ है। इसके अलावा, प्रक्रियाएं लंबी और महंगी हैं।
- ग) उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्ष और सदस्य, उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की रीढ़ हैं। वे निवारण तंत्र में उपभोक्ताओं का विश्वास स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, लेकिन देखा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनने के 33 वर्ष बाद अब इसके उद्देश्यों और संरचनात्मक ढांचे पर फिर से विचार करने और इसकी खामियों को दूर करने का समय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को संसद में पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति ने 9 अगस्त, 2019 को अपनी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा और त्वरित न्याय का विकल्प प्रदान करना है ताकि पीड़ित उपभोक्ताओं को तुरंत न्याय मिल सके।

गया है कि विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष और सदस्यों के 400 से अधिक पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकारें खाली पदों को तुरंत भरने में कम दिलचस्पी दिखाती हैं और उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दे को कभी भी किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिली।

- घ) उपभोक्ता आयोगों में कर्मचारियों की नियुक्ति अन्य विभागों से की जाती है, जिन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं का कोई अनुभव नहीं होता। उपभोक्ता न्यायालयों के सदस्यों की नियुक्ति से पहले उन्हें गहन प्रशिक्षण देना आवश्यक है। वर्तमान में इन्हें सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है।

- ड.) कई बार, देखा गया है कि उपभोक्ता आयोगों द्वारा बहुत कम आदेश दिए जाते

हैं और आदेशों को लागू करवाने के लिए उपभोक्ता को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है।

- च) समय पर निर्णय देने में उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के बीच उचित समन्वय का अभाव रहा है और अक्सर लगभग दस या पंद्रह स्थगन दिए जाते हैं।
- छ) राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोगों के अध्यक्ष को, बड़ी संख्या में लोगों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों से होने वाले नुकसान को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।

उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा निपटाए गए विवादित मामलों का विश्लेषण

उपभोक्ता मामलों के विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में 4.3 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जो बहुत गंभीर बात है। जब उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया था, तो इनका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए किफायती और त्वरित निवारण व्यवस्था प्रदान करना तय किया गया था, जहां उपभोक्ता खुद ही अपना मामला दायर कर सकता हो। चूंकि कानून एक जटिल विषय है, इसलिए कई उपभोक्ताओं ने वकीलों की सेवाएं लेना शुरू कर दिया और उपभोक्ता अदालतों द्वारा बार-बार स्थगन दिए गए, जिससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने लगी।

उपभोक्ता अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या का आंकलन दर्शाता है कि जिला उपभोक्ता अदालतों का कार्य-निष्पादन बेहतर रहा क्योंकि उन्होंने 92.37 प्रतिशत मामले निपटाए।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और समय पर प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ताओं के विवाद निपटाने के लिए प्राधिकरणों की स्थापना करना है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कुछ विशेषताएं:

- क) 'उपभोक्ता' की परिभाषा में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उपभोक्ता आएंगे। "कोई भी सामान खरीदा जाता है" और "कोई भी सेवा हासिल की जाती है" के भाव में इलेक्ट्रॉनिक या टेलिशॉपिंग

सारणी 1 : उपभोक्ता अदालतों द्वारा स्थापना के बाद निपटाए गए मामलों की कुल संख्या

क्र.	एजेंसी का नाम	स्थापना के बाद से दायर मामले	स्थापना के बाद से निपटाए गए मामले	लंबित मामले	निपटाए गए कुल मामलों का प्रतिशत
1	राष्ट्रीय आयोग	122042	103520	18522	84.82 प्रतिशत
2	राज्य आयोग	788463	678124	110339	86.01 प्रतिशत
3	जिला अदालतें	3903706	3605673	298033	92.37 प्रतिशत
	कुल	4814211	4387317	426894	91.13 प्रतिशत

स्रोत: www.ncdrc.nic.in

या प्रत्यक्ष बिक्री या बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन लेनदेन शामिल होंगे।

ख) उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने, लागू करने और व्यापार के अनुचित तरीकों से उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जांच करने तथा जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने और उत्पाद वापस लेने, राशि लौटाने तथा वस्तु लौटाने को लागू करने और पीड़ित उपभोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से मुकदमा दायर करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई। प्राधिकरण निम्न कार्रवाई कर सकता है:

1. व्यापार के अनुचित तरीकों की शिकायतों पर कार्रवाई,
2. संरक्षण दिशानिर्देश जारी कर सकता है,
3. उत्पाद को वापस लेने या सेवाओं को बंद करने का आदेश दे सकता है,
4. अन्य नियामकों को शिकायतें भेज सकता है,
5. जुर्माना लगाने जैसे दंडात्मक अधिकार हैं,
6. उपभोक्ता आयोगों के समक्ष मुकदमा दायर कर सकता है, और
7. उपभोक्ता अधिकारों या व्यापार के अनुचित तरीकों के मामलों में कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।

अधिनियम के तहत जांच के उद्देश्य से महानिदेशक के नेतृत्व में केंद्रीय प्राधिकरण के पास एक जांच शाखा होगी। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किसी निर्माता और पृष्ठांकनकर्ता पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है और इसमें ऑनलाइन मार्केटिंग भी शामिल है। अगली बार ऐसे अपराध के लिए, जुर्माना बढ़ कर 50 लाख रुपये तक हो सकता है। बाद के प्रत्येक अपराध के लिए, निषेध की अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है। हालांकि, कुछ अपवाद हैं जब पृष्ठांकनकर्ता को इस

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में, 'उपभोक्ता' की परिभाषा में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों उपभोक्ता शामिल होंगे। "कोई भी सामान खरीदा जाता है" और "कोई भी सेवा हासिल की जाती है" के भाव में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से या टेलिशॉपिंग या प्रत्यक्ष बिक्री या बहुस्तरीय विपणन के माध्यम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन लेनदेन शामिल होंगे।

तरह के दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास भ्रामक विज्ञापन को हटाने का निर्देश देने का अधिकार है।

ग) जिला आयोग के मामले में सहायक न्यायालयों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये, राज्य आयोग के मामले में 10 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आयोग के लिए 10 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है। शिकायतों को दर्ज करने तथा शिकायतों को ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

घ) अधिनियम में उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयों को भी सूचीबद्ध करने का प्रावधान है जो नकली या मिलावटी उत्पादों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री या आयात करते हैं।

ड.) किसी भी उत्पाद के कारण या उससे होने वाले नुकसान के लिए दावेदार के प्रति निर्माता की देयता निर्धारित कर 'उत्पाद देयता' कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

च.) वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के तौर पर मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है जिसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए विधायी आधार प्रदान करना है, इस प्रकार यह प्रक्रिया कम बोझिल, सरल और तेज होती है। यह प्रक्रिया उपभोक्ता

अदालतों के तत्वावधान में क्रियान्वित की जाएगी।

छ) उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता विवादों के मामलों में निर्णय देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, शिकायतों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिए उपभोक्ता अदालतों में न्यूनतम सदस्य संख्या बढ़ाना और राज्य तथा जिला आयोग द्वारा अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार शामिल है। इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निपटान की सुविधा के लिए, 'सर्किट पीठ का गठन, जिला अदालत के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में सुधार, उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतों को दर्ज करना तथा उस उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करना जिसके अधिकार क्षेत्र में शिकायतकर्ता का निवास आता हो और 21 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर स्वीकार्यता का सवाल तय नहीं होने पर शिकायतों को स्वीकार्य मान लेना भी शामिल है।

ज) उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत ई-कॉमर्स दिशानिर्देश अनिवार्य होंगे जिनमें धनवापसी अनुरोध को सम्पन्न करने के लिए 14 दिन की समय सीमा शामिल होगी। इससे ई-टेलर्स को अपनी वेबसाइट पर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का विवरण प्रदर्शित करने और उपभोक्ता शिकायतों को हल करने की प्रक्रिया पर कार्रवाई की बाध्यता होगी। ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी कि ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी सुरक्षित रहे। वस्तु वापसी, धन वापसी, वस्तु बदलने, वारंटी/गारंटी, वितरण/शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में विक्रेता और ई-कॉमर्स इकाई के बीच अनुबंध की शर्तें उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सक्षम करने के लिए प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऑनलाइन खरीददारों के सामने, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के उल्लंघन, घटिया

और नकली उत्पाद, धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। भ्रामक विज्ञापनों के मामलों विशेष रूप से डिजिटल में, उपभोक्ता अदालतों या केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों के पास, अब तक स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं हैं। केवल जब कोई उपभोक्ता अदालत में शिकायत करता है, तो ही कार्रवाई की जा रही है और मुआवजा भी केवल उस पीड़ित उपभोक्ता को दिया जाता है जो उपभोक्ता अदालत में मामला दायर करता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग के रूप में उसी तर्ज पर कार्य करेगा, उपभोक्ता शिकायतों की जांच करेगा, उत्पाद तथा सेवाओं के लिए सुरक्षा नोटिस जारी करेगा, और उत्पाद को वापस लेने तथा भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ काम करने के लिए आदेश पारित करेगा। निर्माता अगर दोषपूर्ण उत्पाद तथा सेवाएं उपलब्ध कराता है, व्यापार के अनुचित तरीके अपनाता है या ऐसा व्यापार करता है जो प्रतिबंधित है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को उसके खिलाफ कानूनी मामला दायर करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ऐसा पाया गया है कि आज तक शायद ही सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कोई मुकदमा दायर किया गया हो।

चूंकि उपभोक्ता अदालतों में न्याय प्रक्रिया धीमी है, इसलिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों में मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना, उपभोक्ता अदालतों में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 74-80 में वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के रूप में 'मध्यस्थता' का प्रावधान है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए विधायी आधार प्रदान करना है, जिससे प्रक्रिया कम बोझिल, सुगम और तेज होगी। मध्यस्थता केंद्र, उपभोक्ता आयोगों के तत्वावधान में काम करेंगे और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार मध्यस्थता प्रकोष्ठ के गठन का फैसला करेगी।

नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 74 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार एक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी जो उपभोक्ता अदालतों और प्रत्येक क्षेत्रीय पीठ से सम्बद्ध होगा। प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ, त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार कर संबद्ध जिला आयोग, राज्य आयोग, या राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ निम्न कार्य करेगा:

- क) पैनल में शामिल मध्यस्थों की सूची बनाएगा,
- ख) प्रकोष्ठ द्वारा जिन मामलों में कार्यवाही की गई उनकी सूची बनाएगा,

- ग) कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करेगा तथा
- घ) विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी।

मध्यस्थों के पैनल का कार्यकाल पांच साल के लिए होगा। सूचीबद्ध मध्यस्थों को नियमों द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर एक और कार्यकाल के लिए फिर से काम करने के लिए पात्र माना जाएगा। मध्यस्थता की कार्रवाई विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों (अनुच्छेद 75) से संबद्ध उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में की जाएगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, अपने अभिनव परिवर्तनों के साथ, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और जरूरतमंदों को समय पर न्याय प्रदान करने में मदद करेगा। □

संदर्भ

1. कपूर, शीतल। (2019) कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर, दूसरा संस्करण, गलंगोटिया पब्लिशिंग कंपनी।
2. अग्रवाल, वी.के. (2015) कंज्यूमर प्रोटेक्शन: लॉ एंड प्रैक्टिस, भारत लॉ हाउस, दिल्ली।
3. मिश्रा, सुरेश, (2017) इज द इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्टड? वन इंडिया वन पीपल।
4. गणेशन, जी और सुमति, एम. (2012) ग्लोबलाइजेशन एण्ड कंज्यूमरिज़्म: इश्यूज एंड चैलेंजिस, रीगल प्रकाशन।
5. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 (बंस अधिनियम)
6. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 (भारत का राजपत्र)
7. www.ncdr.nic.in
8. www.consumeraffairs.nic.in

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	पीआईबी, अखंडानंदहॉल, तल-2, मंदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079-26588669

मिशन इंद्रधनुष 2.0 से समग्र टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की तैयारी

सरकार अब गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू करने की तैयारी में है। यह अभियान दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच चलेगा। इसमें पिछले कार्यक्रम से सीखे गए सबक को अमल में लाया जाएगा। साथ ही, इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर पर 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए कोशिशें तेज करना है। यह कार्यक्रम 27 राज्यों के 271 जिलों और उत्तर प्रदेश व बिहार 652 प्रखंडों में चलाया जाएगा और इसके जरिये दूर-दराज में बसे लोगों और अनुसूचित जनजाति आबादी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।

के

द्र सरकार देश में स्वास्थ्य मोर्चे पर उच्चतम मानक हासिल करने के लिए हरसंभव कोशिश में जुटी है। टीकाकरण अभियान, सब के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से जुड़ा अहम पहलू है। यह अभियान टीकाकरण के जरिये नियंत्रित की जा सकने वाली बीमारियों का बोझ कम करने की सरकार की कोशिशों का अटूट हिस्सा है। पिछले कुछ साल के दौरान इस दिशा में की गई कोशिशें सार्थक रही हैं और इनसे इस बात की पुष्टि हुई है कि भारत सब के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली, किफायती और एक जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर काफी गंभीर है। भारत सरकार ने '1978 में टीकाकरण के लिए व्यापक अभियान' शुरू किया था। बाद में यानि 1985 में इसका नाम बदलकर 'यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम' कर दिया गया। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों में टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली बीमारियों को नियंत्रित कर मृत्यु दर और रोगों की समस्या को कम करना है।

भारत का टीकाकरण कार्यक्रम इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। यहां इस अभियान के तहत हर साल तकरीबन 2.65 करोड़ नवजातों और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है। इस मोर्चे पर लगातार हो रही प्रगति के बावजूद टीकाकरण के कवरेज में ज्यादा तेजी नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-42015-16 (एनएफएस-4) के

मुताबिक, देश में पूर्ण टीकाकरण कवरेज तकरीबन 62 प्रतिशत है। टीकाकरण के कवरेज की रफ्तार अपेक्षाकृत सुस्त होने की वजह तेजी से हो रहा शहरीकरण, प्रवासी आबादी और दूर-दराज में बसे लोग (जिन तक पहुंचना मुश्किल है) हैं। साथ ही, कुछ लोगों में इसको लेकर जागरूकता की भी कमी है।

भारत ने जीवनरक्षक टीकाकरण के जरिये कई बीमारियों का उन्मूलन करने में सफलता हासिल की है। विभिन्न सरकारों द्वारा सिलसिलेवार तरीके से टीकाकरण कार्यक्रमों को लागू किया गया है। जिन बीमारियों के

टीकाकरण के जरिये यह लक्ष्य हासिल किया गया, उनमें चेचक, पोलियो, टेटनस आदि शामिल हैं। बड़ी आबादी, स्वच्छता की खराब स्थिति और दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचने की मुश्किल के बावजूद यह लक्ष्य हासिल किया गया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए असरदार रणनीति बनाई है। उदाहरण के तौर पर इस अभियान में समुदायों को शामिल करने, अन्य मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों से सहयोग मांगने, संगठित निगरानी प्रणाली तैयार करने और हर बच्चे तक टीकाकरण



खास बातें

- टीकाकरण अभियान हर हफ्ते 4 चरण में होगा। रविवार और छुट्टियों के दिनों को छोड़कर बाकी दिनों में यह कार्यक्रम चलेगा।
- अन्य विभागों द्वारा अभियान में सक्रिय भागीदारी, सहूलियत के हिसाब से समय का चुनाव आदि से टीकाकरण अभियान का दायरा और बढ़ाने पर जोर।
- टीकाकरण अभियान से अब तक वंचित, किसी भी वजह से इस प्रक्रिया में पीछे छूट गए और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
- शहरी, पिछड़े इलाकों और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान।
- अंतर-मंत्रालय और अंतर-विभागीय समन्वय।
- एडवोकेसी के जरिये राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रतिबद्धता को बढ़ाना।
- दिसंबर 2019-मार्च 2020 के दौरान गहन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत चुनिंदा जिलों और शहरों में 4 चरण का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- प्रस्तावित 4 चरण पूरा हो जाने के बाद मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के बेहतर नतीजों को बनाए रखने के लिए राज्यों को उपाय करने होंगे, मसलन नियमित तौर पर चलने वाले टीकाकरण कार्यक्रमों में गहन मिशन इंद्रधनुष को शामिल करना। गहन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कितना टिकाऊ है, इसका आकलन एक सर्वे के जरिये किया जाएगा।

की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जन अभियान प्रबंधन रणनीतियों पर काम करना।

बच्चों में टीकाकरण का कवरेज कम होने के कारण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। इसका मकसद उस आबादी तक पहुंचना था, जिनके पास सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है। इनमें वैसी गर्भवती महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो पहले के टीकाकरण अभियानों में किसी वजह से छूट गए थे। मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों के बाद पूर्ण टीकाकरण के कवरेज में 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2017 में गहन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। यह एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका लक्ष्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करना था। इस योजना में वैसे जिलों और शहरी इलाकों पर फोकस था, जहां पूर्ण टीकाकरण की स्थिति कमजोर थी। गहन मिशन इंद्रधनुष अभियान को मिशन इंद्रधनुष के आधार पर तैयार किया गया था और इसमें खास रणनीतियों का इस्तेमाल कर ज्यादा जोखिम वाली आबादी तक पहुंचने की बात है। साथ ही, इसमें स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दरअसल, यह टीकाकरण की प्रक्रिया को जन आंदोलन

में बदलने का प्रयास था। इसका मकसद समुदायों को इसके लिए तैयार करना और टीकाकरण अभियान से जुड़ी बाधाओं को दूर करना था। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और अन्य कई मंत्रालयों के बीच समन्वय का काम कैबिनेट सचिवालय की अगुवाई में किया गया। जिलों में भागीदारी का जिम्मा डीएम को सौंपा गया और जिला कार्यबल की मदद लेने का फैसला किया गया। तहसीलों में स्वास्थ्य और अन्य विभागों के फील्ड कार्यकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद की सुविधा सुनिश्चित की गई। देश के 190 जिलों में गहन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शानदार प्रदर्शन रहा और इन जिलों में पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। इस अभियान ने यह दिखाया कि अलग-अलग क्षेत्रों की भागीदारी उन बच्चों का टीकाकरण करने में प्रभावी है, जिनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हालांकि, इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। खासतौर पर संचार रणनीति में बदलाव करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के सभी चरणों के तहत तकरीबन 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका दिया गया और हजारों गर्भवती महिलाओं और बच्चों के जीवन में जबरदस्त सुधार देखने को मिला।

सरकार अब गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू करने की तैयारी में है। यह अभियान दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच चलेगा। इसमें पिछले कार्यक्रम से सीखे गए सबक को अमल में लाया जाएगा। साथ ही, इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर पर 90 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए कोशिशें तेज करना है। यह कार्यक्रम 27 राज्यों के 271 जिलों और उत्तर प्रदेश व बिहार 652 प्रखंडों में चलाया जाएगा और इसके जरिये दूर-दराज में बसे लोगों और अनुसूचित जनजाति आबादी तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इस मिशन को सफल बनाने के लिए महिला और बाल विकास, आवास और शहरी मामले, युवा मामले समेत कई मंत्रालय मिलकर काम करेंगे और अंतिम पायदान पर मौजूद आबादी तक टीकाकरण के फायदों को पहुंचाने में मदद करेंगे।

पहचान किए गए लाभार्थियों पर काम तेज करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभाग/एजेंसियों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया है और समुदायों, सिविल सोसायटी और युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ने की बात है। इसके अलावा, एनजीओ, सीएसओ, एनएसएस, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, एमएसडब्ल्यू को संगठनकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूएनडीपी जैसी इकाइयां भी सरकार के प्रयासों में मदद करेंगी और कार्यक्रम की जरूरतों के मुताबिक तकनीकी समर्थन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 की शुरुआत के साथ ही भारत के पास 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों के तहत इससे जुड़े लक्ष्यों को हासिल करना है। अतीत की सफलताओं की बुनियाद पर, चुनौतियों से सीखते हुए और संबंधित पक्षों से जुड़े सभी समूहों के लिए गंभीर प्रयास के जरिये बीमारी-मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसमें टीकाकरण अभियान बेहद अहम पहल है। यह हमारे वर्तमान को सुरक्षित बनाने और आने वाली पीढ़ियों को सेहतमंद भविष्य प्रदान करने में काफी महत्वपूर्ण है। □

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

‘ईज ऑफ़ लिविंग’ से ज़िंदगी आसान बनाने की कवायद

अभिषेक कुमार सिंह

ईज ऑफ़ लिविंग को सरकारी योजनाओं के केंद्र में लाकर सरकार ने यह साफ किया है कि उसके लिए देश की प्रगति का मानदंड केवल पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा तय किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के आंकड़े या कारों, एसी की बिक्री और पांच-सितारा होटलों में कमरों की बुकिंग में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ‘नए भारत’ के विकास का मतलब आम लोगों के रोज़मर्रा जीवन में आने वाली सहूलियत है।

लं

बे समय तक गांवों का देश कहलाते रहे भारत में शहरीकरण एक ऐतिहासिक बदलाव है। आबादी के परिप्रेक्ष्य अब जितने भी परिवर्तन होने हैं, उनका सीधा असर हमारे शहरों की दशा-दिशा पर पड़ेगा।

देश के इतिहास में वर्ष 2005 देश को वक्त के ऐसे मोड़ पर ले आया था जब यहां शहरों की आबादी गांवों से ज्यादा हो गई। इसके अगले दस सालों में यह आकलन भी सामने आ गया कि 2028 तक हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी-घनत्व वाला मुल्क भी होगा। यानी इस मामले में हम अपने पड़ोसी मुल्क चीन को पीछे छोड़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तब वहां (चीन में) जनसंख्या में गिरावट का दौर शुरू हो चुका होगा, जबकि भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही होगी। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2013 की जनसंख्या रिपोर्ट का है।

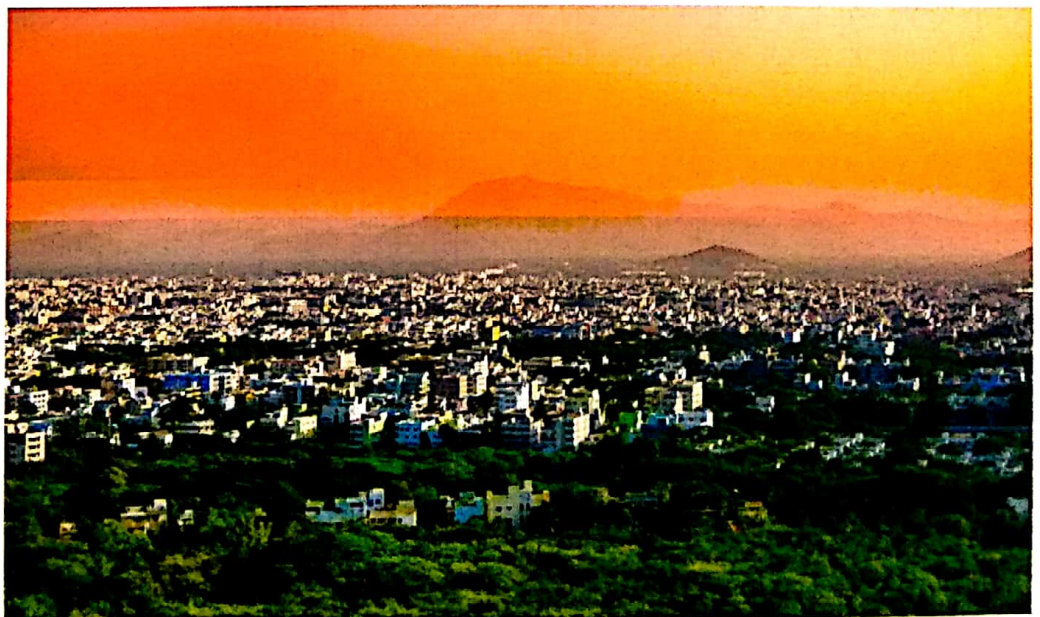
मौजूदा केंद्र सरकार का पूरा ध्यान लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर है इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 5 जुलाई को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आम लोगों की ज़िंदगी आसान करने (ईज ऑफ़ लिविंग) की बात कही गई थी। ताकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ की मजबूत नींव रखी जा सके।

ईज ऑफ़ लिविंग को सरकारी योजनाओं के केंद्र में लाकर सरकार ने यह साफ किया है कि उसके लिए देश की प्रगति का मानदंड केवल पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा तय किए गए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के आंकड़े या

कारों, एसी की बिक्री और पांच-सितारा होटलों में कमरों की बुकिंग में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ‘नए भारत’ के विकास का मतलब आम लोगों के रोज़मर्रा जीवन में आने वाली सहूलियत है।

बजट में किये गये प्रमुख उपायों में निम्न शामिल हैं—

- **ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर:** भारत में अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने, दोनों के लिहाज से गांवों से शहरों में पलायन पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ी समस्या बन कर उभरा है। इस पलायन का कारण ग्रामीण इलाकों में रोज़गार और जीवन की मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसलिए वित्त मंत्री ने बजट 2019-20 में गांवों में ऐसे बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है, जो एक ओर तो गांवों की ज़िंदगी को आसान और सम्मानजनक बनाए और दूसरी ओर ग्रामीण युवाओं और किसानों को रोज़गार के साधन भी उपलब्ध कराए। इन उपायों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए किया गया



लेखक एफआईएस ग्लोबल संस्था से संबद्ध हैं। ईमेल: abhi.romi20@gmail.com

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार कर और तकनीक का उपयोग कर, विशेषकर ऐसी तकनीकी जिसके अच्छे परिणाम मिलें, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। क्षेत्र-आधारित विकास से मलीन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्रों का कार्यांतरण (पुनः संयोजन और पुनः विकास) होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द-गिर्द नए क्षेत्र (हरित-क्षेत्र) विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजित होगा और सभी, विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे शहर समावेशी बनेंगे।



स्मार्ट सिटी सुविधाएं

स्मार्ट शहरों में व्यापक विकास के कुछ प्रारूप की विशेषताएं नीचे वर्णित हैं:-

1. क्षेत्र आधारित घटनाक्रमों में मिश्रित भू-उपयोग को बढ़ावा देना- 'अनियोजित क्षेत्रों' के लिए नियोजन जिसमें भू-उपयोग को अधिक कुशल बनाने के लिए बहुत-सी संगत गतिविधियां और एक-दूसरे के सन्निकट भू-उपयोग निहित हैं। राज्य भू-उपयोग में कुछ लचीलापन ला सकते हैं और ऐसे उप-अधिनियम बना सकते हैं ताकि परिवर्तन के अनुसार ढल सकें;
2. हाउसिंग और समावेशिता- आवास के अवसरों का सभी के लिए विस्तार करना;
3. पैदल चलने योग्य स्थान का निर्माण- भीड़भाड़, वायु प्रदूषण और संसाधनों की कमी को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अंतर्क्रिया को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क नेटवर्क को केवल वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि पैदल यात्रियों और साईकिल चालकों के लिए भी बनाया अथवा सुसज्जित किया जाता है और पैदल या साईकिल से तय की जाने वाली दूरियों के लिए आवश्यक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं;
4. नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करने, शहरी क्षेत्रों में तापमान के प्रभावों में कमी लाने और आमतौर पर पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए खुले स्थानों - पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन के स्थानों का संरक्षण और विकास करना;
5. परिवहन के विभिन्न विकल्पों को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक परिवहन और अंतिम गंतव्य स्थल पर परिवहन कनेक्टिविटी;
6. सेवाओं की कीमतों में कमी लाने और नगर निगम के कार्यालयों में जाए बिना सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर अधिकाधिक आश्रित शासन को नागरिक-मैत्री और किफायती बनाना, विशेषकर मोबाईल उपयोग को। लोगों को सुनने और सुझाव लेने एवं कार्यस्थलों के साईबर दौरे की मदद से कार्यक्रमों व कार्यकलापों की ऑनलाइन निगरानी का उपयोग करने के लिए ई-समूहों का गठन करना;
7. अपने मुख्य आर्थिक कार्यकलापों जैसे स्थानीय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और शिल्प, संस्कृति, खेल के सामान, फर्नीचर, होजरी, कपड़े, डेयरी आदि पर आधारित शहर को पहचान प्रदान करना;
8. अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास में उनके लिए स्मार्ट समाधान का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, कुछेक संसाधनों का उपयोग कर और सस्ती सेवाएं प्रदान कर क्षेत्रों को आपदा के प्रति कम असुरक्षित बनाना।

स्रोत : <http://smartcities.gov.in/contenthi/innerpage/smart-city-features-hi.php>

80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आवंटन किया गया जिसका इस्तेमाल 1.25 लाख किलोमीटर ऐसी सड़कों के नवीकरण और अपग्रेडेशन के लिए किया जाएगा, जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं।

- **डिजिटल फोकस:** बजट में डिजिटल इंडिया के लक्ष्य में सफलता हासिल करने और इससे लोगों की दैनिक जिंदगी में सहूलियत पैदा करने की दिशा में कई कदम उठाये गये और 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले इंटरप्राइज के लिए भीम, आधार पे और यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट समाधान उपलब्ध

कराना अनिवार्य कर दिया।

- **रोजगार के जरिये ईज ऑफ़ लिविंग:** यदि ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवा के पास करने को काम नहीं हो और आमदनी का जरिया नहीं हो, तो उसके लिए जिंदगी की सहूलियत का कोई मतलब नहीं रहता। इसी सिद्धांत को समझते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2019 में तीन बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। **स्फूर्ति योजना** के तहत 100 अतिरिक्त क्लस्टर बनाये जाएंगे, जिसका आधार बांस, शहद और खादी होंगे। ये क्लस्टर एक तरफ तो किसानों को बेहतर आमदनी के लिए कृषि

शहरी वेधशाला से मर्ज का इलाज

इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सहूलियतों पर बेतहाशा दबाव और अनियोजित शहरीकरण के इलाज के लिए कोई पुख्ता योजना तभी बन सकती है, जब उनका समग्र आकलन हो। ऐसे आकलन का अब एक नया उपाय शहरी वेधशाला (अर्बन ऑब्ज़र्वेटरी) जैसी तकनीक के रूप में सूझा है, जिसे हमारे देश में इस साल मार्च माह में लॉन्च किया गया था। बाद में इसकी चर्चा एक बार फिर तब उठी थी, जब दिल्ली की बढ़ती आबादी के संदर्भ में कहा गया कि अर्बन ऑब्ज़र्वेटरी से मिले आंकड़ों की मदद से राजधानी समेत देश के प्रमुख शहरों की आबादी को स्वच्छ और रहन-सहन योग्य बनाया जाएगा। अवधारणा के तौर पर शहरी वेधशाला का विचार सबसे पहले वर्ष 1997 में इस्तांबुल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट-2 सम्मेलन में पेश किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला डाटा (सूचनाओं), चित्रों और वीडियो के जरिए शहरी संसाधनों पर पड़ रहे दबावों का सटीक आकलन हो सकता है और कैसे इन आंकड़ों, चित्रों और वीडियो आदि का विश्लेषण एक वीडियो वॉल बनाकर किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से लगातार जुटाए जाने वाले डाटा को दृश्यात्मक रूप में प्रस्तुत (विजुअलाइज) करते हुए यह पता लगाया जा सकता है कि शहर के किस हिस्से में विकास के मद्देनजर क्या अभाव पैदा हो गया है और कहां किस चीज की तत्काल भरपाई करने की आवश्यकता है। शहरों की जटिल होती जा रही चुनौतियों से निपटने में क्या रणनीति बनानी चाहिए और क्या नीतिगत फैसले लेने चाहिए, शहरी वेधशाला से मिले विश्लेषण के नतीजे योजनाकारों की इसमें भी मदद कर सकते हैं। खास यह है कि इस वेधशाला के तात्कालिक और पूर्व में लिए गए संरक्षित आंकड़े एक तुलनात्मक अध्ययन में सहायक साबित होते हैं और इससे समुचित शहरीकरण की सर्वोच्च प्राथमिकताएं फौरन तय की जा सकती हैं, बशर्ते सरकारें और योजनाकार उन्हें लागू करने में कोई देरी न करें। कचरा प्रबंधन, प्रदूषण, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े जब शहरी वेधशाला की मदद से किसी वीडियो वॉल पर तत्काल देखें जा सकेंगे, तो उम्मीद की जा सकती है कि अनियोजित शहरी विकास की दशा और दिशा सुधारने के काम में भी तेजी आ सकेगी। ध्यान रहे कि भविष्य में गवर्नेंस का ज्यादातर काम डाटा-आधारित (डाटा-ड्रिवेन) होगा, ऐसी में अर्बन ऑब्ज़र्वेटरी शहरीकरण की समस्या का एक उचित समाधान देते हुए प्रतीत हो रही है।

योग्य जमीन के अलावा अन्य जगहों से विकल्प प्रदान करेंगे, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन भी करेंगे। इसके अलावा एस्पायर स्कीम के अंदर 100 बिजनेस इनक्यूबेटर भी तैयार किए जाएंगे। इसी सिलसिले में 75000 नए उद्यमियों को ग्रामीण कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रशिक्षित करने की घोषणा आने वाले वर्षों में ग्रामीण और टीयर-3, टीयर-4 शहरों के लोगों की आमदनी में वृद्धि कर उनकी जिंदगी सरल बनाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।

शहरी भारत में पीएमएवाई, अमृत: पीएमएआई (शहरी) के तहत सैनटेशन, सफाई और सबको घर देने की योजनाएं जारी रखने की घोषणा की गई, जो पहले ही 4000 से ज्यादा शहरों में चल रही हैं। इसके अलावा पेयजल और ई-प्रशासन से जुड़ी अमृत योजना भी 500 शहरों में चल रही है। वजट में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर नागरिक सेवाएं पहुंचाना किया जाना तय किया गया है और इसके लिए 6600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 425 करोड़ रुपये ज्यादा है। 'न्यूनतमसरकार, अधिकतम प्रशासन' का लक्ष्य हासिल करते हुए आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण कदम है।

जीवनयापन में सुधार

शहरों की जिंदगी में सुधार की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह बात हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली उस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 के संदर्भ में ज्यादा प्रासंगिक लगती है जिसमें दुनिया के अच्छे शहरों की गणना का एक काम किया जाता है। पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर

आदि पांच प्रमुख मानकों पर लोगों के निवास के उपयुक्त शहरों का आकलन करने वाला यह सूचकांक इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) जारी करती है। हालांकि, ईआईयू की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में देश की राजधानी दिल्ली पिछले साल के मुकाबले इस साल छह स्थान फिसलकर 118वें नंबर पर पहुंच गई। इस गिरावट के पीछे दिल्ली में वायु प्रदूषण को अहम वजह माना गया। मायानगरी मुंबई दो पायदान नीचे गिरकर 119 वें नंबर पर पहुंची। दुनिया के 140 देशों के प्रमुख शहरों में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कोई अच्छी स्थिति में नहीं हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका नीचे से तीसरे यानी 138वें और पाकिस्तान का कराची 136वें नंबर पर है। पर पड़ोसी से आगे रहना हमारे लिए कोई राहत की बात नहीं है। दुनिया के 140 देशों की इस सूची में ऑस्ट्रेलिया का विएना अव्वल आया है और टॉप के 10 शहरों में कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के तीन-तीन शहर शामिल हैं। ईआईयू की इंडेक्स का मकसद दुनिया को यह बताना है कि शहरीकरण का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वहां बड़ी आबादी के रहने के प्रबंध कर दिए जाएं और एक बार लंबा-चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा दिया जाए। बल्कि इसका संदेश यह है कि शहरीकरण के कोई मायने तभी हैं, जब योजनाबद्ध ढंग से किया जाए और उसमें शहरी आबादी को कामकाज की सुविधा के अलावा जिंदगी की कई जरूरी सुविधाएं आसानी से मुहैया हों। साथ ही ये शहर प्रदूषणमुक्त हों और वहां के नागरिक सुरक्षा व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नागरिकों को दें। उल्लेखनीय है कि शहरीकरण के इन्हीं दबावों और सुधारों का एक जिक्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले से अपने उद्बोधन में भी किया था। उन्होंने कहा था कि देश में कारोबार की शर्तों को आसान बनाने के

कुछ ग्लोबल स्मार्ट शहर

भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक से एक बेहतरीन शहर बसाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। विदेशों में भी इन्हें भविष्य के शहर कहा जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी खास विशेषता के आधार पर उस शहर का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

दुनिया में नए शहरों के लिए जो शर्तें या मानक तय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

1. इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये शहर कितने आधुनिक हैं? यानी क्या ऐसे शहरों में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया गया है या नहीं। सड़क और रेल परिवहन में सौर बिजली का इस्तेमाल, कचरा निष्पादन की सुरक्षित व स्वचालित व्यवस्था और दूरसंचार के आधुनिक तौर-तरीके, ऐसी खूबियों से लैस शहर को ही स्मार्ट माना जाएगा।
2. भविष्य के लिए बसाए जा रहे शहरों में यह बात काफी मायने रखेगी कि वहां पर्यावरण के साथ क्या तालमेल बिठाया गया है। यानी वहां ऊर्जा (बिजली) के स्रोत क्या हैं और पानी के सुरक्षित आवागमन की क्या व्यवस्था है।
3. क्या वायरलेस सेंसरों और नेटवर्कों से पूरे शहर को जोड़ा गया है ताकि दिव्यांग लोग भी पूरी सहजता से शहर की सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकें।
4. समाज के हर तबके की जरूरत के हिसाब से हाईटेक रहन-सहन, मनोरंजन, स्वास्थ्य व शिक्षा आदि का समग्र प्रबंध। और
5. पुलिस, प्रशासन तथा अन्य व्यवस्थाओं का नागरिकों के साथ तात्कालिक जुड़ाव का क्या इंतजाम किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर हर तरह की समस्या का समाधान लोगों को मिल सके।

दक्षिण कोरिया में सॉन्गदो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नामक जो शहर बसाया जा रहा है, उसमें स्कूल, अस्पताल, आवासीय अपार्टमेंट, ऑफिस बिल्डिंगों और सांस्कृतिक सुविधाओं वाले सेंट्रों को भी पूरी दुनिया की टक्कर का बनाया जा रहा है। यह शहर दक्षिण कोरिया की राजधानी सिओल से 65 किलोमीटर दूर है और करीब 1500 एकड़ में बसाया जा रहा है। इसकी एक खूबी यह है कि इसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और वेनिस के जलमार्गों की हूबहू नकल भी तैयार की जा रही है। येलो सी के तट पर

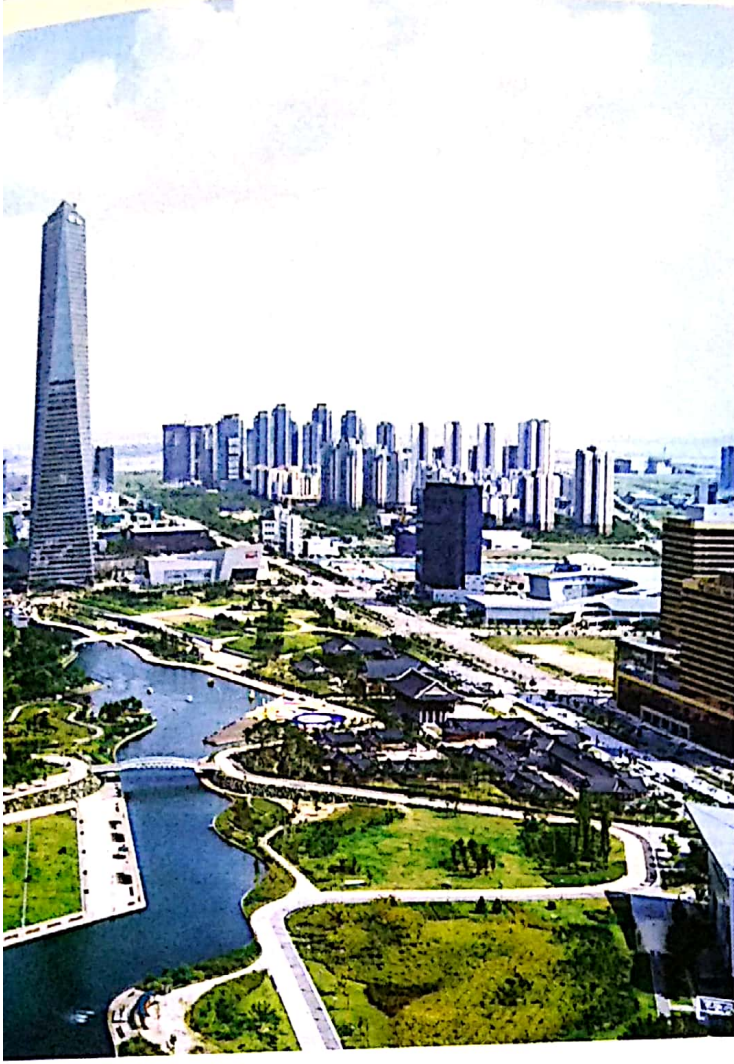


करीब 35 अरब डॉलर की लागत से इस शहर को बसाने का काम वर्ष 2005 में शुरू हुआ था। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहां सार्वजनिक इस्तेमाल की हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हुए हैं, जैसे स्वचालित सीढ़िया (एस्केलेटर)। ये एस्केलेटर एक बार चालू कर देने पर हमेशा चलते नहीं रहते, बल्कि ये तभी चलते हैं, जब उन पर कोई खड़ा होता है। इसी तरह इस शहर के सभी घरों में टेलिप्रेजेंस सिस्टम लगाया जा रहा है जो घर के सदस्यों के आवागमन की सूचनाएं दर्ज करता है और अजनबियों को पहचान करके संबंधित तंत्र को इसकी सूचना देता है। घरों के ताले, घर को गर्म रखने के लिए हीटिंग प्रणाली आदि सभी पर ई-नेटवर्क के जरिये नियंत्रण रखा जा सकता है। इस शहर के स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तर भी ऐसे ही ई-नेटवर्क पर मौजूद रहेंगे। चूँकि पूरा शहर एक पुख्ता सूचना

साथ अब यह भी जरूरी है कि आम लोगों के रहन-सहन का स्तर भी बेहतर किया जाए। इसके लिए लोगों की जिंदगी में सरकारी दखल कम हो और लोगों को अपनी इच्छा से जीवन बसर करने की आजादी मिले। लेकिन यहां अहम मुद्दा आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने यानी ईज ऑफ लिविंग का है।

यह जीवन स्तर कैसा है- इसका आकलन कई अध्ययनों और सर्वेक्षणों से देश में किया जाने लगा है। जैसे पिछले साल (2018 में) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जो ईज ऑफ लिविंग

इंडेक्स, 2018 जारी थी, उसमें रहन-सहन बेहतर बनाने के प्रयासों के मामले में आंध्र प्रदेश को अव्वल ठहराया गया था। ओडिशा और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए थे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मकसद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर शहरों के विकास और प्रबंधन की योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना है ताकि नागरिक एक स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें और ये शहर दुनिया के बेहतरीन शहरों के मुकाबले में आ सकें। इस इंडेक्स के जरिये शहरों की शक्तियों (विशेषताओं),



प्रणाली से जुड़ा है, यही वजह है कि इसे प्रतीकात्मक रूप में 'बक्स में बंद शहर' की संज्ञा दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस शहर में करीब 65 हजार लोग रहने लगेंगे, साथ ही, नजदीकी शहरों से यहां तीन लाख लोग काम करने के लिए रोजाना आया करेंगे।

ऐसा ही एक अन्य बेजोड़ शहर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का मास्दर नाम से बसाया जा रहा है। अरबी भाषा के मास्दर का मतलब- स्रोत होता है। आबू धाबी के रेगिस्तान के बीचोंबीच बसाए जा रहे शहर में निजी कारों की बजाय बिजली से चलने वाली बिना ड्राइवर की गाड़ियां होंगी। इस्तेमाल लायक पूरी बिजली शहर में ही सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के जरिये पैदा की जाएगी। यहां तक कि घरों और सार्वजनिक स्थानों पर एयरकंडीशनर भी सूरज की गर्मी से चलेंगे। मोबाइल फोन भी किसी सोलर डिजिटल ट्री के नीचे खड़े

होकर चार्ज किए जा सकेंगे। किसी भी किस्म का प्रदूषण फैलाए बिना कोई शहर बस सकता है- मास्दर के जरिये यही साबित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि ऐसा शहर बसाने की लागत कई अरब डॉलर है, इसलिए इस तरह का दूसरा शहर बसाना काफी मुश्किल है।

वैसे तो ऐसे कई अन्य दर्जनों शहर हैं जो साइंस-तकनीक की मदद से बेहद आश्चर्यजनक रूप-स्वरूप के साथ दुनिया में बसाए जा रहे हैं (साइबेरिया की उम्का सिटी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अल्टिमा नाम से एक टावर, अमेरिका के ही द वीनस प्रोजेक्ट, मैक्सिको में अर्थस्क्रेपर शहर, जिस जमीन के भीतर बसाए जाने की योजना है), पर बसे-बसाए शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना पर भी कई देशों में काम चल रहा है। बल्कि कुछ शहर तो स्मार्ट सिटी की कसौटियों पर खरे पाए गए हैं। जैसे ऑस्ट्रिया के शहर विएना को इनोवेशन, ग्रीन सिटी, जीवन की गुणवत्ता और डिजिटल गवर्नेंस के आधार पर स्मार्ट माना गया है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका के शहर टोरंटो को स्मार्ट सिटी होने का दर्जा दिया गया है। टोरंटो में रोजाना घर-दफ्तरों से निकलने वाले कचरे को एक जगह जमा कर उससे प्राकृतिक गैस बनाने का काम किया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस भी ग्रीन सिटी, डिजिटल गवर्नेंस जैसे कसौटियों पर खरी पाई गई है। अमेरिका की वाणिज्यिक राजधानी न्यूयॉर्क की स्मार्टनेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर होना नहीं है, बल्कि यहां कंप्यूटर तकनीक पर आधारित सेवाओं की क्वालिटी दुनिया में सबसे उम्दा पाई गई है। हालांकि इस मामले में न्यूयॉर्क को एक चुनौती ब्रिटिश राजधानी लंदन से मिल रही है। दावा किया जाता है कि यूरोप में सबसे बड़ा मुफ्त वाई-फाई जोन अगर कहीं है, तो वह लंदन में ही है। लंदन को प्रशासन, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, शिक्षा और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संदर्भों में भी स्मार्ट शहर माना गया है। भविष्य के शहरों के लिए एक उदाहरण जापान की राजधानी टोक्यो से मिलता है। टोक्यो ने इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस जैसी कसौटियों पर दूसरे शहरों को काफी पीछे छोड़ा है। इसके अलावा, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और हर मामले में ऊर्जा की बचत करने वाली तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर यह एक बेहतरीन शहर साबित हो रहा है। जर्मनी के शहर बर्लिन को इनोवेशन, हरीतिमा और जीवन की गुणवत्ता के पैमानों पर काफी स्मार्ट आंका जा चुका है। इसी तरह की स्मार्टनेस कोपेनहेगन शहर में दिखती है, जहां की 40 फीसदी आबादी परिवहन के साधन के रूप में साइकिलों का इस्तेमाल करती है।

कमजोरियों, चुनौतियों और वहां मौजूद अवसरों का आकलन भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि जून, 2017 में यह तय किया गया था कि देश के 116 शहरों की सुविधाओं और खामियों का जीवन स्तर के पैमाने पर आकलन किया जाएगा। इसके बाद 12 अगस्त, 2018 को केंद्र सरकार ने 111 भारतीय शहरों पर आधारित पहले ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया था, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, अफोर्डेबल हाउसिंग, सुगम यातायात, कचरा प्रबंधन, बिजली, स्वच्छ पानी की उपलब्धता,

गवर्नेंस आदि मानकों पर आधारित ऐसी पहली सूची माना गया था। यही नहीं, सतत विकास लक्ष्य-11 (SDGs & Sustainable Development Goals) से भी संबंधित उद्देश्य उठाते हुए कहा गया कि वैश्विक मानकों पर एसडीजी से 17 लक्ष्यों में से आठ लक्ष्य सीधे तौर पर भारत के ईज ऑफ लिविंग आकलन से जुड़े हुए हैं। उल्लेखनीय है कि SDG-11 का उद्देश्य शहरी नागरिकों के लिए 30 पैमानों पर सतत, सुरक्षित और लचीला वातावरण बनाना है। □

दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण

हेना नक्वी

हाल के वर्षों में देश में दिव्यांगजनों के समग्र विकास एवं सशक्तीकरण के लिए संजीदा प्रयासों की शुरुआत हुई है। दिव्यांगजनों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को देश में उनके सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे कुछेक महत्वपूर्ण प्रयासों पर प्रकाश डालता आलेख प्रस्तुत है—

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। संविधान का यह आदर्श दिव्यांगजनों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए समतामूलक एवं समावेशी समाज की स्थापना की कल्पना से परिलक्षित होता है। वैश्विक और भारतीय समाज की सोच में भी दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। आज यह तथ्य भली-भांति स्थापित हो चुका है कि यदि समान अवसर एवं अधिकार मिलें तो सभी दिव्यांगजन न केवल एक सम्मानजनक एवं आत्म-निर्भर जीवन जी सकते हैं बल्कि अपने राष्ट्र-समाज के लिए उपयोगी मानव संसाधन भी साबित हो सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 (वर्ष 2016 में अद्यतनीकृत) के अनुसार भारत की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं जोकि देश की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है। इसमें से 1.5 करोड़ पुरुष (दिव्यांगजनों की आबादी का 56 प्रतिशत) और 1.18 करोड़ महिलाएं (दिव्यांगजनों की आबादी का 44 प्रतिशत) हैं। आंकड़ों के उक्त स्रोत के अनुसार, दिव्यांगजनों की अधिकांश आबादी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित है।

वैश्विक मंच पर दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए व्यापक विचार-मंथन किए जाते रहे हैं और नीतियां बनाकर उनपर अमल भी किया जाता रहा है। इस दिशा में सबसे

महत्वपूर्ण है, 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज' (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) जिसे 13 दिसम्बर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय, न्यूयॉर्क में अंगीकार किया गया तथा विभिन्न राष्ट्रों के हस्ताक्षर के लिए मार्च 2007 में सामने लाया गया। कन्वेंशन पर भारत समेत 82 देशों के हस्ताक्षर प्राप्त हुए जोकि अपने-आप में एक उपलब्धि है। 3 मई, 2008 से यह कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर लागू हुआ और तब से इसे दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों के पैरोकार तथा उनके प्रति सकारात्मक रवैया जागृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है। यह कन्वेंशन दिव्यांगजनों को दया एवं करुणा के पात्र के रूप में न देखकर सक्षम मानवों के रूप में

देखता है, ऐसे मानव जो अपने अधिकारों का प्रयोग करने, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने तथा समाज के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में योगदान देने में समर्थ हैं। कन्वेंशन का अनुच्छेद 9, हस्ताक्षरकर्ता सरकारों पर सभी आवश्यक कदम उठाने का दायित्व डालता है ताकि दिव्यांगजनों की पहुंच अन्य लोगों के समान ही भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार (प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित) और शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में जनता को प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं तक सुनिश्चित की जा सके।

हमारे देश में दिव्यांगजनों के लिए अनेक शब्द सामने आए लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर 'दिव्यांगजन'





शब्द सामान्य प्रचलन में आया जिसपर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग 'विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग' के नए नामकरण, 'दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग' के साथ ही सामाजिक मोहर लग गई और अब पूरे देश में यह शब्द सामान्य रूप से प्रयोग होता है। ज्ञातव्य है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगजनों तथा दिव्यांगता संबंधी मुद्दों पर सरकार की नोडल एजेंसी है। यह विभाग केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों, स्वयंसेवी संगठनों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के सामंजस्य से मुख्यतः निम्नलिखित कदमों के द्वारा दिव्यांगजनों के विकास एवं समाज की मुख्यधारा में उनके समावेशन के प्रयास करता है:

- दिव्यांगजनों का शारीरिक पुनर्वास जिसमें दिव्यांगता की समय पर पहचान, दिव्यांगता न्यूनीकरण के लिए आवश्यक कदम, चिकित्सकीय पुनर्वास तथा दिव्यांगता का प्रभाव दूर करने के लिए आवश्यक सहायक यंत्रों तक पहुंच आदि शामिल हैं।
- शैक्षणिक पुनर्वास जिसमें रोजगारपरक शिक्षा भी शामिल है।
- आर्थिक पुनर्वास एवं सामाजिक सशक्तीकरण।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और दिव्यांगता

सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) के लिए वैश्विक स्तर पर एजेन्डा 2030 अपनाया गया है जिसमें 17 सस्टेनेबल गोल्स (SDGs) शामिल हैं। 'कोई न छोटे पीछे' के आदर्श पर आधारित यह नया एजेन्डा एक समग्र दृष्टिकोण से हरेक के लिए सतत विकास पर बल देता है। एसडीजी के तहत प्रत्यक्ष तो नहीं अप्रत्यक्ष तरीके

'सुगम्य भारत अभियान'
दिव्यांगजनों को उनके विकास हेतु समान अवसर और पहुंच मुहैया कराने की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है। अभियान का लक्ष्य दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।

से दिव्यांगजनों के समावेशन की बात की गई है विशेषकर असमानता उन्मूलन, शिक्षा, सीखने के अवसरों, विकास एवं रोजगार, सुगम शहरों एवं निवास स्थानों जैसे बिन्दुओं के माध्यम से। दिव्यांगता समावेशन का यह आदर्श विशेष रूप से एसडीजी संख्या 4, 8, 10 एवं 11 से झलकता है।

- पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पेशेवर कर्मियों को तैयार करना।
- दिव्यांगजनों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी तंत्र/सेवा प्रणाली को बेहतर बनाना।
- दिव्यांगजनों के विभिन्न मुद्दों पर समाज के विभिन्न वर्गों को जागृत करने के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

यू.एन.सी.आर.पी.डी. का एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन तथा सशक्तीकरण की दिशा में व्यापक एवं संजीदा प्रयास किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2016 में संसद में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को भारत में दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तीकरण की दिशा में अबतक का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह कानून न केवल दिव्यांगजनों के हक-अधिकार में आवश्यक बढ़ोतरी करता है बल्कि सही मायनों में समाज में उनके

दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्र-स्तरीय संस्थान एवं अन्य संगठन*

1. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पीच हियरिंग डिसएबिलिटीज़, बान्द्रा, मुंबई
2. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पीच हियरिंग डिसएबिलिटीज़, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद
3. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पीच हियरिंग डिसएबिलिटीज़, हुगली, कोलकाता
4. अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्पीच हियरिंग डिसएबिलिटीज़, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली
5. नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ़ पर्सन्स विद ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेन्टल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलिटीज़, नई दिल्ली
6. पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़, नई दिल्ली
7. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद विजुअल डिसएबिलिटीज़, देहरादून
8. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज़, चेन्नई
9. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएबिलिटीज़, हुगली, कोलकाता
10. स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक
11. रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली।

*सांकेतिक सूची

समावेशन व सशक्तीकरण के प्रभावकारी तंत्र की व्यवस्था भी करता है।

दिव्यांगन अधिकार अधिनियम, 2016 को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा विकलांगता का प्रकार 07 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके तहत पहली बार अल्प-दृष्टि, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, वाणी संबंधी दिव्यांगता आदि को स्थान मिला है। उच्च स्तरीय सहयोग की आवश्यकता वाले समूहों जैसे एसिड अटैक पीड़ितों, पार्किन्संस नामक बीमारी के मरीजों, रक्त संबंधित व्याधियों जैसे थैलेसेमिया, हिमोफीलिया के मरीजों को भी पहली बार देश में इस कानून के ज़रिए दिव्यांगजनों के रूप में पहचाना गया है। यह सभी समूह ऐसे हैं जिन्हें अनवरत सहयोग तथा पुनर्वास की आवश्यकता होती है और जो विशेष अधिकारों तथा अवसरों के बिना सामान्य जीवन नहीं जी सकते हैं। इस कानून के द्वारा बेंचमार्क दिव्यांगजनों एवं उच्च-स्तरीय समर्थन की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा में, सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरियों

में तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु दी जाने वाली भूमि के आवंटन में आरक्षण आदि की व्यवस्था की गई है।

इस कानून के तहत 6-18 वर्ष के बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही, सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उनके द्वारा दिव्यांग बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस कानून के तहत यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों को दी गई है कि

दिव्यांगजनों की उनके अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएं। 'सुगम्य भारत अभियान' को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर सभी सार्वजनिक भवनों को सुगम्य बनाने की व्यवस्था भी इस कानून में की गई है।

'सुगम्य भारत अभियान' दिव्यांगजनों को उनके विकास हेतु समान अवसर और पहुंच मुहैया कराने की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया

एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है। अभियान का लक्ष्य दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभियान के तहत एक निश्चित समय-सीमा में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता की जांच करना एवं उन्हें पूर्ण सुगम्य बनाना, सभी अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सरकार



के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहकों की सुगम्यता जांच करना एवं उन्हें पूर्ण सुगम्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन वाहकों में बदलना, सरकारी वेबसाइटों एवं सभी सार्वजनिक दस्तावेजों (केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों) की सुगम्यता जांच करना एवं उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइटों एवं दस्तावेजों में परिवर्तित करना, राष्ट्रीय मीडिया पर प्रसारित होने वाले अनुशीर्षकों एवं सांकेतिक भाषा में व्याख्या पर राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना एवं अपनाना जैसे कदम शामिल हैं।

दिव्यांगता से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां*

- विश्व ब्रेल दिवस: 4 जनवरी
- अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस: 1 मार्च
- अंतर्राष्ट्रीय डाउन सिन्ड्रोम दिवस: 21 मार्च
- विश्व ऑटिज़्म दिवस: 2 अप्रैल
- विश्व पार्किन्संस दिवस: 11 अप्रैल
- हेलेन केलर दिवस: 27 जून
- अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस: 23 सितम्बर
- विश्व दृष्टि दिवस: अक्टूबर माह का दूसरा गुरुवार
- व्हाइट केन सेफ्टी डे: 15 अक्टूबर
- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस: 3 दिसम्बर।

**सांकेतिक सूची*

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा छत्र योजना के रूप में 'स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 2016 (सिपडा) का संचालन किया जा रहा है। सिपडा योजना के माध्यम से उक्त अधिनियम में प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जागरूकता निर्माण योजना, अनुसंधान एवं विकास, ऑन जॉब ट्रेनिंग आदि इस योजना के प्रमुख घटक हैं। जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) भी सिपडा योजना का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके तहत धरातल स्तर पर दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने, जागरूकता निर्माण तथा पुनर्वास से जुड़े पेशेवर कर्मियों के प्रशिक्षण आदि के लिए जिला स्तर पर बुनियादी ढांचों का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। 'एसिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर

वर्ष 2015 में 'दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना' की शुरुआत की गई है। इसके तहत वर्ष 2020 तक 25 लाख दिव्यांगजनों को रोज़गारपरक प्रशिक्षण देकर रोज़गार शुरू करने के योग्य बनाने का लक्ष्य है।

परचेजिंग/फिटिंग ऑफ़ एड्स एंड अप्लाएंसेज़ (एडिप) योजना के तहत विशेष शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों के बीच सहायक यंत्रों का वितरण किया जाता है तथा इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं/एजेंसियों आदि को जरूरतमंद दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2015 में 'दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना' की शुरुआत की गई है। इसके तहत वर्ष 2020 तक 25 लाख दिव्यांगजनों को रोज़गारपरक प्रशिक्षण देकर रोज़गार शुरू करने के योग्य बनाने का लक्ष्य है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शुरू किए गए 'यूनीक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट' का उद्देश्य दिव्यांगजनों का राष्ट्रव्यापी डेटाबेस तैयार करना एवं उसकी सहायता से देश भर के समस्त दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र तथा विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) प्रदान करना है। यह कार्ड सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। इस कार्ड में लाभार्थी की सभी आवश्यक विवरणी दर्ज है और यह समस्त देश में मान्य है। पूरे देश में इसे लागू करने के लिए एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर भी तैयार किया गया है। इसकी सहायता से देश के किसी भी कोने से दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी आवेदन की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।

प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर को देश के विभिन्न भागों में 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' का आयोजन किया जाता है। इस विशेष दिवस के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों के मुद्दों पर समाज को जागरूक करने के लिए

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित विषय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं तथा अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है जिससे उनका मनोबल ऊंचा होता है, वहीं दूसरी ओर समाज को भी सकारात्मक संदेश मिलने से दिव्यांगता संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में 'सेन्टर फॉर डिस्पैबिलिटी स्पोर्ट्स' की स्थापना प्रक्रियाधीन है। खेलकूद से संबंधित उच्च-स्तरीय बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से यह केन्द्र दिव्यांग खिलाड़ियों की खेलकूद में सहभागिता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए समर्पित होगा।

इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का मूल उद्देश्य यह है कि दिव्यांगजन देश की मुख्यधारा के साथ चल सकें लेकिन यह समाज के विभिन्न वर्गों का संयुक्त दायित्व है। इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और कुल मिलाकर उनके लिए एक समर्थकारी वातावरण का निर्माण हो। यह समर्थकारी वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें दिव्यांगजनों की आत्म-निर्भरता बढ़े, उनकी क्षमताओं का विकास हो, वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, स्वयं से संबंधित निर्णयों में भागीदार बन सकें, अपने जीवन में दिव्यांगता के नकारात्मक प्रभाव का न्यूनीकरण कर जीवन स्तर में सुधार कर सकें और देश-समाज के विकास में योगदान दे सकें। यह दिव्यांगजनों के लिए एक आदर्श स्थिति है जिसकी कल्पना यू.एन.सी.आर.पी.डी. में की गई है। यदि समाज के सभी वर्ग दिव्यांगजनों के विकास की दिशा में अपनी-अपनी भागीदारी निभाएं तो यह कल्पना हकीकत में बदल सकती है और वह दिन आ सकता है जब देश के सभी दिव्यांगजन एक आत्म-निर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने के योग्य बनेंगे! □

‘कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रजेंट’ के असमिया संस्करण का विमोचन

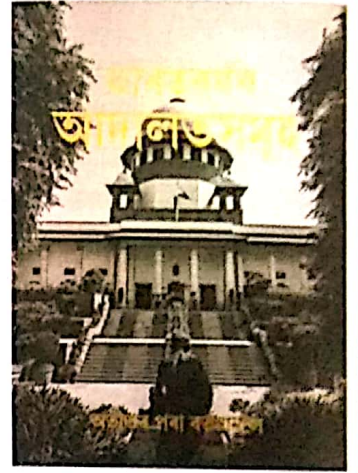


भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने ‘कोर्ट्स ऑफ इंडिया: पास्ट टू प्रजेंट’ के असमिया संस्करण का गुवाहाटी में 10 नवंबर, 2019 को विमोचन किया। यह पुस्तक भारत की अदालतों और न्यायिक संस्थाओं के समृद्ध और जटिल इतिहास की अनेक छवियों का संकलन है। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन करते हुए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने इसे न्याय का वास्तुशिल्प करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय न्याय प्रणाली की शानदार व्याख्या दी गयी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भारत के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबडे तथा अनेक अन्य गण्यमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा कि इस पुस्तक की प्रतियां असम के सभी सरकारी पुस्तकालयों को उपलब्ध करायी जाएंगी। अपने भाषण में न्यायमूर्ति बोबडे ने इस पुस्तक को बेहतरीन संकलन बताया।

समारोह में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी भी उपस्थित थीं। इस पुस्तक में देश की न्यायपालिका के ऐतिहासिक घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशन विभाग ने यह पुस्तक इससे पहले अंग्रेजी में भी प्रकाशित की थी।

(स्रोत : आकाशवाणी, 10 नवंबर 2019 की रिपोर्ट पर आधारित)



क्या आप जानते हैं?

न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के नये प्रधान न्यायाधीश

न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में 18 नवंबर, 2019 को भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे 12 अप्रैल, 2013 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इससे पहले वह 16 अक्टूबर, 2012 से लगभग छह महीने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। वह 29 मार्च, 2000 से बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज और 28 मार्च, 2002 से स्थायी जज रहे हैं।

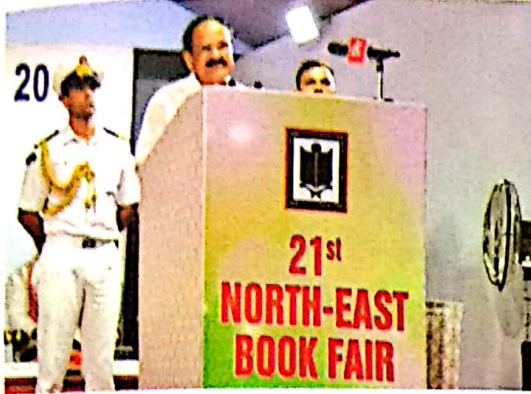


न्यायमूर्ति बोबडे का जन्म 24 अप्रैल, 1956 को हुआ और वह 13 सितंबर, 1978 को अधिवक्ता बने। उन्होंने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ और नागपुर जिला न्यायालय में वकालत की और उन्होंने समय-समय पर बॉम्बे हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, श्रम, निर्वाचन तथा कराधान मामलों में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं दीं। न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे संवैधानिक, प्रशासनिक, कंपनी, पर्यावरण तथा निर्वाचन कानूनों के विशेषज्ञ हैं।

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

21वां पूर्वोत्तर पुस्तक मेला

प्रकाशन विभाग ने 1 से 12 नवंबर, 2019 तक गुवाहाटी में आयोजित 21वें पूर्वोत्तर मेले में भाग लिया। इसका आयोजन ऑल असम पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया था। पुस्तक मेले का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में किया। आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने मेले में कला, संस्कृति और असम की विरासत को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों को बधाई दी।



(स्रोत : आकाशवाणी, 8 नवंबर 2019 की रिपोर्ट पर आधारित)

पुस्तक चर्चा



गुरु नानक

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक सबसे पहले सिख गुरु बने और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से इस धर्म की नींव रखी। धार्मिक प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित नानक ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की यात्रा की। उन्होंने एक ही ईश्वर के अस्तित्व की वकालत की और अपने अनुयायियों को सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य ध्यान और पवित्र आचरण से ईश्वर तक पहुंच सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मठवाद का समर्थन नहीं किया और अपने अनुयायियों को ईमानदार, गृहस्थ जीवन जीने के लिए कहा।

यह पुस्तक पहली बार गुरु नानक की पांच सौवीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाशित की गई थी। प्रकाशन विभाग ने गुरु नानक जी के पांच सौ पचासवीं जयंती पर इस पुस्तक का संशोधित संस्करण उनको श्रद्धांजलि के रूप में प्रकाशित किया है।

आईएसबीएन-978-81-230-3221-4, पीडीबीएन-CLI-ENG-REP-102-2019-20

मूल्य: ₹ 185

न्यू मेज़र्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन

लेखिका : डॉ. शीतल कपूर

उपभोक्तावाद व्यवसाय/व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित इस पुस्तक में उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनके संरक्षण के संबंध में भारत तथा विदेश में विभिन्न नीतियों और कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है। इस पुस्तक का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना, उनकी विभिन्न शिकायतों का निवारण के उपाय और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में बताना है।

आईएसबीएन-978-81-230-3212-4

पीडीबीएन-SS-ENG-OP-099-2019-20

मूल्य: ₹ 270

